4 हिस्से कामिल

तालीमुल इस्लाम

हज़रत मुफ्तिए आज़म
मौलाना मुहम्मद किफ़ायतुल्लाह (रह०)

कुतुबखाना अज़ीज़िया
उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद, दिल्ली-६
Kutub Khana Azizia
Jama Masjid, Delhi-6

तालीमुल-इस्लाम

हिस्सा 1 से 4 (कामिल)

मुसन्निफ़
हज़रत मुफ़्तिए आज़म
मौलाना मुहम्मद किफ़ायतुल्लाह (रह०)

कुतुबख़ाना अज़ीज़िया
उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद, दिल्ली-6

KUTUB KHANA AZIZIA
4174, Urdu Bazar, Jama Masjid,
Delhi-110006 (INDIA)
Ph: 23266422 Fax: 23266067
E-mail: alamgeertc@yahoo.com

بسم الله الرحمن الرحيم

"बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम"

अपनी बात

तालीमुल इस्लाम हज़रत मुफ़्तिए आज़म मौलाना मुहम्मद किफ़ायतुल्लाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर और मक़बूल किताब है। यह किताब मुसलमान बच्चों और बच्चियों की मज़हबी तालीम के लिए लिखी गई थी, लेकिन यह किताब छोटे-बड़े हर उम्र के आदमियों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई है।

इस किताब के चार हिस्से हैं। असल किताब उर्दू ज़ुबान में है। हिन्दी जानने वाले भाई भी इससे फ़ायदा उठा सकें इस मक़सद से हम इसका हिन्दी एडीशन छाप रहे हैं। किताब के चारों हिस्से आपके हाथों में हैं। उम्मीद है कि किताब पढ़ने वाले इस्तिक़बाल करेंगे।

खुदा से दुआ है कि वह हमारी इस कोशिश को क़ुबूल फ़रमाये-आमीन !

फ़ेहरिस्त मज़ामीन तालीमुल इस्लाम पहला हिस्सा 1

मज़मून सफ़हा नं०

फ़ेहरिस्त मज़ामीन तालीमुल इस्लाम दूसरा हिस्सा-2

पहला शोबा माअरूफ़ ब तालीमुल ईमान

दूसरा शोबा माअरूफ़ ब तालीमुल अरकान

फ़ेहरिस्त मज़ामीन तालीमुल इस्लाम तीसरा हिस्सा-3

तालीमुल इस्लाम का पहला शोबा

तालीमुल इस्लाम-3 का दूसरा शोबा

मज़मून	सफ़हा नं०

फ़ेहरिस्त मज़ामीन तालीमुल इस्लाम चौथा हिस्सा-4

पहला शोबा इस्लामी अक़ाइद

दूसरा शोबा इस्लामी आमाल

मज़मून | सफ़हा नं०

तालीमुल-इस्लाम

पहला हिस्सा

मुसन्निफ
हज़रत मुफ़्तिए आज़म
मौलाना मुहम्मद किफ़ायतुल्लाह (रह०)

© नाशिर
कुतुबख़ाना अज़ीज़िया
उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद, दिल्ली-6

© Publishers
KUTUB KHANA AZIZIA
4174, Urdu Bazar, Jama Masjid,
Delhi-110006 (INDIA)
Ph: 23266422 Fax: 23266067
E-mail: alamgeertc@yahoo.com

तालीमुल इस्लाम

हिस्सा (1)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

"शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम वाला है।"

نَحْمَدُهُ اللّٰهَ الْعَلِيَّ الْعَظِيْمَ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

नहमदुल्लाहल अलीयल अज़ीम व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम।

हम तारीफ़ करते हैं उस अल्लाह की जो बहुत बड़े मरतबे वाला है और उसके रसूल करीम (स०) पर रहमत की दुआ करते हैं।

सवाल : तुम कौन हो (यानी मज़हब के लिहाज़ से तुम्हारा क्या नाम है)?

जवाब : मुसलमान!

सवाल : मुसलमानों के मज़हब का नाम क्या है या तुम्हारे मज़हब का क्या नाम है?

जवाब : इस्लाम!

सवाल : इस्लाम क्या सिखाता है, या इस्लाम किस मज़हब को कहते हैं?

जवाब : इस्लाम यह सिखाता है कि "ख़ुदा एक है" इबादत के लायक़ वही है और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बन्दे और रसूल हैं। और क़ुरआन शरीफ़ ख़ुदा तआला की किताब है! इस्लाम सच्चा दीन है। दुनिया और आख़िरत की तमाम भलाइयाँ और नेक बातें इस्लाम सिखाता है।

सवाल : इस्लाम का कलिमा क्या है?

जवाब : इस्लाम का कलिमा यह है:

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

"लाइला-ह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।"

"अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं।" इस कलिमे को कलिमए तय्यिबा या कलिमए तौहीद कहते हैं।

सवाल : कलिमए शहादत क्या है?

जवाब : कलिमए शहादत यह है:

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

"अशहदु अल्ला इला-ह इल्लल्लाहु व अशहदु अन-न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू।"

"गवाही देता हूं मैं कि अल्लाह तआला के सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं और गवाही देता हूं मैं कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बन्दे और उसके रसूल हैं।"

सवाल : ईमान मुज्मल क्या है?

जवाब : ईमान मुज्मल यह है:

آمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِأَسْمَائِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ أَحْكَامِهٖ

"आमन्तु बिल्लाहि कमा हु-व बिअस्माइही व सिफ़ातिही व क़बिल्तु जमी-अ अहकामिही।"

"ईमान लाया मैं अल्लाह पर जैसा कि वह अपने नामों और ख़ूबियों के साथ है। और मैं ने उसके सारे हुक्मों को क़बूल किया।"

सवाल : ईमान मुफ़स्सल क्या है?

जवाब : ईमान मुफ़स्सल यह है:

آمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ۝

"आमन्तु बिल्लाहि व मलाइ-क तिही व

कुतुबिही व रूसुलिही वल यौमिल आख़िरि वल्क़द्रि ख़ैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल्बअसि बअ-दलमौत।"

"ईमान लाया मैं अल्लाह पर और उसके फ़रिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर और क़ियामत के दिन पर और इस पर कि अच्छी और बुरी तक़दीर ख़ुदा तआला की तरफ़ से होती है और मौत के बाद उठाए जाने पर।"

सवाल : तुम्हें किसने पैदा किया?

जवाब : हमें और हमारे माँ-बाप और आसमानों और ज़मीनों और तमाम मख़लूक़ को अल्लाह ने पैदा किया है!

सवाल : अल्लाह तआला ने दुनिया को किस चीज़ से पैदा किया?

जवाब : अपनी क़ुदरत और अपने हुक्म से पैदा किया है!

सवाल : जो लोग अल्लाह को नहीं मानते उन्हें क्या कहते हैं?

जवाब : उन्हें काफ़िर कहते हैं!

सवाल : जो लोग ख़ुदा तआला के सिवा और चीज़ों की पूजा करते हैं या दो-तीन ख़ुदा

मानते हैं उन्हें क्या कहते हैं?

जवाब : ऐसे लोगों को काफ़िर और मुश्रिक कहते हैं।

सवाल : मुश्रिक बख़्शे जाएंगे या नहीं?

जवाब : मुश्रिकों को बख़्शा नहीं जायेगा। वह हमेशा तक्लीफ़ और अज़ाब (दुख) में रहेंगे।

सवाल : हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कौन थे?

जवाब : हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदाए तआला के बन्दे और उसके रसूल और पैग़म्बर थे। हम उनकी उम्मत में हैं।

सवाल : हमारे पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए थे?

जवाब : अरब के देश में मक्का मुअज़्ज़मा एक शहर है उसमें पैदा हुए थे।

सवाल : आपके वालिद और दादा का क्या नाम था?

जवाब : आपके वालिद (पिताजी) का नाम अब्दुल्लाह और दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था।

सवाल : हमारे पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पैग़म्बरों से दर्जे में बड़े हैं या छोटे?

जवाब : हमारे पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्जे में और सब पैग़म्बरों से बड़े हैं और अल्लाह की सारी मख़लूक़ से ज़्यादा बढ़े हुए हैं।

सवाल : हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र भर कहाँ रहे?

जवाब : तिरेप्पन (53) साल की उम्र तक आप शहर मक्का मुअज़्ज़मा में रहे इसके बाद ख़ुदा तआला के हुक्म से मदीना मुनव्वरा चले गए और दस साल वहाँ रहे फिर तिरेसठ (63) साल की उम्र में वफ़ात पाई।

सवाल : अगर कोई हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को न माने वह कैसा है?

जवाब : जो आदमी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ुदा का रसूल न माने वह भी काफ़िर है।

सवाल : हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का क्या मतलब है?

जवाब : हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का मतलब यह है कि आपको ख़ुदा का भेजा हुआ रसूल (पैग़म्बर) माने और ख़ुदा तआला के बाद सारी मख़लूक़ से

आपको ऊँचा समझे और आप से मुहब्बत रखे और आपके हुक्मों पर चले।

सवाल : यह कैसे मालूम हुआ कि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदाए ताअला के पैग़म्बर हैं?

जवाब : उन्होंने ऐसे अच्छे काम किये और ऐसी ऐसी बातें सिखाई और बताईं जो पैग़म्बर के सिवा और कोई आदमी सिखा और बता नहीं सकता।

सवाल : यह कैसे मालूम हुआ कि कुरआन शरीफ़ खुदाए तआला की किताब है?

जवाब : हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि यह कुरआन मजीद खुदा तआला की किताब है खुदा ने मेरे ऊपर उतारी है।

सवाल : कुरआन मजीद हज़रत स० पर पूरा एक बार उतरा या थोड़ा थोड़ा?

जवाब : थोड़ा-थोड़ा उतरा। कभी एक आयत कभी दो चार आयतें कभी एक सूरत जैसी ज़रूरत होती गई उतरता गया।

सवाल : कितने दिनों में कुरआन मजीद उतरा?

जवाब : तेईस (23) साल में।

सवाल : कुरआन मजीद किस तरह उतरता था?

जवाब : हज़रत जिब्रईल अलैहिस्सलाम आकर आपको आयत या सूरत सुना देते थे। आप उसे सुनकर याद कर लेते थे और किसी लिखने वाले को बुलाकर लिखवा देते थे।

सवाल : आप खुद क्यों नहीं लिख लेते थे?

जवाब : इसलिए कि आप उम्मी थे।

सवाल : उम्मी किसे कहते हैं?

जवाब : जिसने किसी से लिखना-पढ़ना न सीखा हो उसे उम्मी कहते हैं। अगर्चे हुज़ूर स० ने दुनिया में किसी से लिखना पढ़ना नहीं सीखा लेकिन अल्लाह ने आपको तमाम दुनिया से ज़्यादा इल्म दिया था।

सवाल : हज़रत जिब्रईल अलैहिस्सलाम कौन हैं?

जवाब : फ़रिश्ते हैं। खुदाए तआला के

हुक्म पैग़म्बरों तक लाते थे।

सवाल : मुसलमान खुदा तआला की इबादत कैसे करते हैं?

जवाब : (1) नमाज़ पढ़ते हैं (2) रोज़ा रखते हैं (3) माल की ज़कात देते हैं (4) हज करते हैं।

सवाल : नमाज़ किसे कहते हैं?

जवाब : नमाज़ खुदाए तआला की इबादत और बन्दगी करने का एक खास ढंग है जो खुदाए तआला ने कुरआन मजीद में और हज़रत रसूल मक़बूल स० ने हदीसों में मुसलमानों को सिखाया है।

सवाल : इबादत का वह तरीक़ा जिसे नमाज़ कहते हैं वह क्या है?

जवाब : घर में या मस्जिद में खुदाए तआला के सामने हाथ बांधकर खड़े होते हैं और कुरआन शरीफ़ पढ़ते हैं। अल्लाह तआला की तारीफ़ें बयान करते हैं। उसकी बुज़ुर्गी और ताज़ीम करते हैं। उसके सामने झुक जाते हैं और ज़मीन पर सिर रखकर उसकी बड़ाई और अपनी कमज़ोरी और ज़िल्लत ज़ाहिर करते हैं।

सवाल : मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से आदमी खुदा के सामने होता है या घर में?

जवाब : खुदाए तआला हर जगह सामने होता है चाहे मस्जिद में नमाज़ पढ़ो चाहे घर में। लेकिन मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से ज़्यादा सवाब मिलता है।

सवाल : नमाज़ पढ़ने से पहले हाथ-पाँव धोते हैं उसे क्या कहते हैं?

जवाब : उसे वुज़ू कहते हैं। बग़ैर वुज़ू के नमाज़ नहीं होती।

सवाल : नमाज़ में किस तरफ़ मुँह करके खड़ा होना चाहिए?

जवाब: पश्चिम की तरफ़ जिस तरफ़ शाम को सूरज जाकर छिप जाता है।

सवाल : पश्चिम की तरफ़ मुँह करने का क्यों हुक्म दिया गया है?

जवाब : मक्का मुअज़्ज़मा में खुदा तआला का एक घर है। जिसे काबा कहते हैं। उसकी तरफ़ नमाज़ में मुँह करना ज़रूरी है। और वह हमारे शहरों से पश्चिम की तरफ़ है। इसलिए पश्चिम की तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं।

सवाल : जिस तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं?

जवाब : उसे क़िब्ला कहते हैं।

सवाल : दिन-रात में नमाज़ कितनी बार पढ़ी जाती है?

जवाब : रात-दिन में पाँच नमाज़ें फ़र्ज़ हैं।

सवाल : पाँचों नमाज़ों के नाम क्या हैं?

जवाब : पहली नमाज़ 'फ़ज्र' जो सुबह के समय सूरज निकलने से पहले पढ़ी जाती है। दूसरी नमाज़ 'ज़ुहर' जो दोपहर को सूरज ढलने के बाद पढ़ी जाती है। तीसरी नमाज़ 'अस्र' जो सूरज छिपने से दो-डेढ़ घंटा पहले पढ़ी जाती है। चौथी नमाज़ 'मग़रिब' जो शाम को सूरज छिपने के बाद पढ़ी जाती है। पाँचवीं नमाज़ 'इशा' जो डेढ़-दो घंटे रात आने पर पढ़ी जाती है।

सवाल : अज़ान किसे कहते हैं?

जवाब : जब नमाज़ का समय आ जाता है तो नमाज़ से कुछ देर पहले एक आदमी खड़े होकर ज़ोर-ज़ोर से यह शब्द कहता है:

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ   اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ   اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ   اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ   حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ   حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

"अल्लाहु अक्बर" (अल्लाह सबसे बड़ा है) चार बार।

अश-हदु अल्ला इला-ह इल्लल्लाह (गवाही देता हूँ मैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं) दो बार अश-हदु अन-न मुहम्मदर रसूलुल्लाह (गवाही देता हूँ मैं कि मुहम्मद स० अल्लाह के रसूल हैं) दो बार हय्य अलस्सलाह (आओ नमाज़ के लिए) दो बार हय्य अलल फ़लाह (आओ कामयाबी की तरफ़) दो बार।

'अल्लाहु अक्बर' (अल्लाह सबसे बड़ा है।) दो बार। 'लाइला-ह इल्लल्लाह' (अल्लाह के सिवा

कोई इबादत के लायक़ नहीं) एक बार।

इन शब्दों को अज़ान कहते हैं। सुबह की अज़ान में 'हय्य अलल फ़लाह' के बाद 'अस्सलातु ख़ैरूम मिनन्नौम' (नमाज़ नींद से अच्छी है) भी दो बार कहना चाहिए।

सवाल : तक्बीर किसे क़हते हैं?

जवाब : जब नमाज़ के लिए खड़े होने लगते हैं तो नमाज़ शुरू करने से पहले एक आदमी वही शब्द कहता है जो अज़ान में कहे जाते हैं। इसे इक़ामत और तक्बीर कहते हैं। तक्बीर में हय्य अलल फ़लाह के बाद क़द-क़ामतिस्सलाह दो बार अज़ान के कलिमों से ज़्यादा कहे जाते हैं।

सवाल : जो आदमी अज़ान या तक्बीर कहता है उसे क्या कहते हैं?

जवाब : जो आदमी अज़ान कहता है उसे मुअज़्ज़िन कहते हैं। और जो तक्बीर कहता है उसे मुकब्बिर कहते हैं।

सवाल : बहुत से लोग मिलकर जो नमाज़ पढ़ते हैं उस नमाज़ को और नमाज़ पढ़ाने वाले को और नमाज़ पढ़ने वालों को क्या कहते हैं?

जवाब : बहुत से लोग जो मिलकर नमाज़

पढ़ते हैं उसे जमाअत की नमाज़ कहते हैं और नमाज़ पढ़ाने वाले को 'इमाम' और उसके पीछे नमाज़ पढ़ने वालों को मुक़्तदी कहते हैं।

सवाल : अकेले नमाज़ पढ़ने वालों को क्या कहते हैं?

जवाब : अकेले नमाज़ पढ़ने वालों को मुनफ़रिद कहते हैं।

सवाल : जो घर ख़ास नमाज़ पढ़ने के लिए बनाया जाता है और उसमें जमाअत से नमाज़ होती है उसे क्या कहते हैं?

जवाब : उसे मस्जिद कहते हैं।

सवाल : मस्जिद में जाकर क्या करना चाहिए?

जवाब : मस्जिद में नमाज़ पढ़े, क़ुरआन शरीफ़ पढ़े, या और कोई वज़ीफ़ा पढ़े, या अदब से चुपका बैठा रहे। मस्जिद में खेलना, कूदना, शोर मचाना और दुनिया की बातें करना बुरी बात है।

सवाल : नमाज़ पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है?

जवाब : नमाज़ पढ़ने से बहुत से फ़ायदे हैं। थोड़े से फ़ायदे हम तुमको बताते हैं।

1. नमाज़ी आदमी का बदन और कपड़े पाक और साफ़ सुथरे होते हैं।

2. नमाज़ी आदमी से ख़ुदा राज़ी और ख़ुश होता है।

3. हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा स० नमाज़ी से राज़ी और ख़ुश होते हैं।

4. नमाज़ी आदमी ख़ुदा तआला के नज़दीक नेक होता है।

5. नमाज़ी आदमी की अच्छे लोग दुनिया में भी इज़्ज़त करते हैं।

6. नमाज़ी आदमी बहुत से गुनाहों से बच जाता है।

7, नमाज़ी आदमी को मरने के बाद ख़ुदा तआला आराम और सुख से रखता है।

सवाल : नमाज़ में जो कुछ पढ़ा जाता है उसके नाम और इबारतें क्या-क्या हैं?

जवाब : नमाज़ में जो कुछ पढ़ा जाता है उन सबके नाम और शब्द यह हैं:-

तकबीर:- اَللّٰهُ اَكْبَرُ

अल्लाहु अक्बर (अल्लाह सबसे बड़ा है)

सना:-

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ ؕ

सुबहा-न कल्ला हुम-म व बिहमदि-क व तबा-र-कस्मु-क व तआला जद्दु-क व ला इला-ह गैरू-क।

"ऐ अल्लाह हम तेरी पाकी का इक़रार करते हैं। और तेरी तारीफ़ बयान करते हैं। और तेरा नाम बहुत बरकत वाला है। और तेरी बुज़ुरगी बरतर है। और तेरे सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं।

तअव्वुज़:- اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

"अऊज़ु बिल्लाहि मिनश-शै-ता निर-रजीम"

" मैं अल्लाह की पनाह लेता हूं शैतान मरदूद से।"

तस्मिया:- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

बिसमिल्ला हिर-रहमानिर-रहीम

"शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम वाला है।"

सूरह फ़ातिहा:-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ مٰلِكِ یَوْمِ الدِّیْنِ ۝ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ ۙ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّآلِّیْنَ ۝

"अलहम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्या-क नाबुदू व इय्या-क नस्तईन। इहदि नस-सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ी-न अन-अम-त अलैहिम गै़रिल मग़्ज़ूबि अलैहिम वलज़्-ज़ालीन।"

"सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का पालने वाला है। बड़ा मेहरबान और रहम वाला है। उस दिन का मालिक है जिस दिन बदला दिया जायेगा (ऐ अल्लाह) हम तेरी ही बन्दगी करते हैं और तुझ ही से मदद, चाहते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फ़रमाया है न कि उनका (रास्ता) जिन पर तेरा ग़ज़ब हुआ और न उनका जो भटक गये।"

सूरह कौसरः-

اِنَّآ اَعْطَیْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝

اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ۝

"इन्ना आतैना कल कौसर। फ़सल्लि लि-रब्बि-क वन-हर। इनन शानि-अ-क हुवल अब्तर।"

(ऐ नबी स०) हमने तुमको कौसर दी है बस तुम अपने अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ो और कुर्बानी करो बेशक तुम्हारा दुश्मन ही मिट जाने वाला है।

सूरह इख़्लास:-

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۞ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۞
وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۞

"कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम-यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लहू कुफ़ुवन अहद।"

"(ऐ नबी स०) कह दो कि अल्लाह एक है अल्लाह बेनियाज़ है। उससे कोई पैदा नहीं हुआ और न वह किसी से पैदा हुआ और कोई उसके बराबर नहीं"।

सुरह फ़लक़:-

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۞ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۞ وَمِنْ شَرِّ
غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۞ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۞ وَمِنْ
شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۞

"कुल अऊज़ु बि-रब्बिल फ़लक़। मिन शर्रिमा ख़लक़ व मिन शर्रि ग़ासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन-नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़दि व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद।"

(ऐ नबी स० दुआ में) कहो कि मैं सुबह के रब की पनाह लेता हूँ। सारी दुनिया की बुराई से और अंधेरे की बुराई से जब अंधेरा फैल जाए और गाँठों पर दम करने वालियों की बुराई से और हसद करने वाले की बुराई से जब वह हसद करे।"

सूरह नासः-

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۞ مَلِكِ النَّاسِ ۞ إِلَٰهِ النَّاسِ ۞
مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۞ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۞
مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۞

"कुल अऊज़ु बि-रब्बिन्नासि मलिकिन्नासि इला हिन्नासि मिन शर्रिल वस्वासिल ख़न्नासिल लज़ी यु वस्विसु फ़ी सुदूरिन्नासि मिनल जिन्नति वन्नास।"

"(ऐ नबी दुआ में) कहो कि मैं इन्सानों के माबूद की पनाह लेता हूँ उस वस्वसा डालने वाले, पीछे हट जाने वाले की बुराई से जो लोगों के दिलों में वस्वसा डालता है जिन्नों में से हो या इन्सानों में से।"

रूकू यानी झुकने की हालत की तस्बीहः

"सुब्हा-न रब्बियल अज़ीम

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

(पाकी बयान करता हूं अपने पालनहार बुज़ुर्ग की)"

क़ौमा यानी रूकू से उठने की तस्मीअ:

"समि-अल्लाहु-लिमन हमिदह"

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ

(अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने उसकी तारीफ़ की।"

इसी क़ौमा की तहमीद:

"रब्बना लकल हम्द" رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

(ऐ हमारे पालनहार तेरे ही लिए तमाम तारीफ़ें हैं)"

सजदा यानी ज़मीन पर सिर रखने की हालत की तस्बीह:- سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى

"सुब्हा-न रब्बियल आला (पाकी बयान करता हूं अपने पालनहार की जो सबसे बड़ा है।)"

तशहहुद या अत्तहिय्यात:-

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبٰتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ

اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى

عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ
اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

"अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्स-ल-वातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलै-क अय्युहन्नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व ब-रकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्ला हिस्सालिहीन। अशहदु अल्ला इला-ह इल्लल्लाहु व अशहदु अन-न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू।"

"तमाम ज़बानी और फ़ेली (कर्म वाली) इबादतें और तमाम माली इबादतें अल्लाह ही के लिए हैं। सलाम तुम पर ऐ नबी स० और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें। सलाम हो हम पर और अल्लाह के नेक बन्दों पर। गवाही देता हूँ मैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं और गवाही देता हूँ मैं कि मुहम्मद स० अल्लाह के बन्दे और उसके रसूल हैं।"

दरूद शरीफ़:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى
اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۝
اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى

اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۝

"अल्ला हुम-म सल्लि अला मुहम्मदिंव व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लै-त अला इब्राही-म व अला आलि इब्राही-म इन-न-क हमीदुम्मजीद अल्ला हुम-म बारिक अला मुहम्मदिंव व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारक-त अला इब्राही-म-व अला आलि इब्राही-म-इन-न-क हमीदुम्मजीद।"

" ऐ अल्लाह रहमत नाज़िल फ़रमा मुहम्मद स० पर और उनकी औलाद पर जैसे कि तूने रहमत नाज़िल फ़रमाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनकी औलाद पर। बेशक तू तारीफ़ के लायक़ बड़ी बुज़ुर्गी वाला है।"

(ऐ अल्लाह बरकत नाज़िल फ़रमा मुहम्मद स० पर और उनकी औलाद पर जैसे कि तूने बरकत नाज़िल फ़रमाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनकी औलाद पर। बेशक तू तारीफ़ के लायक़ बड़ी बुज़ुर्गी वाला है।"

दरूद शरीफ़ के बाद की दुआ:-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ

الذُّنُوبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْ لِیْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ
وَارْحَمْنِیْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ

"अल्लाह हुम-म इन्नी ज़लम्तु नफ़्सी ज़ुलमन कसीरंव वला यग़फ़िरूज़ुनू-ब इल्ला अन-त फ़ग़फ़िर्ली मग़-फ़िरतम मिन इनदि-क-वर हमनी इन-न-क अन्तल ग़फ़ूरूर्रहीम।"

(ऐ अल्लाह मैंने अपने ऊपर बहुत ज़ुल्म किये हैं और तेरे सिवा और कोई गुनाहों को मआफ़ नहीं कर सकता इसलिए तू अपनी तरफ़ से ख़ास बख़्शिश से मुझ को मआफ़ कर दे और मुझ पर रहम फ़रमा दे। बेशक तूही मआफ़ कर देने वाला, निहायत रहम वाला है।"

सलाम:

اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ

"अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह"

(सलाम हो तुम पर और अल्लाह की रहमत)

नमाज़ के बाद की दुआ:

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ

يَاذَاالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

"अल्ला हुम-म अन्तस्सलामु व मिनकस्सलामु तबारक-त या ज़ल-ज़लजलालि वल इकराम।"

"ऐ अल्लाह तूही सलामती देने वाला है और तेरी ही तरफ़ से सलामती मिल सकती है बहुत बरकत वाला है तू ऐ अज़मत (बड़ाइ) और बुज़ुर्गी वाले।"

दुआए क़ुनूत:-

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ ۝

"अल्ला हुम-म इन्ना नस्तईनु-क व नस्तग़फ़िरू-क वनू मिनु बि-क व न-तवक्कलु अलै-क व नुस्नी अलैकल ख़ैरि व नशकुरू-क वला नकफुरू-क व नख़लऊ व नतरूकू मैंय्यफ्जुरू-क अल्ला हुम-म इय्या-क नाबुदू वल-क नुसल्ली व-नसजुदू व इलै-क नस्आ व नहफ़िदु व नर्जू रह-म-त-क व नख़्शा अज़ा-ब-क इन-न अज़ा-ब-क बिल कुफ्फारि मुलहिक़।"

"ऐ अल्लाह हम तुझसे मदद चाहते हैं और मग्फ़िरत चाहते हैं और तेरे ऊपर ईमान लाते है और तेरे ऊपर भरोसा रखते हैं और तेरी अच्छी तरह तारीफ़ करते हैं और तेरा शुक्र अदा करते है और तेरी नाशुक्री नहीं करते और अलग कर देते और छोड़ देते हैं उसको जो तेरा कहना नहीं मानता। ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। और ख़ास तेरे लिए नमाज़ पढ़ते और सजदा करते हैं और तेरी ही तरफ़ दौड़ते हैं और झपटते हैं और तेरी ही रहमत की उम्मीद करते हैं। और तेरे अज़ाब से डरते हैं। बेशक तेरा अज़ाब काफ़िरों को पहुँचने वाला है।"

वुज़ू करने का तरीक़ा:-

सवाल : वुज़ू किस तरह किया जाता है?

जवाब : साफ़ बर्तन में पाक पानी लेकर पाक साफ़ और ऊंची जगह पर बैठो। क़िब्ले की तरफ़ मुँह कर लो तो अच्छा है। और इसका मौक़ा न हो तो कुछ नुक्सान नहीं आस्तीनें कुहनियों के ऊपर तक चढ़ा लो। फिर बिस्मिल्लाह पढ़ो। और तीन बार गट्टों तक हाथ धोओ। फिर तीन बार कुल्ली करो फिर दांतून करो। दांतून न हो तो

उँगली से दाँत मल लो। फिर तीन बार नाक में पानी डाल कर बांये हाथ की छोटी उंगली से नाक साफ़ करो फिर तीन बार मुँह धोओ। मुँह पर पानी ज़ोर से न मारो बल्कि धीरे से माथे पर पानी डाल कर धोओ। माथे के बालों से ठोड़ी के नीचे तक और इधर-उधर दोनों कानों तक मुँह धोना चाहिए। फिर कुहनियों समेत दोनों हाथ धोओ पहले दाहिना हाथ तीन बार फिर बायां हाथ तीन बार धोना चाहिए। फिर हाथ पानी से भिगो कर सिर का मसह करो। फिर कानों का मसह करो फिर गर्दन का मसह करो। मसह सिर्फ़ एक एक बार करना चाहिए। फिर तीन तीन बार दोनों पांव टख़्नों समेत धोओ पहले दायां फिर बायां धोना चाहिए।

नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा

सवाल : नामज़ पढ़ने का तरीक़ा क्या है?

जवाब : नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा यह है:

वुज़ू करके पाक कपड़े पहनकर पाक जगह पर क़िब्ले की तरफ़ मुँह करके खड़े हो। नमाज़ की नीयत करके दोनों हाथ कानों तक उठाओ और अल्लाहु अक्बर कहकर हाथों को नाफ़ के नीचे बांध लो। दायां हाथ ऊपर और बायां हाथ नीचे

बांध लो। नमाज़ में इधर-उधर न देखो अदब से खड़े रहो। खुदा की तरफ़ ध्यान रखो। हाथ बांध कर सना पढ़ो।

सना:

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ
وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ ۝

"सुब्हा-न-कल्ला हुम-म व बिहमदि-क व तबा-र कस्मु-क-व तआला जद्दु-क व ला इला-ह गैरूक"

फिर तअव्वुज़ यानी अऊज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर-रजीम और तस्मीया यानी बिस्मिल्ला हिर्रहमा निर्रहीम पढ़ कर अल-हम्दु शरीफ़ पढ़ो अल-हम्दु शरीफ़ ख़त्म करके धीरे से 'आमीन' कहो फिर सूरह इख़्लास या और कोई सूरत जो याद हो पढ़ो फिर अल्लाहु अक्बर कह कर रूकू के लिए झुको। रूकू में दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ लो। रूकू की तस्बीह यानी 'सुब्हा-न रब्बीयल अज़ीम' तीन या पाँच बार पढ़ो फिर तस्मीअ यानी 'समि-अल्लाहु-लिमन हमिदह' कहते हुए सीधे खड़े हो जाओ। तह-मीद यानी 'रब्बना लकल हम्दु' भी पढ़ो फिर तकबीर

कहते हुए सजदे में इस तरह जाओ कि पहले दोनों घुटने ज़मीन पर रखो फिर दोनों हाथों के बीच में पहले नाक फिर माथा ज़मीन पर रखो। सजदे की तस्बीह यानी 'सुब्हा-न रब्बि-यल आला' तीन या पाँच बार कहो फिर तक्बीर कहते हुए खड़े हो जाओ। उठते वक्त ज़मीन पर हाथ न टेको। सजदों तक एक रकात पूरी हो गई। अब दूसरी रकात शुरू हुई। तस्मिया पढ़कर अल-हम्दु शरीफ़ पढ़ो और कोई और सूरत मिलाओ और फिर एक रूकू और दो सजदे करके बैठ जाओ। पहले तशह्हुद पढ़ो फिर दुरूद शरीफ़ फिर दुआ पढ़ो फिर सलाम फेरो, पहले दायें तरफ़ फिर बायें तरफ़। सलाम करते वक्त दायें और बायें दोनों तरफ़ मुँह मोड़ लो। यह दो रकात नमाज़ पूरी हो गई। सलाम फेरने के बाद "अल्ला हुम-म अन्तस्सलामु व मिन-कस्सलामु तबारक-त या ज़ल-जलालि वल इकराम।" पढ़ो और हाथ उठा कर दुआ माँगो। हाथ बहुत ज़्यादा न उठाओ यानी कन्धों से ऊंचा न करो। दुआ से निमट कर दोनों हाथ उठाकर मुँह पर फेर लो।

सवाल : दोनों सजदों के बीच में और तशह्हुद पढ़ने की हालत में किस तरह बैठना चाहिए?

जवाब : दायाँ पाँव खड़ा रखो और उसकी उंगलियां क़िब्ले की तरफ़ रहें और बायाँ पाँव बिछा कर उस पर बैठ जाओ। बैठने की हालत में दोनों हाथ घुटनों पर रखने चाहिए।

सवाल : इमाम और मुनफ़रिद और मुक़्तदी की नमाज़ों में कुछ फ़र्क़ होता है या नहीं?

जवाब : हाँ! इमाम, मुनफ़रिद और मुक़्तदी की नमाज़ में थोड़ा-सा फ़र्क़ है। एक फ़र्क़ यह है कि इमाम और मुनफ़रिद पहली रकात में सना के बाद "अऊज़..." आखिर तक और "बिस्मिल्ला..." आख़िर तक पढ़ कर अल-हमदु शरीफ़ और सूरत पढ़ते हैं। और दूसरी रकात में बिस्मिल्ला और अल-हम्दु शरीफ़ और सूरत पढ़ते हैं मगर मुक़्तदी को सिर्फ़ पहली रकात में सना पढ़कर दोनों रकातों में चुपचाप खड़ा रहना चाहिए। दूसरा फ़र्क़ यह है कि रूकू से उठते वक़्त इमाम और मुनफ़रिद समि-अल्लाहु-लिमन हमिदह और मुनफ़रिद तस्मीअ के साथ तहमीद भी पढ़ सकता है मगर मुक़्तदी को सिर्फ़ रब्बना लकल हम्द कहना चाहिए।

सवाल : नमाज़ की तीन या चार रकातें पढ़नी हों तो किस तरह पढ़नी चाहिए?

जवाब : दो रकातें तो उसी क़ाइदे से पढ़ी जाएँ जो ऊपर बयान हुए हैं मगर बैठने की हालत में अत्तहिय्यात के बाद दरूद शरीफ़ न पढ़े बल्कि अल्लाहु अक्बर कहकर खड़े हो जाएं। फिर नमाज़ वाजिब, सुन्नत या नफ़िल है तो बाक़ी दो रकातें पहली दो रकातों की तरह पढ़ लें और नमाज़ अगर फ़र्ज़ है तो तीसरी रकात और चौथी रकात में अल-हम्दु शरीफ़ के बाद सूरत न मिलाएं। बाक़ी सब उसी तरह पढ़ें जिस तरह पहली दो रकअतें पढ़ी हैं।

सवाल : नमाज़ सुन्नत या नफ़िल की तीन रकातें भी पढ़ी जाती हैं या नहीं?

जवाब : नमाज़ सुन्नत या नफ़िल की तीन रकातें नहीं होतीं। दो या चार रकातें ही पढ़ी जाती हैं।

सवाल : रूकू करने का ठीक तरीक़ा क्या है?

जवाब : रूकू इस तरह करना चाहिए कि कमर और सिर बराबर रहे यानी सिर न कमर से ऊंचा रहे और न नीचा हो जाए। और दोनों हाथ पस्लियों से अलग और घुटनों को दोनों हाथों से मज़बूत पकड़ लेना चाहिए।

सवाल : सजदा करने का ठीक तरीक़ा

क्या है?

जवाब : सजदा इस तरह करना चाहिए कि हाथों के पंजे ज़मीन पर रहें और कलाइयाँ और कुहनियाँ ज़मीन से ऊंची रहें और पेट रानों से अलग रहे और दोनों हाथ पस्लियों से अलग रहें।

सवाल : नमाज़ के बाद उंगलियों पर गिन कर क्या पढ़ते हैं?

जवाब : सुब्हानल्लाह 33 बार, अल-हम्दु-लिल्लाह 33 बार, और अल्लाहु अकबर 34 बार पढ़ना चाहिए इसका बहुत सवाब है।

इस्लाम के कलिमे

1. कलिमए तैयिबा

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

लाइला-ह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर-रसूलुल्लाह।

2. कलिमए शहादत

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ۔

अशहदु अंल्ला इला-ह इल्लल्लाहु व अशहदु अन-न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुह

3. कलिमए तमजीद سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ۔

सुब्हानल्लाहि वल-हमदुलिल्लाहि वला इला-ह इल्लल्लाहु वल्लाहु अक्बर वला हौ-ल वला कुव्व-त इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम।

4. कलिमए तौहीद:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ
وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

ला इला-ह इल्लल्लाहु वह-दहू ला शरी-क-लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहय्यी व युमीतु बि यदिहिल ख़ैर। व-हु-व अला कुल्लि शैइन क़दीर ।

5. कलिमए रद्दे कुफ़्र:

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا
وَّاَنَا اَعْلَمُ بِهٖ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا اَعْلَمُ بِهٖ تُبْتُ عَنْهُ
وَتَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِيْ كُلِّهَا اَسْلَمْتُ وَاٰمَنْتُ
وَاَقُوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ۔

अल्ला हुम-म-इन्नी अऊज़ु बि-क-मिन अन उशिरक-बि-क शै अंवं वअना आलमु बिही व अस्तग़िफ़रूक लिमा ला आलमु बिही तुब्तु अन्हु व तबर्रअतु मिनल कुफ़्रि वल मआसी कुल्लिहा अस्लमतु व आमन्तु व अक़ूलु ला इला-ह-इल्लल्लाहू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।"

6. ईमान मुज्मल:

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَآئِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِهٖ

आमन्तु बिल्लाहि कमा हु-व बिअस्माइही व सिफ़ातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामिही।

7. ईमान मुफ़स्सल:

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ۝

आमन्तु बिल्लाहि व मलाइ-कतिही व कुतुबिही व रूसुलिही वल यौमिल आख़िरि वल क़द्रि ख़ैरिही वशर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअसि ब-अ-दल मौत।

तालीमुल-इस्लाम

दूसरा हिस्सा

मुसन्निफ
हज़रत मुफ़्तिए आज़म
मौलाना मुहम्मद किफ़ायतुल्लाह (रह०)

© नाशिर
कुतुबख़ाना अज़ीज़िया
उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद, दिल्ली-6

© Publishers
KUTUB KHANA AZIZIA
4174, Urdu Bazar, Jama Masjid,
Delhi-110006 (INDIA)
Ph: 23266422 Fax: 23266067
E-mail: alamgeertc@yahoo.com

अपनी बात

तालीमुल इस्लाम हज़रत मुफ़्तिए आज़म मौलाना मुहम्मद किफ़ायतुल्लाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर और मक़्बूल किताब है। यह किताब मुसलमान बच्चों और बच्चियों की मज़हबी तालीम के लिए लिखी गई थी, लेकिन यह किताब छोटे-बड़े हर उम्र के आदमियों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई है।

इस किताब के चार हिस्से हैं। असल किताब उर्दू ज़ुबान में है। हिन्दी जानने वाले भाई भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं इस मक़सद से हम इसका हिन्दी एडीशन छाप रहे हैं। किताब का दूसरा हिस्सा आपके हाथों में है। उम्मीद है कि किताब पढ़ने वाले इस्तिक़बाल करेंगे।

ख़ुदा से दुआ है कि वह हमारी इस छोटी सी कोशिश को क़ुबूल फ़रमाये-आमीन !

तालीमुल इस्लाम हिस्सा (2) का पहला शोबा

जिसका मशहूर नाम है

तालीमुल ईमान या इस्लामी अक़ीदे

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

"बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम"

यानी : शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम वाला है।

सवाल : इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है?

जवाब : इस्लाम की बुनियाद पांच चीज़ों पर है।

सवाल : वे पांच चीज़ें जिन पर इस्लाम की बुनियाद है, क्या क्या हैं?

जवाब : वे पांच चीज़ें ये हैं:- (1) कलिमा तैयिबा या कलिमा शहादत के मतलब को दिल से मानना और ज़ुबान से इक़रार करना। (2) नमाज़ पढ़ना (3) ज़कात देना (4) रमज़ान शरीफ़ के रोज़े रखना (5) हज करना।

सवाल : कलिमा तैयिबा क्या है और इसके माने क्या हैं?

जवाब : कलिमा तैयिबा यह है:-

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

"ला इला ह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह"

और इसका मतलब यह है:- "अल्लाह तआला के सिवा और कोई इबादत के लायक़ नहीं और हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के भेजे हुए रसूल हैं।"

सवाल : कलिमा शहादत क्या है और इसके क्या माने हैं?

जवाब : कलिमा शहादत यह है:-

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

"अश-हदु अंल्ला इला ह इल्लल्लाहु व अशहदु अन न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहु।" और इसका मतलब यह है:- "गवाही देता हूं मैं इस बात की कि खुदा तआला के सिवा और कोई इबादत के लायक़ नहीं और गवाही देता हूं मैं इस बात की कि हज़रत मुहम्मद सलअम खुदा तआला के बंदे और रसूल हैं।"

सवाल : क्या बग़ैर माने और मतलब समझे हुए सिर्फ़ ज़ुबान से कलिमा पढ़ लेने से आदमी मुसलमान हो जाता है?

जवाब : नहीं! बल्कि माने समझकर दिल से यक़ीन करना और ज़ुबान से इक़रार करना ज़रूरी है।

सवाल : दिल से यक़ीन और ज़ुबान से इक़रार करने को क्या कहते हैं?

जवाब : ईमान लाना कहते हैं।

सवाल : गूंगा आदमी ज़ुबान से इक़रार नहीं कर सकता तो उसका ईमान लाना कैसे मालूम होगा?

जवाब : उसके लिए क़ुदरती मजबूरी की वजह से इशारा कर देना काफ़ी समझा जाएगा। यानी वह इशारे से यह ज़ाहिर कर दे कि ख़ुदा तआला एक है और हज़रत मुहम्मद सलअम ख़ुदा तआला के पैग़म्बर हैं।

सवाल : मुसलमानों को कितनी चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है?

जवाब : सात चीज़ों पर, जिनका बयान इस ईमान मुफ़स्सल में है:-

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ۝

"आमन्तु बिल्लाहि व मलाइ-क तिही व कुतुबिही व रूसुलिही वल यौमिल आख़िरि-वलक़द्रि ख़ैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल्बअसिं बअ-दल मौत।"

इसके माने यह हैं:- "ईमान लाया मैं अल्लाह पर और उसके फ़रिश्तों पर उसकी किताबों पर और उसके रसूलों (पैग़म्बरों) पर और क़यामत के दिन पर और इस बात पर कि दुनिया में जो कुछ अच्छा या बुरा होता है सब तक़दीर से होता है और इस बात पर कि मरने के बाद फिर ज़िन्दा होना है।"

ख़ुदा तआला के साथ मुसलमानों के अक़ीदे

सवाल : ख़ुदा तआला के साथ मुसलमानों को क्या अक़ेदे रखने चाहियें?

जवाब : (1) ख़ुदा तआला एक है (2) ख़ुदा तआला ही इबादत और बन्दगी के लायक़ है और उसके सिवा कोई बन्दगी के लायक़ नहीं (3) उसका कोई शरीक नहीं (4) वह हर बात को जानता है, कोई चीज़ उससे छुपी नहीं (5) वह बड़ी

ताक़त और क़ुदरत वाला है (6) उसी ने ज़मीन, आस्मान, चांद, सूरज, सितारे, फ़रिश्ते, आदमी, जिन्न यानी दुनिया की सब चीज़ों को पैदा किया, और वही सारी दुनिया का मालिक है। (7) वही मारता है वही ज़िन्दगी देता है, यानी मख़्लूक़ की ज़िन्दगी और मौत उसी के हुक्म से होती है। (8) वही सारी मख़्लूक़ को रोज़ी देता है। (9) वह न खाता है न पीता है न सोता है (10) वह खुद ही हमेशा से है और हमेशा रहेगा। (11) उसको किसी ने पैदा नहीं किया (12) न उसका बाप है, न बेटा, न बेटी, न बीवी, न किसी से उसका रिश्ता नाता, वह ऐसे सब रिश्तों से पाक है। (13) सब उसके मुहताज हैं, वह किसी का मुहताज नहीं (14) वह बेमिसाल है, कोई चीज़ उससे मिलती जुलती या उस जैसी नहीं (15) वह सारे ऐबों से पाक है। (16) वह मख़्लूक़ जैसे हाथ पाँव, नाक, कान और शक्ल-सूरत से पाक है। (17) उसने फ़रिश्तों को पैदा करके दुनिया के इन्तिज़ामों और ख़ास-ख़ास कामों पर लगा दिया है। (18) उसने अपनी मख़्लूक़ को सीधा रास्ता दिखाने के लिए पैग़म्बर भेजे कि लोगों को सच्चा मज़हब सिखाएं, अच्छी बातें बताएं और बुरी बातों से बचाएं।

मलाइका (फ़रिश्ते)

सवाल : फ़रिश्ते कौन हैं?

जवाब : फ़रिश्ते ख़ुदा तआला की एक मख़्लूक़ हैं। नूर से पैदा हुए हैं। हमारी नज़रों से ओझल हैं। न-मर्द हैं न औरत। ख़ुदा की नाफ़रमानी नहीं करते। जिन कामों पर ख़ुदा तआला ने उन्हें लगा दिया उन्हीं में लगे रहते हैं।

सवाल : फ़रिश्ते कितने हैं

जवाब : फ़रिश्तों की गिन्ती ख़ुदा तआला के सिवा कोई नहीं जानता। हां इतना हमें मालूम है कि फ़रिश्ते बहुत हैं और उनमें से चार फ़रिश्ते ख़ास और मशहूर हैं।

सवाल : ख़ास और मशहूर चार फ़रिश्ते कौन-कौन से हैं?

जवाब : (1) हज़रत जिब्रईल अलैहिस्सलाम जो ख़ुदा तआला की किताबें और हुक्म पैग़म्बरों के पास लाते थे। (2) हज़रत इसराफ़ील अलै० जो क़यामत के दिन सूर (एक तरह का बाजा) फूंकेंगे (3) हज़रत मीकाईल अलै० जो बारिश का इन्तिज़ाम करने और मख़्लूक़ को रोज़ी पहुंचाने पर लगे हैं। (4) हज़रत इज़राईल अलै०जो मख़्लूक़ की जान निकालने पर लगे हैं।

ख़ुदा तआला की किताबें

सवाल : ख़ुदा तआला की किताबें कितनी हैं?

जवाब : ख़ुदा तआला की छोटी-बड़ी बहुत सी किताबें पैग़म्बरों पर उतरीं, मगर बड़ी किताबों को किताब और छोटी किताबों को सहीफ़े कहते हैं। चार किताबें मशहूर हैं।

सवाल : चार मशहूर आस्मानी किताबें कौन-कौन सी हैं और किन-किन पैग़म्बरों पर नाज़िल हुई?

जवाब : (1) तौरेत:- जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई (2) ज़बूर:- जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई (3) इन्जील:- जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई (4) कुरआन मजीद:- जो हमारे पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ।

सवाल : 'सहीफ़े' कितने हैं और किन-किन पैग़म्बरों पर उतरे?

जवाब : सहीफ़ों की गिन्ती मालूम नहीं। हाँ कुछ सहीफ़े हज़रत आदम अलै० पर और कुछ हज़रत शीस अलै०पर और कुछ हज़रत इब्राहीम अलै० पर उतरे। इनके अलावा और भी सहीफ़े हैं जो कुछ दूसरे पैग़म्बरों पर उतरे।

ख़ुदा के रसूल (पैग़म्बर अलैहिमुस्सलाम)

सवाल : रसूल कौन होते हैं?

जवाब : रसूल ख़ुदा तआला के बन्दे और इन्सान होते हैं, ख़ुदा तआला उन्हें अपने बन्दों तक हुक्म पहुंचाने के लिये भेजता है, वे सच्चे होते हैं, कभी झूट नहीं बालते। गुनाह नहीं करते। ख़ुदा तआला के हुक्म से मोजिज़े दिखाते हैं। ख़ुदा तआला के पैग़ाम पूरे-पूरे पहुंचा देते हैं उनमें कमी-बेशी नहीं करते। न किसी पैग़ाम को छुपाते हैं।

सवाल : नबी के क्या माने हैं?

जवाब : नबी के भी यही माने हैं कि वह ख़ुदा तआला के बन्दे और इन्सान होते हैं। ख़ुदा तआला के हुक्म बन्दों तक पहुंचाते हैं। सच्चे होते हैं झूट नहीं बोलते। गुनाह नहीं करते। ख़ुदा तआला के हुक्मों में कमी-ज़्यादती नहीं करते। किसी हुक्म को छुपाते नहीं।

सवाल : नबी और रसूल में कुछ फ़र्क़ है या दोनों के एक माने हैं?

जवाब : नबी और रसूल में थोड़ा-सा फ़र्क़ है। वह यह है कि रसूल तो उस पैग़म्बर को कहते हैं जिसको नई शरीअत और किताब दी गई हो और

नबी हर पैग़म्बर को कहते हैं चाहे उसे नई शरीअत और किताब दी गई हो या न दी गई हो। बल्कि वह पहली शरीअत और किताब का ताबे हो।

सवाल : क्या कोई आदमी अपनी कोशिश और इबादत से नबी बन सकता है?

जवाब : नहीं- बल्कि जिसे खुदा तआला नबी बनाए वही नबी बनता है। मतलब यह है कि नबी और रसूल बनने में आदमी की कोशिश और इरादे को दखल नहीं। खुदा तआला की तरफ़ से यह दर्जा दिया जाता है।

सवाल : रसूल और नबी कितने हैं?

जवाब : दुनिया में बहुत से रसूल और नबी आए लेकिन उनकी ठीक-ठीक गिन्ती खुदा तआला ही जानता है। हमें तुम्हें इसी तरह ईमान लाना चाहिए कि खुदा तआला ने जितने रसूल भेजे हम उन सबको हक़ पर और रसूल मानते हैं

सवाल : सबसे पहले पैग़म्बर कौन हैं?

जवाब : सबसे पहले पैग़म्बर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं।

सवाल : सबसे पिछले पैग़म्बर कौन हैं?

जवाब : हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं।

सवाल : हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा स० के बाद कोई पैग़म्बर आएगा या नहीं?

जवाब : नहीं- क्योंकि पैग़म्बरी और नबुव्वत (नबी होना) हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सलअम पर ख़त्म हो गई। आपके बाद जो आदमी पैग़म्बरी का दावा करे वह झूटा है।

सवाल : रसूलों में सबसे बड़ा दर्जा किस रसूल का है?

जवाब : हमारे पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों और रसूलों में सबसे बड़े दर्जे के और बुज़ुर्ग हैं। ख़ुदा तआला के तो आप भी बन्दे और ताबेदार हैं। हाँ ख़ुदा तआला के बाद आपका दर्जा सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है।

क़यामत का बयान

सवाल : क़यामत का दिन किस दिन को कहते हैं?

जवाब : क़यामत का दिन उस दिन को कहते हैं जिस दिन सारे आदमी और जानदार मर जायेंगे और सारी दुनिया मिट जाएगी पहाड़ रूई के गालों की तरह उड़ते फिरेंगे। सितारे टूट कर गिर पड़ेंगे। यानी हर चीज़ टूट-फूट कर मिट जाएगी।

सवाल : सारे आदमी और जानदार कैसे मर जायेंगे?

जवाब : हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे। उसकी आवाज़ ऐसी डरावनी और सख़्त होगी कि उसके सदमे से सब मर जाएंगे और हर चीज़ टूट-फूट कर मिट जाएगी।

सवाल : क़यामत कब आएगी?

जवाब : क़यामत आने वाली है लेकिन उसका ठीक वक़्त ख़ुदा तआला के सिवा कोई नहीं जानता इतना मालूम है कि जुमे का दिन और मुहर्रम की दसवीं तारीख़ होगी। और हमारे पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने क़यामत की कुछ निशानियां बता दी हैं। इन निशानियों को देख कर क़यामत का क़रीब आ जाना मालूम हो सकता है।

सवाल : क़यामत की निशानियां क्या हैं?

जवाब : हुज़ूर सलअम ने फ़रमाया है कि: (1) जब दुनिया में गुनाह ज़्यादा होने लगें (2) लोग अपने मां-बाप की नाफ़रमानियां और उन पर सख़्तियाँ करने लगें (3) अमानत में ख़यानत होने लगें (4)गाने-बजाने, नाच-रंग ज़्यादा होने लगें (5) पिछले लोग पहले बुज़ुर्गों को बुरा कहने लगें (6) बे-पढ़े-लिखे और कम पढ़े लिखे लोग सरदार बन जायें। (7)

चरवाहे वग़ैरा छोटे दर्जे के लोग बड़ी ऊंची-ऊंची इमारतें बनाने लगें (8) ऐसे लोगों को जो क़ाबिल न हों बड़े-बड़े ओहदे मिलने लगें, तो समझो क़यामत आ गई है।

तक़दीर का बयान

सवाल : तक़दीर किसे कहते हैं?

जवाब : हर बात और अच्छी-बुरी चीज़ के लिए ख़ुदा तआला के इल्म में एक अन्दाज़ा मुक़र्र है और हर चीज़ के पैदा करने से पहले ख़ुदा तआला इसे जानता है ख़ुदा तआला के इसी इल्म और अन्दाज़े को तक़दीर कहते हैं। कोई अच्छी या बुरी बात ख़ुदा तआला के इल्म और अन्दाज़े से बाहर नहीं।

मरने के बाद ज़िन्दा होना

सवाल : मरने के बाद ज़िन्दा होने से क्या मतलब है?

जवाब : क़यामत में सब चीज़ें मिट जायेंगी। फिर इसराफ़ील अलैहिस्सलाम दोबारा सूर फूंकेंगे तो सब चीज़ें मौजूद हो जाएंगी। आदमी भी ज़िन्दा हो जाएंगे। हश्र के मैदान में ख़ुदा तआला के सामने

पेशी होगी। हिसाब लिया जाएगा। जिस दिन यह काम होंगे उस दिन को " यौमुल हश्र" (यानी जमा किए जाने का दिन), "यौमुल जज़ा" और "यौमुद्दीन" (यानी बदला देने का दिन) और "यौमुल हिसाब" (यानी हिसाब का दिन) कहते हैं।

सवाल : ईमान मुफ़स्सल में जिन सात चीज़ों का ज़िक्र है इनमें से अगर कोई दो-एक बातों को न माने तो क्या वह मुसलमान हो सकता है?

जवाब : कभी नहीं! जब तक खुदा तआला की तौहीद और पैग़म्बरों की पैग़म्बरी और खुदा तआला की किताबों और खुदा तआला के फ़रिश्तों और क़यामत के दिन और तक़दीर और मरने के बाद ज़िन्दा होने को न माने कभी मुसलमान नहीं हो सकता।

सवाल : हज़रत पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने पाँच चीज़ों पर इस्लाम की बुनियाद बयान फ़रमाई है और इनमें फ़रिश्तों और खुदा तआला की किताबों और क़यामत और तक़दीर वग़ैरा का कोई बयान नहीं है?

जवाब : इन पाँच चीज़ों में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का

बयान है। और जब कोई आदमी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया तो उसे आपकी बताई हुई सारी बातें माननी ज़रूरी होंगी। और खुदा तआला की किताब जो हज़रत सलअम लाए हैं उस पर ईमान लाना ज़रूरी होगा यह सब बातें जिनका ईमान मुफ़स्सल में बयान है, खुदा तआला की किताब कुरआन मजीद और पैग़म्बर स० से साबित हैं।

सवाल : इन सब बातों का दिल से यक़ीन और ज़ुबान से इक़रार करे लेकिन नमाज़ न पढ़े या ज़कात न दे या रोज़ा न रखे या हज न करे तो वह मुसलमान है या नहीं?

जवाब : हां मुसलमान तो है लेकिन सख़्त गुनहगार और खुदा तआला का नाफ़रमान है। ऐसे आदमी को फ़ासिक़ कहते हैं। ये लोग अपने गुनाहों की सज़ा पाकर आख़िर में छुटकारा पाएँगे।

तालीमुल इस्लाम हिस्सा (2) का दूसरा शोबा

जिसका मशहूर नाम है

तालीमुल अरकान या इस्लामी आमाल

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

"बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम"

सवाल : इस्लामी आमाल से क्या मतलब है?

जवाब : जिन पाँच चीज़ों पर इस्लाम की बुनियाद है इनमें पहली बात को ईमान कहते हैं। और इसका बयान पहले शोबे (खंड) में इस्लामी अक़ीदों के नाम से तुम पढ़ चुके हो। बाक़ी चार चीज़ों यानी नमाज़, ज़कात, रमज़ान का रोज़ा, हज बैतुल्लाह को इस्लामी आमाल कहते हैं। इस दूसरे हिस्से में नमाज़ का बयान है।

नमाज़

सवाल : नमाज़ किसे कहते हैं?।

जवाब : नमाज़ खुदा तआला की इबादत और बन्दगी करने का एक खास तरीक़ा है जो खुदा तआला ने और उसके पैग़म्बर सलअम ने बन्दों को सिखाया है।

सवाल : नमाज़ पढ़ने से पहले किन चीज़ों की ज़रूरत होती है?

जवाब : नमाज़ पढ़ने से पहले सात चीज़ों की ज़रूरत होती है जिनके बग़ैर नमाज़ नहीं होती। इन चीज़ों को नमाज़ की शर्तें और फ़र्ज़ कहते हैं।

सवाल : वे सात चीज़ें जो नमाज़ से पहले ज़रूरी हैं क्या हैं?

जवाब : (1) बदन का पाक होना (2) कपड़ों का पाक होना (3) जगह का पाक होना (4) सतर का छुपाना (5) नमाज़ का वक़्त होना (6) क़िब्ले की तरफ़ मुँह करना (7) निय्यत करना।

नमाज़ की पहली शर्त का बयान

सवाल : बदन के पाक होने से क्या मतलब है?

जवाब : बदन के पाक होने से यह मतलब है कि बदन पर किसी तरह की नजासत यानी नापाकी न हो।

सवाल : नजासत की कितनी क़िस्में हैं?

जवाब : नजासत यानी नापाकी की दो क़िस्में हैं। एक हक़ीक़ी दूसरी हुकमी।

सवाल : नजासत हक़ीक़ी किसे कहते हैं?

जवाब : वह दिखाई देने वाली नापाकी जो देखने में आ सके नजासत हक़ीक़िया कहलाती है जैसे पेशाब, पाख़ाना, ख़ून, शराब।

सवाल : नजासत हुकमिया किसे कहते हैं?

जवाब : वह नापाकी जो शरीअत के हुक्म से साबित हो मगर देखने में न आ सके, नजासत हुकमिया कहलाती है। जैसे बे वुज़ु होना गुस्ल की ज़रूरत होना।

सवाल : नमाज़ के लिए किस नजासत से बदन का पाक होना शर्त है?

जवाब : दोनों तरह की नापाकी से बदन का पाक होना ज़रूरी है।

सवाल : नजासत हुकमिया की कितनी क़िस्में हैं?

जवाब : दो क़िस्में हैं। एक छोटी नजासत हुकमिया इसे 'हदसे असग़र' कहते हैं और दूसरी बड़ी नजासत हुकमिया। इसे 'हदसे अक्बर' और 'जनाबत' कहते हैं।

सवाल : छोटी नजासत हुकमिया से बदन पाक करने का क्या तरीक़ा है?

जवाब : छोटी नजासत हुकमिया से बदन वुज़ू करने से पाक हो जाता है।

वुज़ू का बयान

सवाल : वुज़ू किसे कहते हैं?

जवाब : वुज़ू उसे कहते हैं कि आदमी जब नमाज़ पढ़ने का इरादा करे तो साफ़ बर्तन में पाक पानी लेकर पहले गट्टों तक हाथ धोये, फिर तीन बार कुल्ली करे, मिस्वाक करे, फिर तीन बार नाक में पानी डाले और नाक साफ़ करे। फिर तीन बार मुँह धोये। फिर कुहनियों तक दोनों हाथ धोये। फिर सर और कानों का मसह करे। फिर दोनों पाँव टख़नों तक। वुज़ू करने का तरीक़ा तालीमुल इस्लाम के पहले हिस्से में तुम पढ़ चुके हो।

सवाल : वुज़ू में क्या ये सब बातें ज़रूरी हैं?

जवाब : वुज़ू में कुछ बातें ज़रूरी हैं जिनके छूट जाने से वुज़ू नहीं होता उन्हें 'फ़र्ज़' कहते हैं और कुछ बातें ऐसी हैं जिनके छूट जाने से वुज़ू हो जाता है मगर अधूरा होता है उन्हें 'सुन्नत' कहते

हैं। और कुछ बातें ऐसी हैं कि उनके करने से सवाब ज़्यादा होता है और छूट जाने से कोई नुक़सान नहीं होता उन्हें 'मुस्तहब' कहते हैं।

सवाल : वुज़ू में फ़र्ज़ कितने हैं?

जवाब : वुज़ू में चार फ़र्ज़ हैं (1) माथे के बालों से ठोड़ी के नीचे तक और एक कान से दूसरे कान तक मुँह धोना (2) दोनों हाथों को कुहनियों समेत धोना (3) चौथाई सर का मसह करना (4) दोनों पाँव गट्टों समेत धोना।

सवाल : वुज़ू में कितनी सुन्नतें हैं?

जवाब : वुज़ू में तेरह सुन्नतें हैं:- (1) नीयत करना (2) बिस्मिल्लाह पढ़ना (3) पहले दोनों हाथ गट्टों तक धोना (4) मिस्वाक करना (5) तीन बार कुल्ली करना (6) तीन बार नाक में पानी डालना (7) दाढ़ी का ख़िलाल करना (8) हाथ-पाँव की उंगलियों का ख़िलाल करना (9) हर हिस्से को तीन बार धोना (10) एक बार सारे सर का मसह करना यानी भीगा हुआ हाथ फेरना (11) दोनों कानों का मसह करना (12) तरतीब से वुज़ू करना (13) इस तरह वुज़ू करना कि एक हिस्सा सूखने न पाए कि दूसरा धो ले।

सवाल : वुज़ू में मुस्तहब कितने हैं?

जवाब : वुज़ू में पांच चीज़ें मुस्तबह हैं (1)दाई तरफ़ से शुरू करना, कुछ आलिमों ने इसे सुन्नतों में गिना है और यही ज़्यादा ठीक है (2) गर्दन का मसह करना (3) वुज़ू के काम को खुद करना दूसरे से मदद न लेना (4) कि़ब्ले की तरफ़ मुँह करके बैठना (5) पाक और ऊंची जगह पर बैठकर वुज़ू करना।

सवाल : वुज़ू में कितनी चीज़ें मकरूह हैं?

जवाब : वुज़ू में चार चीज़ें मकरूह हैं:- (1) नापाक जगह पर वुज़ू करना (2) सीधे हाथ से नाक साफ़ करना (3) वुज़ू करने में दुनिया की बातें करना (4) सुन्नत के ख़िलाफ़ वुज़ू करना।

सवाल : कितनी चीज़ों से वुज़ू टूट जाता है?

जवाब : आठ चीज़ों से वुज़ू टूट जाता है, 'उन्हें' वुज़ू के नवाकि़ज़ कहते हैं (1) पाख़ाना-पेशाब करना या इन दोनों रास्तों से किसी और चीज़ का निकलना (2) रीह यानी हवा का पीछे से निकलना (3) बदन के किसी हिस्से से ख़ून या पीप का निकल कर बह जाना (4) मुँह भर के कै़ करना (5) लेट कर या सहारा लगाकर सो जाना (6) बीमारी या

किसी और वजह से बेहोश हो जाना (7)मजनू यानी दीवाना हो जाना (8) नमाज़ में खिलखिला कर हंसना।

गुस्ल का बयान

सवाल : बड़ी नजासत हुकमिया यानी हदसे अक्बर और जनाबत से बदन पाक करने का क्या तरीक़ा है?

जवाब : हदसे अक्बर या जनाबत से बदन गुस्ल करने से पाक हो जाता है।

सवाल : गुस्ल किसे कहते हैं?

जवाब : गुस्ल के माने हैं नहाना। मगर नहाने का शरीअत में एक ख़ास तरीक़ा है।

सवाल : गुस्ल का तरीक़ा क्या है?

जवाब : गुस्ल का तरीक़ा यह है कि पहले दोनों हाथ गट्टों तक धोये फिर इस्तिंजा करे और बदन से हक़ीक़ी नजासत धो डाले, फिर वुज़ू करे, फिर सारे बदन को थोड़ा पानी डालकर हाथ से मले, फिर सारे बदन पर तीन बार पानी बहाये, कुल्ली करे, नाक में पानी डाले।

सवाल : गुस्ल में फ़र्ज़ कितने हैं?

जवाब : गुस्ल में तीन फ़र्ज़ हैं:- (1) कुल्ली करना (2) नाक में पानी डालना (3) सारे बदन पर पानी बहाना।

सवाल : गुस्ल में सुन्नतें कितनी हैं?

जवाब : गुस्ल में पाँच सुन्नतें हैं- (1) दोनों हाथ गट्टों तक धोना (2) इस्तिंजा करना और जिस जगह बदन पर नापाकी लगी हो उसे धोना (3) नापाकी दूर करने की नीयत करना (4) पहले वुज़ू कर लेना (5) सारे बदन पर तीन बार पानी बहाना।

मोज़ों पर मसह करने का बयान

सवाल : किस तरह के मोज़ों पर मसह करना जाइज़ है?

जवाब : तीन तरह के मोज़ों पर मसह जाइज़ है- (1) चमड़े के मोज़े जिनसे पाँव गट्टों तक छुपे रहें (2) वे ऊनी-सूती मोजे जिनमें चमड़े का तला लगा हुआ हो। (3) वे ऊनी-सूती मोज़े जो इतने गाढ़े और मोटे हों कि खाली मोज़े पहनकर तीन-चार मील रास्ता चलने से न फटें।

सवाल : मोज़ों पर कब मसह जाइज़ है?

जवाब : जब वुज़ू करके या पांव धोकर मोज़े

पहने हों फिर वुज़ू टूटने की हालत में मोज़े पहने हुए हों।

सवाल : एक बार के पहने हुए मोज़ों पर कितने दिनों तक मसह जाइज़ है?

जवाब : अगर आदमी अपने घर या रहने की जगह हो तो एक दिन और एक रात मोज़ों पर मसह करे और सफ़र में हो तो तीन दिन तीन रात तक मसह जाइज़ है।

सवाल : मोज़ों पर किस तरह मसह करे?

जवाब : ऊपर की तरफ़ करना चाहिए। तलवों की तरफ़ या एड़ी की तरफ़ करने से मसह नहीं होता।

सवाल : वुज़ू और गुस्ल दोनों में मोज़ों पर मसह जाइज़ है या नहीं?

जवाब : वुज़ू में मोज़ों का मसह जाइज़ है गुस्ल में नहीं।

सवाल : मसह किस तरह करे?

जवाब : हाथ की उंगलियाँ पानी से भिगोकर तीन उंगलियाँ पांव के पंजे पर रखकर ऊपर की तरफ़ खींचे। उंगलियाँ पूरी रखे। सिर्फ़ उनके सिरे रखना काफ़ी नहीं।

सवाल : फटे हुए मोज़े पर मसह जाइज़ है

या, नहीं?

जवाब : अगर मोज़ा इतना फट गया कि पांव की तीन छोटी उंगलियों के बराबर पांव खुल गया या चलने में खुल जाता है तो उस पर मसह जाइज़ नहीं और उससे कम फटा हो तो जाइज़ है।

जबीरह पर मसह का बयान

सवाल : जबीरह किसे कहते हैं?

जवाब : जबीरह वह लकड़ी है जो टूटी हड्डी ठीक करने के लिए बाँधी जाती है। मगर यहाँ जबीरह से मतलब उस लकड़ी या ज़ख़्म की पट्टी या मरहम के फाये से है।

सवाल : इस लकड़ी या पट्टी या फाया पर मसह करने का क्या हुक्म है?

जवाब : अगर इस लकड़ी या पट्टी का खोलना और फाये का उखाड़ना नुक़सान पहुंचाये या ज़्यादा तकलीफ़ होती हो तो इस लकड़ी और पट्टी और फाये पर मसह कर लेना जाइज़ है।

सवाल : कितनी पट्टी पर मसह करे?

जवाब : सारी पट्टी पर मसह करना चाहिए। चाहे उसके नीचे ज़ख़्म हो या न हो।

सवाल : अगर पट्टी खोलने से नुक़सान और तकलीफ़ न हो तो क्या हुक्म है?

जवाब : अगर ज़ख़्म को पानी से धोना नुक़सान न पहुंचाए तो धोना ज़रूरी है। और पानी से धोना नुक़सान पहुंचाए लेकिन मसह से नुक़सान न हो तो ज़ख़्म पर मसह करना वाजिब है। और जब ज़ख़्म पर मसह करना भी नुक़सान पहुंचाए उस वक़्त पट्टी या फाया पर मसह करना जाइज़ है।

नजासत हक़ीक़िया का बयान

सवाल : नजासत हक़ीक़िया की कितनी क़िस्में हैं?

जवाब : नजासत हक़ीक़िया की दो क़िस्में हैं। एक नजासत ग़लीज़ा दूसरी नजासत ख़फ़ीफ़ा।

सवाल : नजासत ग़लीज़ा और नजासत ख़फ़ीफ़ा किसे कहते हैं?

जवाब : जो नापाकी कि सख़्त हो उसे नजासत ग़लीज़ा कहते हैं और जो नजासत कि हल्की हो उसे नजासत ख़फ़ीफ़ा कहते हैं।

सवाल : कितनी चीज़ें नजासत ग़लीज़ा हैं?

जवाब : आदमी का पेशाब-पाख़ाना और जानवरों का पाख़ाना और हराम जानवरों का पेशाब। और आदमी और जानवरों का बहता हुआ ख़ून और

शराब और मुर्ग़ी और बतख़ की बीट नजासत ग़लीज़ा है।

सवाल : नजासत ख़फ़ीफ़ा क्या-क्या चीज़ें हैं?

जवाब : हलाल जानवरों का पेशाब और हराम परिन्दों की बीट नजासत ख़फ़ीफ़ा है।

सवाल : नजासत ग़लीज़ा कितनी मुआफ़ है?

जवाब : नजासत ग़लीज़ा अगर गाढ़े बदन वाली है जैसे पाख़ाना तो वह साढ़े तीन माशा वज़न तक मुआफ़ है अगर पतली हो जैसे शराब, पेशाब तो वह एक अंग्रेज़ी (चाँदी के) रूपये के फैलाव के बराबर मुआफ़ है। मुआफ़ होने का मतलब यह है कि अगर इतनी नापाकी बदन या कपड़े पर लगी हो और नमाज़ पढ़ ले तो नमाज़ हो जाएगी मगर मकरूह होगी जान-बूझकर इतनी नजासत भी लगी रखना जाइज़ नहीं।

सवाल : नजासत ख़फ़ीफ़ा कितनी मुआफ़ है?

जवाब : चौथाई कपड़े या (बदन के) चौथाई हिस्से से कम हो तो मुआफ़ है।

सवाल : नजासत हक़ीक़िया से कपड़ा या बदन किस तरह पाक किया जाए?

जवाब : नजासत हक़ीक़िया चाहे गाढ़ी हो या

हल्की (यानी पतली) कपड़े पर हो या बदन पर पानी से तीन बार धो लेने से पाक हो जाती है। कपड़े को तीनों बार निचोड़ना भी ज़रूरी है।

सवाल : पानी के सिवा किसी और चीज़ से भी पाक हो सकती है या नहीं?

जवाब : हां- जो चीज़ें पतली और बहने वाली हैं जैसे सिर्का या तरबूज़ का पानी, इनके धोने से भी नजासत हक़ीक़िया पाक हो जाती हैं।

इस्तिंजे का बयान

सवाल : इस्तिंजा किसे कहते हैं?

जवाब : पाख़ाना-पेशाब करने के बाद जो नापाकी बदन पर लगी है उसके पाक करने को इस्तिंजा कहते हैं।

सवाल : पेशाब के बाद इस्तिंजा करने का क्या तरीक़ा है?

जवाब : पेशाब करने के बाद मिट्टी के पाक ढेले से पेशाब को सुखाना चाहिए। इसके बाद पानी से धो डालना चाहिए।

सवाल : पाख़ाने के बाद इस्तिंजे का क्या तरीक़ा है?

जवाब : पाख़ाने के बाद मिट्टी के तीन या पाँच ढेलों से पाख़ाने की जगह को साफ़ करे, फिर पानी से धो डाले।

सवाल : इस्तिंजा करना कैसा है?

जवाब : अगर पाख़ाना या पेशाब अपनी जगह से बढ़कर इधर-उधर न लगा हो तो इस्तिंजा करना मुस्तहब है और अगर निजासत इधर-उधर लग गई हो मगर एक दिरहम के बराबर या उससे कम लगी हो तो इस्तिंजा करना सुन्नत है और अगर एक दिरहम से ज़्यादा लगी हो तो इस्तिंजा फ़र्ज़ है।

सवाल : इस्तिंजा किन चीज़ों से करना चाहिए?

जवाब : मिट्टी के पाक ढेलों से या पत्थर से।

सवाल : इस्तिंजा किन चीज़ों से मकरूह है?

जवाब : हड्डी, लीद, गोबर और खाने की चीज़ों, कोयले और कपड़े और काग़ज़ से इस्तिंजा करना मकरूह है।

सवाल : इस्तिंजा किस हाथ से करना चाहिए?

जवाब : बाएँ हाथ से करना चाहिए। दाएँ हाथ से इस्तिंजा करना मकरूह है।

पानी का बयान

सवाल : किन पानियों से वुज़ू करना जाइज़ है?

जवाब : बारिश का पानी, चश्मे या कुँए का पानी, नदी या समुद्र का पानी, पिघली हुई बर्फ़ या ओलों का पानी, बड़े तालाब या बड़े हौज़ का पानी, इन सब पानियों से वुज़ू और गुस्ल करना जाइज़ है।

सवाल : किन पानियों से वुज़ू करना जाइज़ नहीं?

जवाब : फल और पेड़ का निचोड़ा हुआ पानी, शोरबा, वह पानी जिसका रंग, बू, मज़ा किसी पाक चीज़ के मिल जाने की वजह से बदल गया हो, ऐसा पानी जो थोड़ा हो और उसमें कोई नापाक चीज़ गिर गई हो या कोई जानवर गिरकर मर गया हो, वह पानी जिससे वुज़ू या गुस्ल किया गया हो, वह पानी जिस पर नापाकी का असर ज़्यादा हो, हराम जानवरों का झूटा पानी, सौंफ़, गुलाब या और किसी दवा का खेंचा हुआ अर्क़।

सवाल : जिस पानी से वुज़ू या गुस्ल किया गया हो उसे क्या कहते हैं?

जवाब : ऐसे पानी को मुस्तामल (इस्तेमाल

किया गया) पानी कहते हैं। जो खुद पाक है। मगर
उससे वुज़ू या गुस्ल करना जाइज़ नहीं।

सवाल : किन जानवरों का झूटा पानी नापाक है?

जवाब : कुत्ते, सुअर और शिकारी चौपाए का झूटा पानी नापाक है। इसी तरह बिल्ली जो चूहा या कोई और जानवर खाकर फ़ौरन पानी पी ले इसका झूटा भी नापाक है। जिस आदमी ने शराब पी और फ़ौरन पानी पी लिया इसका झूटा भी नापाक है।

सवाल : किन जानवरों का झूटा पानी मकरूह है?

जवाब : बिल्ली (अगर फ़ौरन चूहा न खाया हो), चूहा, छिपकली, बाहर फिरने वाली मुर्ग़ी, नापाकी खाने वाली गाय, भैंस, कौआ, चील, शिकरा और सारे हराम जानवरों का झूटा मकरूह है।

सवाल : किन जानवरों का झूटा पानी पाक है?

जवाब : आदमी और हलाल जानवरों का झूटा पानी पाक है जैसे गाय, बकरी, कबूतर, फ़ाख़्ता, घोड़ा।

सवाल : कौन-सा पानी नजासत के गिरने से नापाक हो जाता है?

जवाब : सिवाये दो पानियों के सब पानी नजासत के गिरने से नापाक हो जाते हैं। वे दो पानी ये हैं: पहला नदी या दरिया का बहता हुआ पानी। दूसरा ठहरा हुआ ज़्यादा पानी, जैसे बड़े तालाब या बड़े हौज़ का पानी।

सवाल : ठहरे हुए ज़्यादा पानी की क्या मिक़दार है?

जवाब : जो ठहरा हुआ पानी नम्बरी गज़ से साढ़े पाँच गज़ लम्बा और साढ़े पाँच गज़ चौड़ा हो वह ज़्यादा पानी है। जो हौज़ या तालाब कि इतना बड़ा हो वह बड़ा हौज़ और बड़ा तालाब समझा जायेगा।

सवाल : नजासत गिरने के सिवा और किस चीज़ से थोड़ा पानी नापाक हो जाता है?

जवाब : अगर पानी में कोई ऐसा जानवर गिर कर मर जाये जिस में बहता हुआ ख़ून होता है तो पानी नापाक हो जाता है जैसे चिड़िया, मुर्ग़ी, कबूतर, बिल्ली, चूहा।

सवाल : बड़े तालाब या हौज का पानी कब नापाक होता है?

जवाब : जब इसमें नजासत का मज़ा या रंग या बू ज़ाहिर हो जाये।

सवाल : किन जानवरों के पानी में मर जाने से पानी नापाक नहीं होता?

जवाब : जो जानवर कि पानी में पैदा होते और रहते हैं जैसे मछली, मेंढक, और वे जानवर जिन में बहता हुआ ख़ून नहीं है जैसे मक्खी, मच्छर, भिड़, छिपकली, चींटी इनके मरने से पानी नापाक नहीं होता।

कुएँ का बयान

सवाल : कुआँ किन चीज़ों से नापाक होता है?

जवाब : अगर नजासत ग़लीज़ा या ख़फ़ीफ़ा कुँए में गिर जाये या कोई बहते हुए ख़ून वाला जानवर कुँए में गिर कर मर जाये तो कुआँ नापाक हो जाता है।

सवाल : अगर कुएँ में कोई जानवर गिर कर ज़िन्दा निकल आये तो कुआँ पाक रहेगा या नापाक हो जायेगा?

जवाब : अगर ऐसा जानवर गिरे कि उसका झूटा नापाक है या वह जानवर गिरे जिसके बदन पर नजासत लगी थी तो कुआँ नापाक हो जायेगा। वह

हलाल या हराम जानवर जिनका झूटा नापाक नहीं और इनके बदन पर नजासत भी न हो अगर गिरें और ज़िन्दा निकल आयें तो जब तक उनके पेशाब या पाखाना कर देने का यक़ीन न हो जाये कुआँ नापाक न होगा।

सवाल : कुआँ जब नापाक हो जाये तो पाक करने का क्या तरीक़ा है?

जवाब : कुँए के पाक करने के पाँच तरीक़े हैं:- (1) जब कुँए में नजासत गिर जाये तो सारा पानी निकालने से पाक हो जायेगा (2) और जब आदमी या सुअर या कुत्ता या बकरी या दो बिल्लियाँ या इससे बड़ा कोई और जानवर गिर कर मर जाये तो सारा पानी निकालना पड़ेगा (3) और जब कोई बहते हुए खून वाला जानवर गिर कर फूल गया या फट गया तो सारा पानी निकालना होगा। चाहे वह जानवर छोटा हो या बड़ा (4) और जब कबूतर या मुर्ग़ी या बिल्ली या इतना ही बड़ा कोई जानवर गिर कर मर गया लेकिन फूला नहीं तो चालीस (40) डोल निकालने पड़ेंगे (5) अगर चूहा, चिड़िया या इतना ही बड़ा और कोई जानवर गिर कर मर गया

तो बीस (20) डोल निकालने पड़ेंगे। बीस की जगह तीस (30) और चालीस (40) की जगह साठ (60) डोल निकालना मुस्तहब है।

सवाल : अगर मरा हुआ जानवर कुएं में गिर जाये तो उसका क्या हुक्म है?

जवाब : मरे हुए जानवर के गिरने का वही हुक्म है जो कुँए में गिर कर मरने का बयान हुआ। जैसे:- बकरी मरी हुई गिरे तो सारा पानी निकाला जाये और बिल्ली मरी हुई गिरे तो चालीस (40) या साठ (60) डोल और चूहा मरा हुआ गिरे तो बीस (20) या तीस (30) डोल निकाले जायें।

सवाल : अगर फूला हुआ या फटा हुआ जानवर गिर जाये तो क्या हुक्म है?

जवाब : सारा पानी निकालना होगा। जैसे कि कुएं में गिर कर मरता और फूलता और फट जाता।

सवाल : अगर कुँए में से मरा हुआ जानवर निकले और मालूम न हो कि कब गिरा है तो क्या हुक्म है?

जवाब : जिस वक़्त से देखा जाये उसी वक़्त

से कुआँ नापाक समझा जायेगा।

सवाल : डोल से कितने बड़े डोल से मतलब है?

जवाब : जिस कुँए पर जो डोल पड़ा रहता है वही ठीक है।

सवाल : जितने डोल निकालने हैं एक ही बार निकालने चाहियें या कई बार करके निकालना जाइज़ है?

जवाब : कई बार करके निकालना भी जाइज़ है जैसे साठ डोल निकालने हैं, बीस सुबह को निकाले, बीस दोपहर को और बीस शाम को, तो यह भी जाइज़ है।

सवाल : जिस डोल रस्सी से नापाक कुएं का पानी निकाला जाये वह पाक है या नापाक?

जवाब : जब इतना पानी निकाल डाला जितना निकालना चाहिए था तो कुआँ डोल और रस्सी सब पाक हो जाते हैं।

सवाल : जिस डोल रस्सी से नापाक कुएं का पानी निकाला जाये वह पाक है या नापाक?

जवाब : जब इतना पानी निकाल डाला जितना निकालना चाहिए था तो कुआं, डोल और रस्सी सब पाक हो जाते हैं।

तालीमुल-इस्लाम

तीसरा हिस्सा

मुसन्निफ़
हज़रत मुफ़्तिए आज़म
मौलाना मुहम्मद किफ़ायतुल्लाह (रह०)

© नाशिर
कुतुबख़ाना अज़ीज़िया
उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद, दिल्ली-6

© Publishers
KUTUB KHANA AZIZIA
4174, Urdu Bazar, Jama Masjid,
Delhi-110006 (INDIA)
Ph: 23266422 Fax: 23266067
E-mail: alamgeertc@yahoo.com

तालीमुल-इस्लाम के तीसरे हिस्से में तौहीद और रिसालत वग़ैरा के अलावा ग़ुस्ल, वुज़ू, तयम्मुम और नमाज़ के तमाम ज़रूरी मसअले बयान किये गये हैं।

नमाज़ हर मुसलमान आक़िल, बालिग़, मर्द औरत पर फ़र्ज़ की गई है। नमाज़ को हदीस शरीफ़ में दीन का सुतून फ़रमाया गया है।

क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज़ का सवाल किया जायेगा।

अल्लाह तआला हम सबको नमाज़ सीखने और पाबन्दी से पढ़ने की तौफ़ीक़ दे। आमीन।

तालीमुल-इस्लाम हिस्सा 3 का पहला शोबा

जिसका मशहूर नाम है

तालीमुल ईमान या इस्लामी अक़ीदे

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

"बिस्मिल्लाहिर्रहमा निर्रहीम"

तर्जुमा :- (शुरू करता हूं मैं) साथ नाम अल्लाह के (जो) निहायत रहम वाला मेहरबान है।

तौहीद

सवाल : तौहीद के क्या माने हैं?

जवाब : दिल से अल्लाह तआला को एक समझने और ज़ुबान से उसका इक़रार करने को तौहीद कहते हैं।

सवाल : ख़ुदा तआला के एक होने का मख़लूक़ को कैसे पता चला?

जवाब : पहली बात यह कि इन्सान की अक़्ल (बशर्ते कि अक़्ल सही हो) ख़ुदा तआला के मौजूद होने

और उसके एक होने का यक़ीन रखती है। और इसी वजह से दुनिया में जितने बड़े-बड़े अक्लमन्द, हकीम और फ़लसफ़ी हुए हैं वे सब ख़ुदा तआला की तौहीद के क़ाइल हैं।

दूसरे यह कि ख़ुदा तआला के पैग़म्बरों ने एक राय होकर मख़लूक़ को तौहीद की तालीम दी और बताया कि अल्लाह तआला एक है, उस जैसा और कोई दूसरा नहीं।

सवाल: क्या क़ुरआन मजीद में तौहीद की तालीम दी गयी है?

जवाब : हां! क़ुरआन मजीद में तौहीद की तालीम पूरी और आला दर्जे पर दी गयी है। बल्कि आज दुनिया में सिर्फ़ क़ुरआन मजीद ही ऐसी किताब है जो ख़ालिस तौहीद की तालीम देती है। अगर्चे पहली आसमानी किताबों में भी तौहीद की तालीम थी लेकिन इन तमाम किताबों में लोगों ने अदल-बदल कर डाली और तौहीद के ख़िलाफ़ बातें दाख़िल कर दीं और ख़ुदा की भेजी हुई आसमानी तालीम को बदल दिया। इसकी इस्लाह के लिए और सच्ची तौहीद दुनिया में फैलाने के लिए अल्लाह तआला ने हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को भेजा और अपनी ख़ास किताब क़ुरआन

मजीद नाज़िल फ़रमाई और उसमें साफ़-साफ़ सच्ची और ख़ालिस तौहीद की तालीम दी।

सवाल : क़ुरआन मजीद की किन आयतों से तौहीद साबित होती है?

जवाब : तमाम क़ुरआन मजीद में शुरू से आख़िर तक तौहीद की तालीम भरी हुई है। कुछ आयतें ये हैं:-

وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ

"व इलाहुकुम इलाहुंव वाहिद। ला इला-ह इल्लाहुवर्रहमानुर्रहीम।" (सूरः बक़र : रूकू 19) यानी:- तुम्हारा माबूद एक अल्लाह है। उसके सिवा कोई माबूद नहीं वह बहुत बड़ा मेहरबान है। दूसरी आयत यह है:-

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ

وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (آل عمران ع۲)

"शहिदल्लाहु अन्नहु ला इला-ह इल्ला हु-वल मलाइ क-तु व उलुल इल्मि क़ाइमम बिल क़िस्त। ला इला-ह इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम" (सूरः आल इमरान, रूकू 2) यानी :- ख़ुदा तआला गवाह है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और फ़रिश्ते और इल्म वाले भी इस बात की गवाही देते हैं। वह इन्साफ़ क़ायम रखने वाला है उसके सिवा कोई माबूद नहीं वह ग़ालिब हिकमत वाला है।

इसी तरह और बेहिसाब आयतें ख़ुदा की तौहीद की तालीम देती हैं जैसे:-

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ○

"क़ुल हुवल्लाहु अहद" यानी :- तू कह कि अल्लाह एक है वग़ैरह।

सवाल : ख़ुदा तआला का ज़ाती नाम क्या है?

जवाब : ख़ुदा तआला का ज़ाती नाम अल्लाह है। इसको इस्मे ज़ात और इस्मे ज़ाती भी कहते हैं।

सवाल : लफ़्ज़ अल्लाह के सिवा ख़ुदा तआला के और नामों को (जैसे ख़ालिक़ रज़्ज़ाक़, वग़ैरह) क्या कहते है?

जवाब : लफ़्ज़ अल्लाह के सिवा ख़ुदा तआला के और नामों को सिफ़ाती नाम कहते हैं।

सवाल : सिफ़ाती नाम के क्या माने हैं?

जवाब : ख़ुदा तआला की बहुत सी सिफ़तें हैं जैसे क़दीम होना (यानी हमेशा से होना और हमेशा रहना) आलिम (यानी हर चीज़ को जानने वाला) होना, क़ादिर (यानी हर चीज़ पर उसकी ताक़त और क़ुदरत) होना, हैयु (यानी ज़िन्दा) होना, वग़ैरा। तो जो नाम कि इन सिफ़तों में से किसी सिफ़त को ज़ाहिर करे उसको सिफ़ाती नाम कहते हैं।

इसकी मिसाल ऐसी समझो जैसे कि आदमी का नाम जमील है, जो सिर्फ़ उसकी ज़ात के लिहाज़ से पहचान के लिये रखा गया है। इसमें किसी सिफ़त का लिहाज़ नहीं। लेकिन इसने इल्म भी सीखा है, लिखना भी जानता है, क़ुरआन मजीद भी हिफ़्ज़ याद है और इन सिफ़तों के लिहाज़ से उसे आलिम, मुन्शी, हाफ़िज़ भी कहते हैं। तो जमील उसका ज़ाती नाम है और आलिम, मुन्शी हाफ़िज़ सिफ़ाती नाम कहलायेंगे। क्योंकि उसके इल्म की सिफ़त या लिखना जानने की सिफ़त या क़ुरआन मजीद याद होने की सिफ़त के लिहाज़ से ये नाम रखे गए हैं।

इसी तरह लफ़्ज़ अल्लाह तो ख़ुदा तआला का ज़ाती नाम या इस्मे ज़ात है और ख़ालिक़, क़ादिर आलिम, मालिक वग़ैरह इसके सिफ़ाती नाम हैं।

सवाल : ख़ुदा तआला का ज़ाती नाम तो एक लफ़्ज़ अल्लाह है, उसके सिफ़ाती नाम कितने हैं?

जवाब : क़ुरआन मजीद में अल्लाह तआला ने फ़रमाया है:-

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا (اعراف ع ٢٢)

वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा (सूरः आराफ़ रूकू 22) यानी:- ख़ुदा तआला के बहुत से

अच्छे नाम हैं तो उन्हीं नामों से उसे पुकारा करो।

और हदीस शरीफ़ में है :-

إِنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰى تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ اِسْمًا مِائَةً اِلَّا وَاحِدًا (بخاری)

इन न लिल्लाहि तआला तिस-अतंव व तिस्ई-न इस्मम मिअतन इल्ला वाहिदन (बुख़ारी) यानी "बेशक अल्लाह तआला के निन्नानवे (९९) यानी एक कम सौ नाम है।"

मलाइका या फ़रिश्ते

सवाल : मुक़र्रब फ़रिश्तों के सिवा और सब फ़रिश्तों का दर्जा आपस में बराबर है या कम ज़्यादा दर्जा रखते हैं?

जवाब : चार मुक़र्रब फ़रिश्ते जिनके नाम तुम तालीमुल इस्लाम के दूसरे हिस्से में पढ़ चुके हो सब फ़रिश्तों से बड़ा दर्जा रखते हैं। इनके सिवा और फ़रिश्ते भी आपस में कम ज़्यादा दर्जा रखते हैं। कोई ज़्यादा मुक़र्रब है कोई कम।

सवाल : फ़रिश्ते क्या काम करते हैं?

जवाब : तमाम आस्मानों और ज़मीन में बेहिसाब फ़रिश्ते मुख़तलिफ़ कामों पर मुक़र्रर हैं। यूं समझो कि आस्मान और ज़मीन के सारे इन्तिज़ाम ख़ुदा तआला ने

फ़रिश्तों के ज़िम्मे कर रखे हैं और फ़रिश्ते सब इन्तिज़ाम ख़ुदा तआला के हुक्म के मुवाफ़िक़ पूरे करते रहते हैं।

सवाल : फ़रिश्तों के कुछ काम बताओ?

जवाब : हज़रत जिब्रईल अलैहिस्सलाम ख़ुदा तआला के पैग़ाम, अहकाम और किताबें पैग़म्बरों के पास लाते थे। कई बार अम्बिया अलैहिस्सलाम की मदद करने और ख़ुदा और रसूल के दुश्मनों से लड़ने के लिए भी भेजे गए। कई बार ख़ुदा तआला ने ना फ़रमान बन्दों पर अज़ाब भी उनके ज़रिये से भेजा।

हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम दुनिया को रोज़ी पहुंचाने और बारिश वग़ैरा के इन्तिज़ाम पर मुक़र्रर हैं और बेहिसाब फ़रिश्ते उनकी मातेहती में काम करते हैं। कुछ बादलों के इन्तिज़ाम पर मुक़र्रर हैं। कुछ हवाओं के इन्तिज़ाम पर मामूर हैं और कुछ दरियाओं, तालाबों, नहरों पर मुक़र्रर हैं। और इन सब चीज़ों का इन्तिज़ाम ख़ुदा तआला के हुक्म के मुवाफ़िक़ करते हैं।

हज़रत इस्राफ़ील अलैहिस्सलाम क़यामत को सूर फूंकेंगे।

हज़रत इज़राईल अलै० मख़लूक़ की जान निकालने पर मुक़र्रर हैं और उनकी मातेहती में भी बेहिसाब फ़रिश्ते काम करते हैं।

नेक बन्दों की जान निकालने वाले फ़रिश्ते अलग हैं

और बुरे काम करने वाले आदमियों की जान निकालने वाले अलग हैं। इनके सिवा फ़रिश्तों के कुछ काम ये हैं:

(1) हर इन्सान के साथ दो फ़रिश्ते रहते है। एक फ़रिश्ता उसके नेक काम लिखता है और दूसरा बुरे काम लिखता है। इन फ़रिश्तों को किरामन कातिबीन कहते हैं।

(2) कुछ फ़रिश्ते आफ़तों और मुसीबतों से इन्सान की हिफ़ाज़त करने पर मुक़र्रर हैं। बच्चों, बूढ़ों, कमज़ोरों की और जिन लोगों के बारे में ख़ुदा तआला का हुक्म होता है उनकी हिफ़ाज़त करते हैं।

(3) कुछ फ़रिश्ते इन्सान के मर जाने के बाद क़ब्र में उससे सवाल करने पर मुक़र्रर हैं। हर इन्सान की क़ब्र में दो फ़रिश्ते आते हैं उनको मुनकर और नकीर कहते हैं।

(4) कुछ फ़रिश्ते इस काम पर मुक़र्रर हैं कि दुनिया में फिरते रहें और जहां अल्लाह तआला का ज़िक्र होता हो, वअज़ होता हो, क़ुरआन मजीद पढ़ा जाता हो और दुरूद शरीफ़ पढ़ा जाता हो, दीन के इल्म की तालीम होती हो-ऐसी मजलिसों में हाज़िर हों और जितने लोग इस मजलिस में, इस नेक काम में शरीक हों उनकी शिरकत

की गवाही ख़ुदा तआला के सामने दें।

दुनिया में जो फ़रिश्ते काम करते हैं उनकी सुबह-शाम तब्दीली भी होती है। सुबह की नमाज़ के वक़्त रात वाले फ़रिश्ते आसमानों पर चले जाते हैं और दिन में काम करने वाले आ जाते हैं। और अस्र की नमाज़ के बाद दिन वाले फ़रिश्ते चले जाते हैं, रात में काम करने वाले आ जाते हैं।

(5) कुछ फ़रिश्ते जन्नत के इन्तिज़ामों और उसके कारोबार पर मुक़र्रर हैं।

(6) कुछ फ़रिश्ते दोज़ख़ के इन्तिज़ाम पर मुक़र्रर हैं।

(7) कुछ फ़रिश्ते ख़ुदा तआला के अर्श के उठाने वाले हैं।

(8) कुछ फ़रिश्ते ख़ुदा तआला की इबादत और तस्बीह व तक़दीस में मशग़ूल रहते हैं।

सवाल : यह कैसे मालूम हुआ कि फ़रिश्ते ये काम करते हैं?

जवाब : ये सारी बातें क़ुरआन मजीद और हदीसों मे आई हैं।

ख़ुदा तआला की किताबें

सवाल : तौरेत, ज़बूर और इंजील का आस्मानी किताबें होना कैसे मालूम हुआ?

जवाब : इन तीनों किताबों का आस्मानी किताबें होना क़ुरआन मजीद से साबित होता है। तौरेत के बारे में अल्लाह तआला ने फ़रमाया है:-

إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ (مائدہ، ع۷)

"इन्ना अन्ज़लनत्तौरात फ़ीहा हुदंव व नूरून" (माइदा रू० ७) यानी बेशक हमने तौरेत उतारी, इसमें हिदायत व नूर है।"

ज़बूर के बारे में

फ़रमाया : وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا (نساء ع۳۳)

"व आतैना दाऊ-द ज़बूरन" (निसा रू० 33) यानी: "हमने दाऊद को ज़बूर दी।"

इन्जील के बारे में फ़रमाया :

وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ (حدید ع۴)

व कफ़्फ़ैना बि ईसब्नि मर-य-म व आतैना हुल इन्जील (हदीद रू० 4) यानी : "हमने मर्यम के बेटे ईसा को भेजा और उन्हें इन्जील दी।"

पस मुसलमानों को क़ुरआन मजीद के ज़रिये से इन तीनों किताबों का आस्मानी किताबें होना मालूम हुआ।

सवाल : अगर कोई आदमी तौरेत, ज़बूर, इन्जील को ख़ुदा तआला की किताबें न माने तो वह कैसा है।?

जवाब : ऐसा आदमी काफ़िर है। क्योंकि इन किताबों का ख़ुदा की किताबें होना क़ुरआन मजीद से साबित हुआ है तो जो आदमी इनको ख़ुदा की किताबें नहीं मानता वह क़ुरआन मजीद की बताई हुई बात को नहीं मानता है। और जो क़ुरआन मजीद की बताई हुई बात को न माने वह काफ़िर है।

सवाल : तो क्या यह तौरेत, ज़बूर और इन्जील जो ईसाईयों के पास मौजूद हैं वही अस्ली आस्मानी तौरेत, ज़बूर और इन्जील हैं?

जवाब : नहीं! क्योंकि क़ुरआन मजीद से यह बात भी साबित होती है कि इन किताबों को लोगों ने अदल-बदल कर दिया है-मौजूदा तौरेत, ज़बूर और इन्जील वे अस्ली आस्मानी किताबें नहीं हैं बल्कि इनमें तहरीफ़ (अदल-बदल) हुई है। इसलिए इन मौजूदा तीनों किताबों के बारे में यह यक़ीन नहीं रखना चाहिए कि ये अस्ली आस्मानी किताबें हैं।

सवाल : यह कैसे मालूम हुआ कि कुछ पैग़म्बरों पर सहीफ़े उतरे थे?

जवाब : क़ुरआन मजीद से साबित है कि कुछ पैग़म्बरों पर सहीफ़े नाज़िल हुए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों का ज़िक्र सूरत "सब्बिहिस-म रब्बिकल आला" में मौजूद है।

सवाल : क़ुरआन मजीद ख़ुदा तआला की किताब है या उसका कलाम?

जवाब : क़ुरआन मजीद ख़ुदा तआला की किताब भी है और ख़ुदा तआला का कलाम भी है। क़ुरआन मजीद में इसको किताबुल्लाह भी फ़रमाया है और कलामुल्लाह भी।

सवाल : तौरेत, ज़बूर, इन्जील और क़ुरआन मजीद में से अफ़ज़ल कौन सी किताब है?

जवाब : क़ुरआन मजीद सबसे अफ़ज़ल है।

सवाल : क़ुरआन मजीद को पहली किताबों पर क्या फ़ज़ीलत है?

जवाब : बहुत सी फ़ज़ीलतें हैं, जिनमें से कुछ फ़ज़ीलतें ये हैं:-

पहली यह कि क़ुरआन मजीद का एक-एक हर्फ़ और एक एक लफ़्ज़ महफ़ूज़ है, इसमें एक

नुक़्ते की भी कमी-बेशी नहीं हुई और न क़यामत तक हो सकेगी। और पहली किताबों में लोगों ने अदल-बदल कर डाली।

दूसरी यह कि क़ुरआन मजीद की नज़्म (इबारत) मूजिज़ है। यानी ऐसे ऊँचे दर्जे की इबारत है कि क़ुरआन मजीद की छोटी से छोटी सूरत जैसी कोई सूरत कोई आदमी नहीं बना सकता।

तीसरी यह कि क़ुरआन मजीद आख़िरी शरीअत के क़ानून लाया है। इसलिए इसके बहुत से कानूनों ने पहली किताबों के हुक्मों को मन्सूख़ कर दिया।

चौथी यह कि पहली किताबें एक बार ही इकट्ठी नाज़िल हुईं और क़ुरआन मजीद तेईस (23) साल तक ज़रूरतों के लिहाज़ से थोड़ा-थोड़ा नाज़िल होता रहा। धीरे-धीरे और ज़रूरतों के वक़्त उतरने की वजह से लोगों के दिलों में उतरता गया और सैकड़ों मुसलमान होते गये।

पाँचवीं यह कि क़ुरआन मजीद हज़ारों-लाखों मुसलमानों के सीनों में महफ़ूज़ है और यह सीना ब सीना हिफ़ाज़त रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने से आज तक बराबर चली आती है और इन्शाअल्लाह तआला क़यामत तक जारी रहेगी।

इसी सीना ब सीना हिफ़ाज़त की वजह से इस्लाम के

दुश्मनों को किसी वक़्त यह मौक़ा न मिला कि क़ुरआन में कमी-बेशी कर सकें, या इसे दुनिया से मिटा दें। और न ख़ुदा चाहे क़यामत तक ऐसा मौक़ा मिलेगा।

छटी यह कि क़ुरआन मजीद के हुक्म ऐसे मोतदिल हैं कि हर ज़माने और हर क़ौम के लिये मुनासिब हैं। दुनिया में कोई ऐसी क़ौम नहीं कि वह क़ुरआन मजीद के हुक्मों पर अमल करने से आजिज़ हो। चूँकि क़ुरआन मजीद के हुक्म हर ज़माने और हर क़ौम के मुनासिब हैं इसलिए क़ुरआन मजीद के नाज़िल होने के बाद किसी दूसरी शरीअत और किसी दूसरी आस्मानी किताब की हाजत बाक़ी नहीं रही और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रिसालत तमाम दुनिया के लिए आम कर दी गई।

रिसालत

सवाल : सब पैग़म्बरों की गिन्ती और नाम तो मालूम नहीं मगर मशहूर पैग़म्बरों के कुछ नाम बताओ।

जवाब : मशहूर पैगम्बरों के कुछ नाम ये है:-

हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत शीस अलै० हज़रत इद्रीस अलै० हज़रत नूह अलै०, हज़रत इब्राहीम अलै०, हज़रत इस्माईल अलै०, हज़रत इस्हाक़ अलै०,

हज़रत याक़ूब अलै०, हज़रत यूसुफ़ अलै०, हज़रत दाऊद अलै०, हज़रत सुलेमान अलै०, हज़रत मूसा अलै०, हज़रत हारून अलै०, हज़रत ज़करीया अलै०, हज़रत यूनुस अलै०, हज़रत लूत अलै०, हज़रत स्वालिह अलै०, हज़रत हूद अलै०, हज़रत शुऐब अलै०, हज़रत ईसा अलै० हज़रत ख़ातिमुन नबीयीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।

सवाल : आँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अरब के किस ख़ानदान में से हैं?

जवाब : हुज़ूर ख़ानदान क़ुरैश में से हैं। अरब के सब ख़ानदानों में क़ुरैश ख़ानदान की इज़्ज़त और दर्जा ज़्यादा था। क़ुरैश ख़ानदान के लोग अरब के दूसरे ख़ानदानों के सरदार माने जाते थे। फिर क़ुरैश ख़ानदान की एक शाख़ बनी हाशिम थी जो क़ुरैश की दूसरी शाख़ों से ज़्यादा इज़्ज़त रखती थी। हुज़ूर इसी शाख़ यानी बनी हाशिम में से थे। इसी वजह से हुज़ूर को हाशमी कहते हैं।

सवाल : हाशिम कौन थे जिनकी औलाद बनी हाशिम कहलाती है?

जवाब : हुज़ूर के परदादा का नाम हाशिम है आपके ख़ानदान का सिलसिला इस तरह है:- मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ़।

सवाल : आँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम

की पुश्तों में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद और कोई पैग़म्बर हैं या नहीं?

जवाब : हां! आप हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में हैं और हज़रत इस्माइल अलै0, हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह अलै0 के साहिब-ज़ादे हैं। इन दोनों के अलावा हज़रत नूह अलै0 और हज़रत इद्रीस अलै० और हज़रत शीस अलै0 हुज़ूर के नसब के सिलसिले में दाख़िल है।

सवाल : हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को कितनी उम्र में पैग़म्बरी मिली है?

जवाब : हुज़ूर की उम्र मुबारक चालीस (40) साल की थी कि आप पर वही नाज़िल हुई।

सवाल : वही से क्या मतलब है?

जवाब : वहीं से मतलब यह है कि ख़ुदा तआला ने अपने हुक्म और अपना कलाम हुज़ूर पर उतारना शुरू किया।

सवाल : वही नाज़िल होने के बाद कितने दिनों तक हुज़ूर ज़िन्दा रहे?

जवाब : तेईस साल। तेरह साल मक्का मुअज़्ज़मा में और दस साल मदीना मुनव्वरा में।

सवाल : मदीना मुनव्वरा में आप क्यों चले गये थे?

जवाब : जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मक्का मुअज़्ज़मा के लोगों को ख़ुदा तआला की तौहीद की तालीम दी और उनसे फ़रमाया कि बुत परस्ती छोड़ दो और एक ख़ुदा पर ईमान लाओ तो वे लोग आपके दुश्मन हो गए क्योंकि व बुतों की इबादत करते और उनको माबूद समझते थे। और तरह तरह से उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वे सल्लम को तक्लीफ़ें पहुंचानी शुरू कर दीं। हुज़ूर अनवर स० उनकी अदावत और दुश्मनी की सख़्तियां और तक्लीफ़ें बर्दाश्त करते और तौहीद की तालीम देते और ख़ुदा तआला के हुक्म पहुंचाते रहे। मगर जब उनकी दुश्मनी की कोई हद बाक़ी न रही और सबने मिल कर हुज़ूर को क़त्ल कर देने का इरादा कर लिया तो हुज़ूर अनवर स० ख़ुदा तआला के हुक्म से अपने प्यारे वतन मक्का मुअज़्ज़मा को छोड़कर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गये। मदीना मुनव्वरा के लोग पहले मुसलमान हो चुके थे और वे हुज़ूर के मदीना में तशरीफ़ लाने के बड़े मुश्ताक़ थे। जब हुज़ूर अनवर स० मदीना मुनव्वरा में पहुंचे तो इन मुसलमानों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की और हुज़ूर के साथियों की अपनी जान व माल से मदद और इआनत की।

हुज़ूर के मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ ले जाने की ख़बर सुनकर और मुसलमान भी जिनको काफ़िर सताते रहते थे धीरे-धीरे मदीना मुनव्वरा में चले गये।

आँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मक्का से मदीना मुनव्वरा चले जाने को हिजरत कहते हैं और उन मुसलमानों को जो अपने घर-बार छोड़कर मदीना में चले आये मुहाजिरीन कहते हैं। और मदीना के मुसलमान जिन्होंने आँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुहाजिरीन की मदद की उन्हें अन्सार कहते हैं।

सवाल : आँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबुव्वत के दावे से पहले अरब के लोग आपको कैसा समझते थे?

जवाब : नबुव्वत के दावे से पहले सब लोग आपको बड़ा ही सच्चा, पाकबाज़ और अमानतदार आदमी समझते थे। मुहम्मद अमीन कहकर पुकारते थे, जिसका मतलब यह है कि आप उनके नज़दीक बहुत ही मोतबर और सच्चे आदमी थे और सब लोग आपकी बहुत इज़्ज़त और तौक़ीर करते थे।

सवाल : इस बात की क्या दलील है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सबसे पिछले

पैग़म्बर हैं और आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा?

जवाब : पहली बात यह कि क़ुरआन मजीद में अल्लाह तआला ने आपको ख़ातिमुन्नबीयीन फ़रमाया है जिसका मतलब यह है कि आप सब पैग़म्बरों में आख़िरी पैग़म्बर हैं।

दूसरी यह कि: हुज़ूर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है :-

أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي

"अना ख़ातिमुन्नबीयीन लानबीय बादी" यानी - मैं पिछला नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी आनेवाला नहीं।

तीसरी यह कि अल्लाह तआला ने क़ुरआन मजीद में फ़रमाया है :-

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا (مائدہ ع ۱)

"अलयौ-म अकमल्तु लकुम दी-न-कुम व अतमम्तु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्ला-म दीनन"

(माइदः रू. 1) यानी - आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया और अपनी नेमत तुम्हारे ऊपर पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम दीन पसन्द किया।"

इससे साबित हुआ कि हुज़ूर के ज़रिये से ख़ुदा तआला ने दीन की तक्मील कर दी और इस्लाम हमेशा के लिये हर तरह कामिल व मुकम्मल दीन हो गया। इसलिये हुज़ूर के बाद किसी पैग़म्बर के आने की ज़रूरत ही नहीं रही।

सवाल : इस बात की क्या दलील है कि हज़रत रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सब पैग़म्बरों से दर्जे में बड़े हैं?

जवाब : हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का सब पैग़म्बरों से अफ़ज़ल होना क़ुरआन मजीद की कई आयतों से साबित होता है। और ख़ुद हुज़ूर ने भी फ़रमाया है:- اَنَا سَيِّدُ وُلْدِ اٰدَمَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

"अना सैयिदु वुल्दि आ-द-म यौमल क़ियामति" यानी: मैं क़यामत के दिन सब औलाद आदम का सरदार हुंगा।" और ज़ाहिर है आदम की औलाद में सब पैग़म्बर अलै० भी शामिल हैं। तो आं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सब पैग़म्बरों से अफ़ज़ल और उनके सरदार हुए।

सहाबए-किराम का बयान

सवाल : सहाबी किसे कहते हैं?

जवाब : सहाबी उस आदमी को कहते हैं जिसने ईमान की हालत में हुज़ूर को देखा हो या आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुआ हो और ईमान के ऊपर उसकी मौत हुई हो।

सवाल : सहाबी कितने हैं?

जवाब : हज़ारों हैं- जो आपकी ख़िदमत में हाज़िर होकर मुसलमान हुए और इस्लाम पर उनका इन्तिक़ाल हुआ।

सवाल : सब सहाबी मर्तबे में बराबर हैं या कम ज़्यादा?

जवाब : सहाबा रज़ि० के मर्तबे आपस में कम-ज़्यादा हैं लेकिन सब सहाबी बाक़ी उम्मत से अफ़ज़ल हैं।

सवाल : सहाबियों में अफ़ज़ल सहाबी कौन हैं?

जवाब : सब सहाबियों में चार सहाबी सबसे अफ़ज़ल हैं-

पहले हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अनहु जो सारी उम्मत से अफ़ज़ल हैं। दूसरे हज़रत उमर फ़ारूक़

रज़ि० जो हज़रत अबूबक्र रज़ि० के सिवा सारी उम्मत से अफ़्ज़ल हैं। तीसरे हज़रत उस्मान ग़नी रज़ि० जो हज़रत अबूबक्र रज़ि० और हज़रत उमर रज़ि० के बाद सारी उम्मत से अफ़ज़ल हैं। चौथे हज़रत अली रज़ि० जो हज़रत अबूबक्र और हज़रत उमर रज़ि० और हज़रत उस्मान ग़नी रज़ि० के बाद सारी उम्मत से अफ़्ज़ल हैं। यही चारों बुज़ुर्ग हुज़ूर रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपके ख़लीफ़ा हुए।

सवाल : ख़लीफ़ा होने का क्या मतलब है?

जवाब : हुज़ूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद दीन का काम संभालने और जो इन्तिज़ामात हुज़ूर स० फ़रमाते थे उन्हें क़ायम रखने में जो आदमी आपका क़ायम मुक़ाम हो उसे ख़लीफ़ा कहते हैं। ख़लीफ़ा के माने क़ायम मुक़ाम और नायब के हैं। हुज़ूर स० की वफ़ात के बाद मुस्लमानों के इत्तिफ़ाक़ से हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ि० हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ायम मुक़ाम बनाए गये इसलिए यह ख़लीफ़ा अव्वल हैं। इनके बाद हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ि० दूसरे ख़लीफ़ा हुए। इनके बाद हज़रत उस्मान रज़ि० तीसरे ख़लीफ़ा हुए। इनके बाद हज़रत अली रज़ि० चौथे ख़लीफ़ा हुए। इन चारों को

ख़ुलफ़ाए अरबआ (चार ख़लीफ़ा) और ख़ुलफाए राशिदीन और चार यार कहते हैं।

विलायत और औलिया अल्लाह का बयान

सवाल : वली किसे कहते हैं?

जवाब : जो मुसलमान ख़ुदा तआला और पैग़म्बर सलअम के हुक्मों की ताबेदारी करे और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे और गुनाहों से बचता रहे, ख़ुदा और रसूल की मुहब्बत दुनिया की सब चीज़ों की मुहब्बत से ज़्यादा रखता हो तो वह ख़ुदा से क़रीब और उसका प्यारा होता है, उसको वली कहते हैं।

सवाल : वली की क्या पहचान है?

जवाब : वली की पहचान यही है कि वह मुसलमान, मुत्तक़ी व परहेज़गार हो, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करता हो, ख़ुदा और रसूल की मुहब्बत उस पर ग़ालिब हो, दुनिया का लालच उसे न हो, आख़िरत का ख़्याल हर वक्त नज़रों के सामने रखता हो।

सवाल : क्या सहाबी को वली कह सकते हैं?

जवाब : हां! सब सहाबी खुदा के वली थे क्योंकि हुज़ूर रसूल करीम स० की सोहबत की बरकत से उनके दिलों में ख़ुदा और रसूल की मुहब्बत ग़ालिब थी। दुनिया से मुहब्बत नहीं रखते थे। ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते

थे। गुनाहों से बचते थे। ख़ुदा और रसूल के हुक्मों की ताबेदारी करते थे।

सवाल : क्या कोई सहाबी या वली किसी नबी के बराबर हो सकता है?

जवाब : कभी नहीं। सहाबी या वली कितना ही बड़ा दर्जा रखता हो, किसी नबी के बराबर नहीं हो सकता।

सवाल : ऐसा वली जो सहाबी न हो, किसी सहाबी के मर्तबे के बराबर या इससे ज़्यादा मर्तबे वाला हो सकता है?

जवाब : नहीं-सहाबी होने की फ़ज़ीलत बहुत बड़ी है। इसलिए कोई वली (जो सहाबी न हो) मर्तबे में सहाबी के बराबर या बढ़कर नहीं हो सकता।

सवाल : कुछ लोग शरीअत के ख़िलाफ़ काम करते है जैसे :- नमाज़ नहीं पढ़ते, या दाढ़ी मुंडाते हैं-और, लोग उन्हें वली समझते हैं, तो ऐसे लोगों को वली समझना कैसा है?

जवाब : बिल्कुल गलत है-याद रखो कि ऐसा आदमी जो शरीअत के खिलाफ़ काम करता हो, हरगिज़ वली नहीं हो सकता।

सवाल : क्या कोई वली ऐसे भी होते हैं कि

शरीअत के हुक्म जैसे-नमाज़-रोज़ा उन्हें मुआफ़ हो जायें?

जवाब : जब तक आदमी अपने होश व हवास में हो और उसकी ताकत और इस्तताअत ठीक हो कोई इबादत माफ़ नहीं हो सकती और न कोई गुनाह की बात उसके लिए जाइज़ होती है। जो लोग होश व हवास और इस्तताअत ठीक होने की हालत में इबादत न करें, शरीअत के ख़िलाफ़ काम करें और कहें कि हमारे लिए यह बात जाइज़ है वे बे दीन हैं। हरगिज़ वली नहीं हो सकते।

मोजिज़ा और करामत का ब्यान

सवाल : मोजिज़ा किसे कहते हैं?

जवाब : अल्लाह तआला अपने पैग़म्बरों से कभी ऐसी आदत के खिलाफ़ बातें ज़ाहिर करा देता है जिनके करने से दुनिया के और लोग आजिज़ होते हैं ताकि लोग ऐसी बातों को देखकर समझ लें कि ये ख़ुदा के भेजे हुए हैं, ऐसी बातों को मोजिज़ा कहते हैं।

सवाल : पैग़म्बरों ने क्या-क्या मोजिज़े दिखाये?

जवाब : पैग़म्बरों ने ख़ुदा के हुक्म से बेहिसाब मोजिज़े दिखाये। कुछ मशहूर मोजिज़े ये है:- हज़रत

मूसा अलैहिस्सलाम का असा सांप की शक्ल बन गया और जादूगरों के जादू के सांपों को निगल गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में ख़ुदा तआला ऐसी चमक पैदा कर देता था कि उसकी रोशनी आफ़ताब की रोशनी पर ग़ालिब हो जाती थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए नील (एक दरिया का नाम) के बीच में सूखे रास्ते बन गये और वे अपने साथियों समेत इन रास्तों से दरिया पार उतर गये। जब फ़िरऔन का लश्कर इन रास्तों में गुज़र जाने के इरादे से बीच दरिया में पहुंचा तो पानी मिल गया और फ़िरऔन लश्कर समेत डूब गया।

हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ख़ुदा तआला के हुक्म से मुर्दों को ज़िन्दा कर देते थे। मादरज़ात अंधों को बीनाई देते थे। कोढ़ियों को अच्छा कर देते थे। मिट्टी की चिड़ियाँ बनाकर उन्हें ज़िन्दा करके उड़ा देते थे।

हमारे हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का बड़ा मोजिज़ा क़ुरआन मजीद है कि लगभग साढ़े तेरह सौ साल की मुद्दत गुज़र गई लेकिन आज तक अरबी ज़ुबान के बड़े-बड़े आलिम-फ़ाज़िल बावजूद अपनी कोशिश ख़त्म कर डालने के भी क़ुरआन मजीद की छोटी से छोटी सूरत जैसी सूरत भी न बना सके और न क़यामत तक बना सकेंगे।

दूसरा मोजिज़ा आं हज़रत स० का मेराज है।

तीसरा मोजिज़ा शक़्क़ुल क़मर है।

चौथा मोजिज़ा हुज़ूर स० का यह है कि आपने ख़ुदा तआला के बताने से बहुत सी आने वाली बातों की उनके होने से पहले ख़बर दी और वे उसी तरह पूरी हुईं।

पांचवां मोजिज़ा हुज़ूर स० का यह है कि हुज़ूर स० की दुआ की बरकत से एक-दो आदमियों का खाना सैकड़ों आदमियों ने पेट भर कर खा लिया।

इसके अलावा हुज़ूर सर्वरे आलम स० के सैकड़ों मोजिज़े हैं जो तुम बड़ी किताबों में पढ़ोगे।

सवाल : मेराज किसे कहते हैं?

जवाब : अल्लाह तआला के हुक्म से हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रात को जागते में बुराक़ पर सवार होकर मक्का मुअज़्ज़मा से बैतुल मुक़द्दस तक और वहां से सातों आस्मानों पर और फिर जहां तक ख़ुदा तआला को मंजूर था वहां तक तशरीफ़ ले गये। इसी रात में जन्नत और दोज़ख़ की सैर की और फिर अपनी जगह पर वापस आ गये-इसी को मेराज कहते हैं।

सवाल : शक़्क़ुल क़मर से क्या मतलब है?

जवाब : शक़्क़ुल क़मर से मतलब यह है कि एक

रात मक्का के काफ़िरों ने हुज़ूरे अनवर स० से कहा कि हमें कोई मोजिज़ा दिखाइये। तो आं हज़रत स० ने चाँद के दो टुकड़े कर दिये। और सब लोगों ने जो वहां हाज़िर थे, दोनों टुकड़े देख लिये, फिर वे दोनों टुकड़े आपस में मिल गये। और चाँद जैसा था वैसा ही हो गया।

सवाल : करामत किसे कहते हैं?

जवाब : अल्लाह तआला अपने नेक बन्दों की इज़्ज़त बढ़ाने के लिये ऐसी बातें ज़ाहिर कर देता है जो आदत के ख़िलाफ़ और मुश्किल होती हैं कि दूसरे लोग नहीं कर सकते। इन बातों को करामत कहते हैं। नेक बन्दों और औलिया अल्लाह से करामतों का ज़ाहिर होना हक़ है।

सवाल : मोजिज़े और करामत में क्या फ़र्क़ है?

जवाब : जिस शख़्स ने पैग़म्बरी का दावा किया हो और उस से कोई आदत के खिलाफ़ और मुश्किल बात ज़ाहिर हो उसे मोजिज़ा कहते है और जिसने पैग़म्बरी का दावा न किया हो लेकिन मुत्तक़ी परहेज़गार हो और उसके सारे काम शरीअत शरीफ़ के मुताबिक़ हों अगर उससे कोई ऐसी बात ज़ाहिर हो तो उसे करामत कहते हैं और अगर शरीअत के ख़िलाफ़ और बेदीन लोगों से कोई आदत के ख़िलाफ़ बात ज़ाहिर हो तो उसे इस्तिदराज

कहते हैं।

सवाल : क्या औलिया अल्लाह से करामतें ज़ाहिर होनी ज़रूरी हैं?

जवाब : नहीं- यह कोई ज़रूरी बात नहीं कि वली से कोई करामत ज़रूर ज़ाहिर हो। मुमकिन है कि कोई शख़्स ख़ुदा का दोस्त और वली हो और उम्र भर उससे कोई करामत ज़ाहिर न हो।

सवाल : कुछ ख़िलाफ़ शरा फ़क़ीरों से ऐसी बातें ज़ाहिर होती है जो और लोग नहीं कर सकते-उन्हें क्या समझना चाहिये?

जवाब : ऐसे लोगों से, जो शरीअत के ख़िलाफ़ काम करें, अगर कोई ऐसी बात ज़ाहिर हो तो समझो कि जादू या इस्तिदराज है। करामत हरगिज़ नहीं हो सकती। ऐसे लोगों को वली समझना और उनकी ख़िलाफ़े आदत बातों को करामत समझना शैतानी धोखा है।

तालीमुल इस्लाम हिस्सा 3 का पहला शोबा ख़त्म हुआ।

तालीमुल इस्लाम हिस्सा 3

दूसरा शोबा

जिसका मशहूर नाम है:
तालीमुल अरकान या इस्लामी आमाल

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मतलब : शुरू (करता हूं मैं) साथ नाम अल्लाह के जो निहायत रहम वाला मेहरबान है।

वुज़ू के बाक़ी मसअले

सवाल : वुज़ू किये बग़ैर नमाज़ पढ़ना कैसा है?

जवाब : बहुत बड़े गुनाह की बात है। बल्कि कुछ आलिमों ने तो ऐसे आदमियों को जो जान-बूझ कर वुज़ू किये बिना नमाज़ में खड़ा हो जायें, काफ़िर कहा है।

सवाल : नमाज़ के लिये वुज़ू की शर्त होने की क्या दलील है?

जवाब : क़ुरआन मजीद की यह आयत:-

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ
فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ

"या एयुहल लज़ी न आमनू इज़ा क़ुम्तुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजू ह कुम व ऐदि य कुम इलल मराफ़िक़ वम सहू बि रूऊ सिकुम व अर्जु लकुम इलल कएबैन" (सूरत "माइदा" रू. 2) यानी "ऐ ईमान वालो! जब तुम नमाज़ के लिये उठो तो (पहले अपने मुँह और कुहनियों तक हाथ धो लो और अपने सरों पर मसह कर लो, और गट्टों तक पांव धो डालो") और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है।

مِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ الطُّهُوْرُ (ترمذی)

"मिफ़्ता हुस्सलातित-तहूरू" (तिरमिज़ी) यानी :- नमाज़ की कुँजी (या शर्त) तहारत है।

वुज़ू के फ़र्ज़ों के बाक़ी मसअले

सवाल : धोने की हद क्या है जिसे धोना कह सकें?

जवाब : इतना पानी डालना कि बदन के हिस्से पर पानी बह कर एक दो बूंदें टपक जायें धोने की कम से कम हद है। इस से कम को धोना नहीं कहते। जैसे कि

किसी ने हाथ भिगोकर मुँह पर फेर लिया या इतना थोड़ा पानी मुँह पर डाला कि वह बह कर मुँह पर ही रह गया, टपका नहीं, तो यह नहीं कहा जायेगा कि उसने मुँह धो लिया और वुज़ू सही न होगा।

सवाल : बदन के जिन हिस्सों का वुज़ू में धोना फ़र्ज़ है उन्हें कितनी बार धोने से फ़र्ज़ अदा हो जायेगा?

जवाब : एक बार धोना फ़र्ज़ है और इससे ज़्यादा तीन बार धोना सुन्नत है और तीन बार से ज़्यादा धोना ना जाइज़ और मकरूह है।

सवाल : कहां से कहां तक मुहँ धोना फ़र्ज़ है?

जवाब : माथे के बालों की जगह से ठोड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक धोना फ़र्ज़ है।

सवाल : जिन हिस्सों का धोना फ़र्ज़ है उनमें से अगर थोड़ी सी जगह सूखी रह जाये तो वुज़ू ठीक हो जायेगा या नहीं?

जवाब : अगर एक बाल बराबर भी कोई जगह सूखी रह जाये तो वुज़ू न होगा।

सवाल : अगर किसी आदमी के छः उंगलियां हों तो छटी ऊंगली का धोना फ़र्ज़ है या नहीं?

जवाब : हां! फ़र्ज़ है और इसी तरह जो चीज़ ज़्यादा

पैदा हो जाये और उस जगह पर हो जिसका धोना फ़र्ज़ है तो उस का धोना फ़र्ज़ हो जाता है।

सवाल : मसह करने के क्या माने हैं?

जवाब : हाथ को पानी से तर करके किसी हिस्से पर फेरने को मसह कहते हैं।

सवाल : सर पर मसह करने के लिये नया पानी लेना ज़रूरी है या हाथों पर बची हुई तरी काफ़ी है?

जवाब : नया पानी लेना ज़्यादा अच्छा है लेकिन अगर हाथ धोने के बाद बची हुई तरी से मसह कर ले तो वह भी काफ़ी है! मगर जब हाथ से एक बार मसह कर लिया तो फिर दूसरी जगह उससे मसह करना जाइज़ नहीं। इसी तरह अगर हाथ पर तरी न थी, किसी दूसरे धोये हुये या मसह किये हुये हिस्से से उसे तर कर लिया तो इससे भी मसह जाइज़ नहीं।

सवाल : अगर नंगे सर पर बारिश की बूंदें पड़ गई और सूखा हाथ सर पर फेर लिया और हाथ से बारिश का पानी सर पर फैल गया तो मसह पूरा हो गया या नहीं?

जवाब : हो गया।

सवाल : वुज़ू में आंखों के अन्दर का हिस्सा धोना फ़र्ज़ है या नहीं?

जवाब : आंखों के अन्दर का हिस्सा, नाक के अंन्दर का हिस्सा और मुंह के अन्दर का हिस्सा धोना फ़र्ज़ नहीं है।

सवाल : वुज़ू करने के बाद सर मुंडाया या नाखुन कतरवाये तो सर पर दोबारा मसह करना या नाखुनों को धोना ज़रूरी है या नहीं?

जवाब : नहीं।

सवाल : अगर किसी का हाथ कुहनी के नीचे कटा हुआ हो तो उस हाथ को धोना ज़रूरी है या नहीं?

जवाब : हां जब तक कुहनी या उससे नीचे का कुछ हिस्सा बाक़ी हो तो बाक़ी हिस्से को और कुहनी को धोना फ़र्ज़ है।

वुज़ू की सुन्नतों के बाक़ी मसअले

सवाल : अगर वुज़ू में नीयत न करे तो क्या हुक्म है?

जवाब : अगर वुज़ू की नीयत न की जैसे दरिया में गिर गया बारिश में खड़ा रहा और वुज़ू के सब हिस्सों पर पानी बह गया तो वुज़ू हो जायेगा। यानी इस वुज़ू से नमाज़ पढ़ लेना जाइज़ है। लेकिन वुज़ू का सवाब न मिलेगा।

सवाल : वुज़ू की नीयत किस तरह करनी चाहिये?

जवाब : नीयत के माने इरादा करने के हैं। जब वुज़ू करने लगे तो यह इरादा करे कि नापाकी दूर करने और पाकी हासिल होने और नमाज़ जाइज़ हो जाने के लिये वुज़ू करता हूं। बस यह इरादा और ख़्याल कर लेना ही वुज़ू की नीयत है।

सवाल : नीयत का ज़ुबान से कहना ज़रूरी है या नहीं?

जवाब : ज़ुबान से कहना ज़रूरी नहीं। हां कह ले तो कुछ हर्ज भी नहीं।

सवाल : वुज़ू होने की हालत में नया वुज़ू करे तो क्या नीयत करे?

जवाब : सिर्फ़ यह नीयत करे कि वुज़ू पर वुज़ू करने की फ़ज़ीलत (बड़ाई) और सवाब हासिल करने के लिये वुज़ू करता हूं।

सवाल : वुज़ू में "बिस्मिल्लाह" पुरी पढ़नी चाहिए या नहीं।

जवाब : بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

"बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम" पूरी पढ़ना या

بِسْمِ اللّٰهِ الْعَلِيِّ

الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى دِيْنِ الْإِسْلَامِ يَا بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ

"बिस्मिल्लाहिल अलीयिल अज़ीमि वल हम्दु लिल्लाहि अला दीनिल इस्लामि या

बिस्मिल्लाहि वल-हम्दु-लिल्लाहि" तीनों तरह पढ़ना जाइज़ है।

सवाल : मिस्वाक करना कैसा है और उसका क्या तरीक़ा है?

जवाब : मिस्वाक करना सुन्नते मुअक्किदा है। इसका बहुत बड़ा सवाब है। और इसमें बहुत फ़ायदे हैं। मिस्वाक किसी कड़वे पेड़ की जड़ या लकड़ी की होनी चाहिए। जैसे पीलू की जड़ या नीम की लकड़ी। मिस्वाक एक बालिश्त से ज़्यादा न रखनी चाहिए। धोकर मिस्वाक करे और धोकर रखे। पहले दाईं तरफ़ के दांतों में फिर बांई तरफ के दांतों में करनी चाहिए। तीन बार मिस्वाक करना और हर बार नया पानी लेना चाहिए।

सवाल : हलक़ में पानी डालकर सफ़ाई करना यानी ग़रग़रा करना कैसा है?

जवाब : वुज़ू और ग़ुस्ल में ग़रग़रा सुन्नत है। लेकिन रोज़े की हालत में न करना चाहिए। दाऐं हाथ से कुल्ली करनी चाहिए।

सवाल : नाक में पानी डालने का क्या तरीक़ा है?

जवाब : दाऐं हाथ में पानी लेकर नाक से लगाये

और सांस लेकर पानी नाक में चढ़ाये। लेकिन इतना न खींचे कि दिमाग़ तक चढ़ जाये। रोजेदार को चाहिए कि वह सिर्फ़ हाथ से पानी नाक में चढ़ाये। सांस से न खींचे। कुल्ली करना और नाक में पानी डालना दोनों सुन्नतें मुअक्किदा हैं।

सवाल : दाढ़ी के किस हिस्से का ख़िलाल करना (उंगलियों से तरी पहुँचाना सुन्नत है?

जवाब : दाढ़ी के नीचे अन्दर के बालों का ख़िलाल करना सुन्नत है। और जो बाल चेहरे की तरफ़ चेहरे की खाल से क़रीब है उन सबका धोना फ़र्ज़ है।

सवाल: उंगलियों का ख़िलाल किस तरह करना चाहिए?

जवाब : हाथों की उंगलियों का ख़िलाल इस तरह करे कि एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में डालकर हिलायें और पांव की उंगलियों का ख़िलाल बायें हाथ की छंगुलिया से करे। दायें हाथ की छंगुलिया से शुरू करके बायें पांव की छंगुलिया पर ख़त्म करे।

सवाल : सारे सर का मसह किस तरह करना चाहिए?

जवाब : दोनों हाथ पानी से तर करके सर के दोनों तरफ़ माथे के बालों की जगह पर रखो और हथेलियों

की उंगलियों समेत गुद्दी तक ले जाओ और फिर वापस लौटाओ। इसका ख़्याल रखो कि सारे सर पर हाथ फिर जाए।

सवाल : कानों के मसह के लिए नया पानी लेना चाहिए या नहीं?

जवाब : नहीं। सर के मसह के लिए जो पानी लिया था वही काफ़ी है। अन्दर कानों का मसह शहादत की उंगली से करना चाहिए, और बाहर कान का मसह अंगूठे से करना चाहिए।

वुज़ू में जो मुस्तहब हैं उनके बाक़ी मसअले

सवाल : दांई तरफ़ से शुरू करना सुन्नत है या मुस्तहब?

जवाब : कुछ आलिमों ने इसे सुन्नत कहा है और कुछ ने मुस्तहब बताया है।

सवाल : गरदन पर मसह करने की क्या सूरत है?

जवाब : गरदन पर दोनों हाथों की उंगलियों को पीठ की तरफ़ से मसह करना चाहिए। गले पर मसह करना बिदअत (सुन्नत के खिलाफ़) है।

सवाल : वुज़ू में और क्या-क्या आदाब हैं?

जवाब : वुज़ू के आदाब बहुत हैं जैसे- (1) छंगुलिया का सिरा भिगोकर कानों के सूराख़ में डालना। (2) नमाज़ के वक़्त से पहले वुज़ू कर लेना। (3) आज़ा (वुज़ू के हिस्सों) को धोते वक़्त मलना। (4) अंगूठी या छल्ले को हिलाना। (5) दुनिया की बातें न करना। (6) ज़ोर से पानी मुँह पर न मारना। (7) ज़्यादा पानी न बहाना। (8) हर हिस्से को धोते वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़ना। (9) वुज़ू के बाद दरूद शरीफ़ पढ़ना। (10) वुज़ू के बाद कलिमा शहादत और यह दुआ पढ़नाः-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

"अल्लाहुम्मज अलनी मिनत्तव्वाबीन वज अलनी मिनल मुत तहहिरीन।" (11) वुज़ू से बचा हुआ पानी खड़े होकर पीना। (12) वुज़ू के बाद दो रकअत नमाज़ तहैयतुल वुज़ू पढ़ना वग़ैरा।

वुज़ू तोड़ने वाली बातों के बाक़ी मसअले

सवाल : नापाक चीज़ बदन से निकलकर कितनी बह जाय तो वुज़ू टूटता है?

जवाब : कोई नापाक चीज़ बदन से निकल कर उस जगह की तरफ़ जिसका वुज़ू या ग़ुस्ल में धोना फ़र्ज़ है थोड़ी सी भी बह जाये तो वुज़ू टूट जाता है।

सवाल : आँख में ख़ून निकल कर आँख के अन्दर बहा, बाहर नहीं निकला तो वुज़ू टूटा या नहीं?

जवाब : नहीं टूटा, क्योंकि आँख के अन्दर का हिस्सा न वुज़ू में धोना फ़र्ज़ है और न ग़ुस्ल में।

सवाल : अगर ज़ख़्म पर ख़ून दिखाई दिया उसे उंगली या कपडे से पोंछ लिया, फिर दिखाई दिया फिर पोंछ लिया। कई बार ऐसा किया, तो वुज़ू टूटा या नहीं?

जवाब : यह देखो कि अगर ख़ून पोंछा न जाता तो इतना था कि बह जाये, या नहीं। अगर इतना था कि बह जाता तो वुज़ू टूट गया और अगर इतना नहीं था तो वुज़ू नहीं टूटा।

सवाल : क़ै में क्या चीज़ निकलने से वुज़ू टूटेगा?

जवाब : क़ै में पित्त या ख़ून या खाना या पानी निकले और मुंह भर के हो तो वुज़ू टूट जायेगा और अगर ख़ालिस बलग़म निकले तो वुज़ू नहीं टूटेगा।

सवाल : अगर थोड़ी-थोड़ी क़ै कई बार हुई तो क्या हुक्म है?

जवाब : अगर एक मत्ली से कई बार क़ै हुई और वह कुल मिलाकर इतनी है कि मुंह भर जाए तो वुज़ू टूट जायेगा। हां अगर एक मत्ली से थोड़ी क़ै हुई फिर वह मत्ली जाती रही और दोबारा मत्ली पैदा होकर थोड़ी

कै हुई तो इन दोनों बार की कै को न जोड़ा जायेगा, और वुज़ू नहीं टूटेगा।

सवाल : बदन में किसी जगह फुन्सी है, इसमें से ख़ून या पीप का धब्बा कपड़े में लग जाता है तो कपड़ा पाक है या नापाक?

जवाब : अगर ख़ून या पीप निकल कर बहने के लायक नहीं है, कपड़ा लगने से धब्बा आ जाता है तो वह कपड़ा पाक है। लेकिन फिर भी धोना ज़्यादा अच्छा है।

सवाल : कै अगर मुंह भर के न हो तो वह नापाक है या नहीं?

जवाब : नहीं।

सवाल : जोंक ने बदन में चिपट कर ख़ून पिया और मर गई, या मच्छर या पिस्सू ने काटा तो उससे वुज़ू टूटेगा या नहीं?

जवाब : जोंक के ख़ून पीने से वुज़ू टूट जायेगा। चाहे छुड़ाने के बाद काटे हुए ज़ख़्म से ख़ून न बहे। क्योंकि जोंक इतना ख़ून पी जाती है कि अगर वह बदन से निकल कर उसके पेट में न जाता तो बह जाता, और मच्छर-पिस्सू के काटने से वुज़ू नहीं टूटता क्योंकि ये बहुत थोड़ा ख़ून पीते हैं जो बहने के लायक़ नहीं होता।

सवाल : किस तरह की नींद से वुज़ू नहीं टूटता?

जवाब : खड़े-खड़े सो जाने या बग़ैर सहारा लगाये हुए बैठ कर सोने या नमाज़ की किसी हालत में सोने से वुज़ू नहीं टूटता। जैसे सज्दे में सो गया या क़अदा (बैठे हुए) में सो गया तो वुज़ू नहीं टूटेगा।

सवाल : क्या कोई आदमी ऐसा भी है कि सो जाने से उसका वुज़ू नहीं टूटता?

जवाब : हाँ! नबियों का वुज़ू नींद से नहीं टूटता यह उनकी खुसूसियत और ख़ास फ़ज़ीलत थी।

सवाल : क्या नमाज़ में खिलखिला कर हंसने से सबका वुज़ू टूट जाता है? और खिलखिलाकर हंसने से क्या मतलब है?

जवाब : खिलखिलाकर हंसने से यह मतलब है कि इतने ज़ोर से हंसे कि उसकी आवाज़ पास वाले लोग सुन सकें। नमाज़ में खिल खिलाकर हंसने से वुज़ू टूटने की ये शर्तें हैं:- (1) हंसने वाला बालिग़ मर्द या औरत हो। क्योंकि नाबालिग़ के ज़ोर से हंसने से वुज़ू नहीं टूटता। (2) जागते में हंसे। अगर नमाज़ में सो गया और सोते में ज़ोर से हंसा तो वुज़ू नहीं टूटेगा। (3) जिस नमाज़ में हंसा है वह रूकू-सज्दे वाली नमाज़ हो। इसलिए

जनाज़े की नमाज़ में ज़ोर से हंसने पर वुज़ू नहीं टूटता।

सवाल : क्या किसी दूसरे आदमी के सतर पर नज़र पड़ जाने से वुज़ू टूट जाता है?

जवाब : अपने या किसी दूसरे आदमी के सतर पर जान-बूझ कर या अनजाने में नज़र पड़ने से वुज़ू नहीं टूटता।

ग़ुस्ल के बाक़ी मसअले

सवाल : ग़ुस्ल की कितनी क़िस्में हैं?

जवाब : तीन क़िस्में हैं (1) फ़र्ज़ (2) सुन्नत (3) मुस्तहब।

सवाल : फ़र्ज़ ग़ुस्ल कितने है?

जवाब : छः हैं और उनका बयान तालीमुल इस्लाम के किसी अगले हिस्से में आयेगा।

सवाल : सुन्नत ग़ुस्ल क़ितने हैं और कौन-कौन से हैं?

जवाब : चार हैं और वे चारों ये हैं:- (1) जुमा की नमज़ के लिए ग़ुस्ल करना। (2) दोनों ईदों की नमाज़ के लिए ग़ुस्ल करना। (3) हज का अहराम बांधने से पहले ग़ुस्ल करना। (4) अरफ़ात में वक़ूफ़ करने के लिए ग़ुस्ल करना।

सवाल :- मुस्तहब ग़ुस्ल कितने हैं? और कौन-कौन से हैं?

जवाब : मुस्तहब ग़ुस्ल बहुत से हैं जिनमें से कुछ ग़ुस्ल ये हैः- (1) शाबान के महीने की पन्द्रहवीं रात में जिसे शब बारात कहते हैं ग़ुस्ल करना। (2) अरफ़ा की रात में ग़ुस्ल करना यानी ज़िल-हिज की आठवी तारीख़ की शाम के बाद आने वाली रात में। (3) सूरज-ग्रहण, चाँद-ग्रहण की नमाज़ के लिए ग़ुस्ल करना। (4) नमाज़ इस्तस्क़ा (बारिश के लिए दुआ वाली नमाज़) के लिए ग़ुस्ल करना। (5) मक्का मुअज़्ज़मा या मदीना मुनव्वरा में दाख़िल होने के लिए ग़ुस्ल करना। (6) मैय्यत को ग़ुस्ल देने के बाद ग़ुस्ल देने वाले का ग़ुस्ल कर लेना। (7) काफ़िर का इस्लाम लाने के बाद ग़ुस्ल करना।

सवाल : अगर ग़ुस्ल करना ज़रूरी हो और दरिया में डुबकी लगा ले या बारिश में खड़ा हो जाये और सारे बदन पर पानी बह जाये तो ग़ुस्ल अदा हो जायेगा या नहीं?

जवाब : हां अदा हो जायेगा लेकिन कुल्ली करना और नाक में पानी डालना ज़रूरी है।

सवाल : ग़ुस्ल की हालत में क़िब्ले की तरफ़ मुंह करना जाइज़ है या नहीं?

जवाब : अगर ग़ुस्ल के वक़्त बदन नंगा हो तो क़िब्ले की तरफ़ मुंह करना ना जाइज़ है और सतर छुपा हुआ हो तो हर्ज नहीं।

सवाल : सतर खोल कर ग़ुस्ल करना कैसा है?

जवाब : ग़ुस्ल खाना में या किसी ऐसी जगह पर जहां दूसरे आदमी की नज़र उसके सतर पर न पड़े, नंगे बदन नहाना जाइज़ है।

सवाल : ग़ुस्ल में कितने मकरूह हैं?

जवाब : (1) पानी ज़्यादा बहाना (2) सतर खुला होने की हालत में बात करना। (3) क़िब्ले की तरफ मुंह करना। (4) सुन्नत के खिलाफ़ ग़ुस्ल करना।

सवाल: अगर ग़ुस्ल से पहले वुज़ू न किया तो ग़ुस्ल के बाद नमाज़ के लिये वुज़ू करना जरूरी है या नहीं?

जवाब : ग़ुस्ल के अन्दर वुज़ू भी हो गया। फिर वुज़ू करने की ज़रूरत नहीं।

मोज़ों पर मसह करने के बाक़ी मसअले

सवाल : मसह की मुद्दत का किस वक़्त से हिसाब किया जाये?

जवाब : जिस वक़्त से वुज़ू टूटा है उस वक़्त से एक दिन एक रात या तीन दिन तीन रात मसह जाइज़

है। मिसाल के लिए मान लिया जाये कि जुमा की सुबह को वुज़ू करके मोज़े पहने और उसका यह वुज़ू ज़ुहर का वक़्त ख़त्म होने पर टूटा तो यह आदमी अगर मुक़ीम है तो हफ़्ते (सनीचर) की ज़ुहर के वक़्त तक मसह कर सकता है और मुसाफ़िर है तो पीर के दिन की ज़ुहर तक मसह कर सकता है।

सवाल : मसह किन-किन चीज़ों से टूटता है?

जवाब : जिन चीज़ों से वुज़ू टूटता है उनसे मसह भी टूट जाता है और उन के अलावा (1) मसह की मुद्दत गुज़र जाने, (2) मोज़े उतार देने और (3) तीन उंगलियों के बराबर मोज़े फट जाने से भी मसह टूट जाता है।

सवाल : अगर वुज़ू होने की हालत में मोज़ा उतार दिया या वुज़ू होने की हालत में मसह की मुद्दत पूरी हो गई तो क्या हुक्म है?

जवाब : इन दोनों हालतों में सिर्फ़ पांव धोकर मोज़े पहन लेना काफ़ी है और पूरा वुज़ू कर लेना मुस्तहब है।

सवाल : अगर मुसाफ़िर ने मोज़ों पर मसह करना शुरू किया और एक दिन एक रात के बाद घर आ गया तो क्या करे?

जवाब : मोज़े उतार दे और नये सिरे से मसह करना शुरू करे।

सवाल : अगर मुक़ीम ने मसह करना शुरू किया और फिर सफ़र में चला गया तो क्या करे?

जवाब : अगर एक दिन रात पूरी होने से पहले सफ़र किया तो तीन दिन तीन रात तक मोज़े पहने रहे और मसह करता रहे और एक दिन एक रात पूरी होने के बाद सफ़र किया तो मोज़े उतार कर फिर से मसह शुरू करे।

सवाल : अगर मोज़ा कई जगह से थोड़ा-थोड़ा फटा हुआ हो तो क्या हुक्म है?

जवाब : एक मोज़ा कई जगह से थोड़ा-थोड़ा फटा हुआ हो तो उसे जमा कर के देखो। अगर कुल मिला कर तीन उंगलियों के बराबर हो जाये तो मसह ना जाइज़ है। और कम रहे तो जाइज़ है। और दोनों मोज़े फटे हुये हों और दोनों की कुल फटन तीन उंगलियों के बराबर हो लेकिन हर एक की फटन तीन उंगलियों से कम हो तो मसह जाइज़ है।

नजासत हक़ीक़िया और उसके पाक करने के बाक़ी मसअले

सवाल : चमड़े की चीज़ें (जैसे मोज़े, जूती, बिस्तरबन्द वग़ैरह) अगर इनमें जिस्मदार (गाढ़ी) नापाकी

लग जाये तो किस तरह पाक होती है?

जवाब : ज़मीन या किसी और चीज़ पर रगड़ देने से पाक हो जाती है। शर्त यह है कि रगड़ने से नजासत का गाढ़ापन और असर जाता रहे।

सवाल : अगर इन्हीं चीज़ों में पेशाब, शराब, या इसी तरह की और कोई नजासत लग जाये तो किस तरह पाक की जायें?

जवाब : पानी या किसी और बहने वाली पाक चीज़ से जो निजासत के असर को दूर कर दे, धोकर पाक होंगी। यानी सिवाये जिस्मदार नजास्त के और नजासतें लग जायें तो रगड़ने से चमड़े की चीज़ें पाक न होंगी बल्कि धोना ज़रूरी है।

सवाल : चाक़ू, छुरी, तलवार और लोहे या चांदी या तांबे, अल्यूमीनियम वग़ैरह की चीज़ें नापाक हो जायें तो धोये बिना पाक होंगी या नहीं?

जवाब : लोहे की चीजें जबकि वे साफ़ हो, ज़ंग न हो और चाँदी, सोने, तांबे, अल्यूसीनियम और पीतल वग़ैरह धातों की चीज़ें और शीशे की चीज़ें और हाथी दांत या हड्डी की चीज़ें और चीनी के बर्तन ये सब चीज़ें जबकि साफ़ हों और इन पर बेल-बूटा वग़ैरह खुदे हुये

न हों इस तरह रगड़ने से कि नजासत का असर जाता रहे पाक हो जाती हैं।

सवाल : बेल-बूटे खुदे हुये न होने से क्या मतबल है?

जवाब : यानी इनके ऊपर ऐसे निशान न हों जिन से जिस्म ऊँचा नीचा हो जाता है। क्योंकि ऐसी जगहों में रगड़ने के बाद भी निजासत बाक़ी रह जाने का एहतमाल है। हाँ सिर्फ़ रंग के निशान हों तो ये चीज़ें रगड़ने से पाक हो जाएंगी।

सवाल : ज़मीन पर निजासत जैसे पेशाब या शराब वग़ैरा गिर जाये तो किस तरह पाक होगी?

जवाब : ज़मीन जब सूख जाये और निजासत का असर (रंग, बू, मज़ा) जाता रहे तो पाक हो जाती है।

सवाल : मकान या मस्जिद वग़ैरा में पक्की ईंटों या पत्थर के फ़र्श या दीवार पर नजासत लग जाये तो किस तरह पाक की जाये?

जवाब : ईंट और पत्थर जो इमारत में लगे हुए हों सूख जाने और नजासत का असर जाते रहने से पाक हो जाते हैं।

सवाल : जो चीज़ें कि धोने में निचोड़ी नहीं जा सकतीं जैसे तांबे के बर्तन या बिछाने के मोटे

गद्दे तो उनको पाक करने के लिये किस तरह धोया जाये?

जवाब : ऐसी चीज़ें जिनको निचोड़ना ना मुमकिन या मुश्किल है, इन के धोने का तरीक़ा यह है कि एक बार धोकर छोड़ दो। जब पानी टपकना बन्द हो जाये तो दूसरी बार धोकर छोड़ दो। जब पानी टपकना बन्द हो जाये तो तीसरी बार धो डालो, पाक हो जायेंगी। मगर धोने में जितना भी रगड़ा जाये रगड़ना ज़रूरी है ताकि नजासत निकालने में अपनी ताक़त भर कोशिश हो जाये।

सवाल : मिट्टी के बर्तन नापाक हो जायें तो पाक हो सकते हैं या नहीं?

जवाब : मिट्टी के बर्तन भी धोने से पाक हो जाते हैं और उनके पाक करने का वही तरीक़ा है जो इस से पहले सवाल-जवाब में लिखा गया।

सवाल : नापाक चीज़ जैसे गोबर जलकर राख हो जाये तो वह राख पाक है या नापाक?

जवाब : नापाक चीज़ जब जलकर राख हो जाये तो वह राख पाक है।

सवाल : घी में चूहा गिर कर मर गया तो उसका क्या हुक्म है?

जवाब : घी अगर जमा हुआ हो तो चूहा और उसके

आस-पास का घी निकाल डालो, बाक़ी घी पाक है। और अगर पिघला हुआ हो तो सारा घी नापाक है।

सवाल : नापाक घी या तेल किस तरह पाक किया जाये?

जवाब : नापाक घी या तेल में इसके बराबर पानी डाल कर उबालो फिर घी या तेल जो पानी के ऊपर आ जाये इसे उतार लो और तीन बार इसी तरह करो तो वह घी या तेल पाक हो जायेगा।

इस्तन्जे के बाक़ी मसअले

सवाल : इस्तन्जे की कौन-कौन सी सूरतें मकरूह हैं?

जवाब : (1) क़िब्ले की तरफ़ मुंह या पीठ करके इस्तन्जा करना, (2) ऐसी जगह इस्तन्जा करना कि किसी आदमी की नज़र इस्तन्जा करने वाले के सतर पर पड़ती हो, मकरूह है।

सवाल : पाख़ाना, पेशाब करने की हालत में क्या-क्या बातें मकरूह हैं?

जवाब : (1) क़िब्ले की तरफ़ मुंह या पीठ करके पाख़ाना, पेशाब करना (2) खड़े होकर पेशाब करना (3)

तालाब, नहर या कुएं के अन्दर या (4) उनके किनारे पर पाख़ाना, पेशाब करना (5) मस्जिद की दीवार के पास या (6) क़ब्रिस्तान में पाख़ाना, पेशाब करना (7) चूहे के बिल या किसी सूराख में पेशाब करना (8) पेशाब, पाख़ाना करते वक़्त बातें करना (9) नीची तरफ़ बैठ कर ऊँची जगह पर पेशाब करना (10) आदमियों के बैठने या रास्ता चलने की जगह पाख़ाना, पेशाब करना (11) वुज़ू या ग़ुस्ल करने की जगह में पेशाब, पाख़ाना करना, ये सारी बातें मकरूह हैं।

पानी के बाक़ी मसअले

सवाल : धूप से गर्म हुये पानी से वुज़ू जाइज़ है या नहीं?

जवाब : जाइज़ है लेकिन बेहतर नहीं।

सवाल : वुज़ू करते वक़्त बदन से पानी के क़तरे बर्तन में गिरे तो इस पानी से वुज़ू जाइज़ है या नहीं?

जवाब : वुज़ू करते वक़्त जो पानी बदन से गिरता है (अगर बदन पर नजासत हक़ीक़िया न हो तो) वह मुस्तामल (इस्तेमाल किया गया) पानी कहलाता है। मुस्तामल पानी ग़ैर मुस्तामल (जो इस्तेमाल नहीं किया

गया) पानी में मिल जाये तो उसका हुक्म यह है कि जब तक मुस्तामाल पानी की मिक़दार ग़ैर मुस्तामल पानी से कम रहे उस वक़्त तक उस से वुज़ू और ग़ुस्ल जाइज़ है। और जब मुस्तामल पानी की मिक़दार ग़ैर मुस्तामल पानी के बराबर या उससे ज़्यादा हो जाये तो फिर उससे वुज़ू और ग़ुस्ल नाजाइज़ है।

सवाल : अगर पानी में कोई पाक चीज़ मिल जाये जैसे साबुन या ज़ाफ़रान तो इससे वुज़ू जाइज़ है या नहीं?

जवाब : पानी में पाक चीज़ मिलने से एक-दो वस्फ़ (रंग, बू या मज़ा) बदल जाने पर भी वुज़ू जाइज़ रहता है। हाँ जब तीनों वस्फ़ (रंग, बू और मज़ा) बदल जायें और पानी गाढ़ा हो जायें तो वुज़ू नाजाइज़ हो जाता है।

सवाल : अगर तालाब या हौज़ शरीअत के गज़ के हिसाब से दो गज़ चौड़ा और पचास गज़ लम्बा हो या चार गज़ चौड़ा और पच्चीस गज़ लम्बा या पाँच गज़ चौड़ा और बीस गज़ लम्बा हो तो वह बहते पानी के हुक्म में होगा या नहीं?

जवाब : हाँ। वह बहते पानी के हुक्म में है।

सवाल : अगर हौज़ का खुला हुआ मुँह शरीअत के नाप से कम है लेकिन नीचे का हिस्सा उसका बहुत बड़ा है तो वह बड़े हौज़ और बहते पानी के हुक्म में

है या नहीं?

जवाब : अगर हौज़ दस गज़ लम्बा दस गज़ चौड़ा है लेकिन उसके चारों तरफ़ या किसी एक-दो तरफ़ से उसका मुंह छुपा दिया है तो जिस चीज़ से छुपाया है अगर वह पानी से ऊँची और अलग रहती है तो वह हौज़ ठीक है और बहते पानी के हुक्म में है। और अगर वह चीज़ जिससे पानी छुपाया है पानी से लगी रहती है तो वह हौज़ ठीक नहीं और थोड़े पानी का हुक्म रखता है।

मतलब यह कि पानी का उतना हिस्सा मोतबर है जितना ऊपर से खुला हुआ हो यानी किसी चीज़ से लगा हुआ न हो। उसकी नाप शरीअत के हिसाब से होनी चाहिये। अगर खुला हुआ हिस्सा कम है तो नीचे से चाहे जितना ज़्यादा हो उसका एतबार नहीं।

कुएँ के बाक़ी मसअले

सवाल : अगर कुएँ में कबूतर या चिड़िया की बीट गिर जाये तो उसका क्या हुक्म है?

जवाब : कबूतर और चिड़िया की बीट या ऊंट, बकरी, भेड़ की दो-चार मींगनियों से कुआँ नापाक नहीं होता।

सवाल : अगर कुएं में काफ़िर डोल निकालने के लिये उतरा और पानी में ग़ोता लगाया तो कुएँ का क्या हुक्म है?

जवाब : अगर उस काफ़िर को कुएँ में उतरने से पहले नहला दिया जाये और पाक कपड़ा सतर पर बाँध कर कुएँ में उतरे तो कुआँ पाक है और उतरने से पहले नहीं नहाया और अपने इस्तेमाल किए हुए कपड़े के साथ उतरा तो कुएँ का सारा पानी निकाला जाये। क्योंकि काफ़िर का बदन और कपड़ा अक्सर नापाक ही रहता है।

सवाल : अगर कुएँ पर कोई ख़ास डोल पड़ा न रहता हो बल्कि लोग छोटे बड़े मुख़तलिफ़ डोलों से पानी भरते हों तो उस कुऐं को पाक करने के लिए किस डोल से पानी निकाला जाये?

जवाब : जबकि कुएँ पर कोई ख़ास डोल न हो या कुएँ का ख़ास डोल बहुत बड़ा या बहुत छोटा हो तो इन सूरतों में दरमियानी डोल का एतबार है। दरमियानी डोल वह है जिसमें 80 अंग्रेज़ी रूपये भर के सेर से साढ़े तीन सेर पानी समाता हो।

नोटः- यहाँ तक तालीमुल इस्लाम के दूसरे हिस्से में आये हुए मसअलों में इज़ाफ़ा था। अब उन से आगे के

मसअले शुरू होते हैं।

तयम्मुम का बयान

सवाल : तयम्मुम किसे कहते है?

जवाब : पाक मिट्टी या किसी ऐसी चीज़ से जो मिट्टी के हुक्म में हों, बदन को नजासत हुकमिया से पाक करने को तयम्मुम कहते हैं।

सवाल : तयम्मुम कब जाइज़ होता है?

जवाब : जब पानी न मिले या पानी के इस्तेमाल करने से बीमार हो जाने या मर्ज़ बढ़ जाने का डर हो तो तयम्मुम करना जाइज़ होता है।

सवाल : पानी न मिलने की क्या-क्या सूरतें हैं?

जवाब : जब पानी एक मील दूर हो या किसी दुश्मन के डर से पानी न ले सकता हो, जैसे घर से बाहर कुआँ मौजूद है मगर डर है कि घर से निकला तो दुश्मन या चोर मार डालेंगे या कुएँ के पास बड़ा भारी सांप फिर रहा है या शेर खड़ा है या थोड़ा पानी अपने पास मौजूद है मगर डर है कि अगर उसे वुज़ू में खर्च कर दिया तो प्यास से तक्लीफ़ होगी या कुआँ मौजूद है मगर डोल-रस्सी नहीं है या पानी मौजूद है मगर यह आदमी

उठकर उसे ले नहीं सकता, और दूसरा कोई आदमी मौजूद नहीं। ये सब सूरतें पानी न होने के हुक्म में दाखि़ल हैं?

सवाल : बीमार हो जाने के डर का किस हालत में एतबार है?

जवाब : जबकि अपने तजरबे से यह बात यक़ीन की हद तक पहुँच जाये या किसी बड़े क़ाबिल हकीम, डाक्टर या वैद्य के कहने से मालूम हो कि पानी के इस्तेमाल करने से बीमार हो जायेगा, तो तयम्मुम दुरूस्त है।

सवाल : पानी के एक मील दूर होने से क्या मतलब है? ज़रा खोलकर बयान करो।

जवाब : जब आदमी किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ पानी मौजूद नहीं लेकिन इसे किसी के बताने से या अपनी अटकल से इस बात का यक़ीन हो जाये कि पानी एक मील के अन्दर है तो पानी लाना और वुज़ू करना ज़रूरी है।

मगर जब कोई बताने वाला भी न हो और किसी तरीक़े से भी पानी का पता न चले या पानी का पता तो चले लेकिन वह एक मील या इससे ज़्यादा दूर हो तो फिर पानी लाना ज़रूरी नहीं तयम्मुम कर लेना जाइज़ है।

सवाल : तयम्मुम में फ़र्ज़ कितने हैं?

जवाब : तीन फ़र्ज़ हैं (1) नीयत करना (2) दोनों

हाथ मिट्टी पर मारकर मुंह पर फेरना (3) दोनों हाथ मिट्टी पर मारकर दोनों हाथों को कुहनियों समेत मलना।

सवाल : तयम्मुम करने का पुरा तरीक़ा बताओ?

जवाब : पहले नीयत करो कि मैं नापाकी दूर करने और नमाज़ पढ़ने के लिय तयम्मुम करता हूं। फिर दोनों हाथ मिट्टी के बड़े ढेले पर मारकर उन्हें झाड़ो, ज़्यादा मिट्टी लग जाये तो मुंह से फूंक दो और दोनों हाथों को मुंह पर इस तरह फेरो कि कोई जगह बाक़ी न रह जाये। एक बाल बराबर जगह छूट जायेगी तो तयम्मुम जाइज़ न होगा। फिर दूसरी बार दोनों हाथ मिट्टी पर मारो और उन्हें झाड़कर पहले हाथ की चारों उंगलियां सीधे हाथ की उंगलियों के सिरों के नीचे रखकर खेंचते हुए कुहनी तक ले जाओ। इस तरह ले जाने में सीधे हाथ के नीचे की तरफ़ हाथ फिर जायेगा। फिर बाएं हाथ की हथेली सीधे हाथ के ऊपर की तरफ़ कुहनी से उंगलियों तक खेंचते हुए लाओ और बाएं हाथ के अंगूठे अन्दर की तरफ को सीधे हाथ के अंगूठे की पीठ पर फेरो, फिर इसी तरह सीधे हाथ को बाएं हाथ पर फेरो, फिर उंगलियों का खि़लाल करो। अगर अंगूठी पहने हुए हो तो उसे उतारना या हिलाना ज़रूरी है। दाढ़ी का खि़लाल करना भी सुन्नत है।

सवाल : वुज़ू और ग़ुस्ल दोनों का तयम्मुम जाइज़ है या सिर्फ़ वुज़ू का?

जवाब : दोनों का तयम्मुम जाइज़ है।

सवाल : किन चीज़ों पर तयम्मुम करना जाइज़ है?

जवाब : पाक मिट्टी, रेत, पत्थर, चूना, मिट्टी के कच्चे या पक्के बर्तन जिन पर रंग न हो, मिट्टी की कच्ची या पक्की ईंट, मिट्टी या ईंटों या पत्थर या चूने की दीवार गीरू और मुल्तानी पर तयम्मुम करना जाइज़ है। इसी तरह पाक धूल से भी तयम्मुम करना जाइज़ है।

सवाल : किन चीज़ों पर तयम्मुम नाजाइज़ है?

जवाब : लकड़ी, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, अल्यूमीनियम, शीशा, रांग, जस्त गेहूं, जौ और सब अनाज, कपड़ा, राख, इन सारी चीज़ों पर नाजाइज़ है।

यूं समझो कि जो चीजें आग में पिघल जाती है या जलकर राख हो जाती हैं उन पर तयम्मुम नाजाइज़ है।

सवाल : पत्थर, चूने या ईंटों की दीवार पर धूल न हो तो तयम्मुम जाइज़ होगा या नहीं।

जवाब : जिन चीज़ों पर हमने तयम्मुम जाइज़ बताया है उन पर ग़ुबार होने की शर्त नहीं है। पत्थर या ईंट या मिट्टी के बर्तन धुले हुए हों जब भी उन पर तयम्मुम जाइज़ है।

सवाल : जिन चीजों पर तयम्मुम नाजाइज़ है अगर उन पर धूल हो तो तयम्मुम हो जायेगा या नहीं?

जवाब : हां जब इतनी धूल हो कि हाथ मारने से उड़ने लगे या उस चीज़ पर हाथ रखकर खेंचने से निशान पड़ जाये तो तयम्मुम जाइज़ है।

सवाल : अगर क़ुरआन मजीद पढ़ने या छूने या मस्जिद में जाने या अज़ान कहने या सलाम का जवाब देने की नीयत से तयमुम्म किया तो इससे नमाज़ जाइज़ है या नहीं?

जवाब : जाइज़ नहीं।

सवाल : नमाज़ जनाज़ा या तिलावत के सज्दे की नीयत से तयम्मुम किया तो इससे नमाज़ जाइज़ है या नहीं?

जवाब : जाइज़ है।

सवाल : अगर पानी न मिलने की वजह से तयम्मुम कर लिया और नमाज़ पढ़ ली फिर पानी मिल गया तो क्या हुक्म है?

जवाब : नमाज़ हो गई। अब उसे लौटाने की ज़रूरत नहीं। चाहे पानी वक्त के अन्दर मिला हो या वक्त के बाद।

सवाल : तयम्मुम किन चीज़ों से टूटता है?

जवाब : जिन चीज़ों से वुज़ू टूटता है उनसे तयम्मुम भी टूट जाता है, हां-ग़ुस्ल का तयम्मुम सिर्फ़ हदसे अकबर (बड़ी नापाकी) से टूटता है और अगर पानी न मिलने की वजह से तयम्मुम किया था तो वह तयम्मुम पानी पर क़ब्ज़ा हासिल हो जाने से भी टूट जाता है और अगर किसी और मजबूरी जैसे बीमारी वग़ैरह की वजह से तयम्मुम किया था तो उस मजबूरी के जाते रहने से भी तयम्मुम टूट जाता है।

सवाल : एक वक़्त की नमाज़ के लिये तयम्मुम किया तो दूसरे वक़्त की नमाज़ उससे जाइज़ है या नहीं?

जवाब : एक तयम्मुम से जब तक वह टूटे नहीं जितने वक़्तों की चाहो नमाज़ पढ़ सकते हो। इसी तरह फ़र्ज़ नमाज़ के लिए जो तयम्मुम किया है इससे फ़र्ज़ नमाज़ और नफ़िल नमाज़ और क़ुरआन मजीद पढ़ना और जनाज़े की नमाज़, तिलावत का सज्दा और सारी इबादतें जाइज़ हैं।

सवाल : तयम्मुम की मुद्दत क्या है?

जवाब : जब तक पानी न मिले या मजबूरी बाक़ी रहे तयम्मुम जाइज़ है। अगर इसी हाल में कई साल गुज़र जायें तो कोई हर्ज नहीं।

नमाज़ की दूसरी शर्त, कपड़े पाक होने का बयान

सवाल : कपड़े पाक होने से क्या मतलब है?

जवाब : जो कपड़े नमाज़ पढ़ने वाले के बदन पर हों जैसे कुर्ता, पाजामा, टोपी, अमामा (पगड़ी), अचकन वग़ैरा, इस सब का पाक होना ज़रूरी है। यानी इनमें से किसी पर नजासत ग़लीज़ा (गाढ़े बदन वाली नापाकी) का एक दिरहम (चवन्नी) के बराबर गोल सिक्का) से ज़्यादा न होना और नजासत ख़फ़ीफ़ा (पतले बदन वाली नापाकी) का चौथाई कपड़े तक न पहुंचना नमाज़ जाइज़ होने के लिए शर्त है। बस अगर नजासत ग़लीज़ा एक दिरहम या इससे कम और निजासत ख़फ़ीफ़ा चौथाई कपड़े से कम लगी हो तो नमाज़ हो जायेगी लेकिन मकरूह होगी।

सवाल : अगर अमामा (पगड़ी) का एक किनारा नापाक है मगर नामज़ पढ़ने वाले ने उस किनारे को अलग कर दिया, दूसरे किनारे से आधा अमामा बांध लिया तो नमाज़ हो जाएगी या नहीं?

जवाब : जो कपड़ा नमाज़ी के बदन से ऐसा तअल्लुक़ रखता हो कि उसके हिलने जुलने से वह भी हिले जुले, ऐसे कपड़े का पाक होना शर्त है। इसलिए इस

सूरत में नमाज़ न होगी। क्योंकि नमाज़ी के हिलने से अमामा ज़रूर हिलेगा।

नमाज़ की तीसरी शर्त, (जगह पाक होने) का बयान

सवाल : जगह का पाक होने से क्या मतलब है?

जवाब : नमाज़ पढ़ने वाले के क़दमों, घुटनों, हाथों और सज्दे की जगह का पाक होना ज़रूरी है।

सवाल : जिस जगह पर नमाज़ पढ़ी जाये अगर उसकी दूसरी जानिब (ओर) नापाक हो तो क्या हुक्म है?

जवाब : अगर लकड़ी के तख़्ते, पत्थर या बिछी हुई ईंटों पर या किसी और ऐसी ही सख़्त या मोटी चीज़ पर नमाज़ पढ़ी और उसका वह रूख़ जिस पर नमाज़ पढ़ी पाक है तो नमाज़ हो जायेगी दूसरा रूख़ नापाक हो तो कुछ हर्ज नहीं और अगर पतले कपड़े पर नमाज़ पढ़ी और उसके दूसरे रूख़ पर निजासत थी तो नमाज़ सही न होगी।

सवाल : अगर कपड़ा दोहरा हो और ऊपर वाला पाक, नीचे वाला नापाक हो तो क्या हुक्म है?

जवाब : अगर ये दोनों आपस में सिले हुए न हों

और ऊपर वाला इतना मोटा हो कि नीचे की नापाकी की बू या रंग मालूम न हो तो नमाज़ जाइज़ है और अगर दोनों तहें कपड़े की सिली हुई हैं तो एहतियात यह है कि इस पर नमाज़ न पढ़े।

सवाल : नापाक ज़मीन, कपड़े या फ़र्श पर पाक कपड़ा बिछा कर नमाज़ पढ़ ले तो क्या हुक्म है?

जवाब : जबकि ऊपर वाले कपड़े में नीचे की नजासत की बू या रंग ज़ाहिर न हो तो नमाज़ जाइज़ है।

सवाल : अगर नमाज़ की जगह पाक है लेकिन कहीं आसपास नजासत है और उसकी बू नमाज़ में आती है तो नमाज़ होगी या नहीं?

जवाब : नमाज़ हो जायेगी। लेकिन जान-बूझकर ऐसी जगह नमाज़ पढ़ना अच्छा नहीं।

नमाज़ की चौथी शर्त, (सतर छुपाने का बयान)

सवाल : सतर छुपाने से क्या मतलब है?

जवाब : मर्द को नाफ़ से घुटने तक अपना बदन छुपाना फ़र्ज़ है। यह ऐसा फ़र्ज़ है कि नमाज़ के अन्दर भी फ़र्ज़ है नमाज़ के बाहर भी फ़र्ज़ है। औरत को सिवाये दोनों हथेलियों, पाँव और मुंह के सारा बदन

ढांपना फ़र्ज़ है। अगर्चे औरत को नमाज़ में मुंह छिपाना फ़र्ज़ नहीं लेकिन ग़ैर मर्दों के सामने बेपर्दा खुले मुंह आना भी जाइज़ नहीं?

सवाल : अगर सतर का कोई हिस्सा अनजाने में खुल जाये तो क्या हुक्म है?

जवाब : अगर चौथाई हिस्सा खुल जाये और इतनी देर खुला रहे जितनी देर में तीन बार 'सुबहा-न سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ रब्बियल अज़ीम' कह सके तो नमाज़ टूट जायेगी और खुलते ही एक दम ढक लिया तो नमाज़ सही होगी।

सवाल : अगर कोई आदमी अंधेरे में नंगा नमाज़ पढ़ ले तो क्या हुक्म है?

जवाब : अगर कपड़ा होते हुए नंगे बदन नमाज़ पढ़ी तो अंधेरे में हो या उजाले में, नमाज़ न होगी।

सवाल : अगर जान बूझकर चौथाई हिस्सा खोले तो क्या हुक्म है?

जवाब : जान बूझकर चौथाई हिस्सा खोलते ही नमाज़ टूट जायेगी।

सवाल : अगर किसी के पास बिल्कुल कपड़ा न हो तो क्या करे?

जवाब : अगर किसी तरह का कपड़ा न हो तो

किसी और चीज़ से बदन ढांके जैसे पेड़ों के पत्ते या टाट वग़ैरह। और जब कुछ भी सतर ढांकने को न मिले तो नंगा नमाज़ पढ़ ले। लेकिन इस हालत में बैठकर नमाज़ पढ़ना और रूकू और सज्दे को इशारे से अदा करना ज़्यादा अच्छा है।

नमाज़ की पांचवीं शर्त, (वक़्त) का बयान

सवाल : नमाज़ के लिए वक़्त शर्त होने से क्या मतलब है?

जवाब : नमाज़ को अदा करने के लिए यह शर्त है कि जो वक़्त उसके लिए रखा गया है उसी वक़्त में पढ़ी जाये। उस वक़्त से पहले पढ़ने से तो बिल्कुल नमाज़ सही न होगी और उसके बाद पढ़ने से अदा नहीं बल्कि क़ज़ा होगी।

सवाल : नमाज़ कितने वक़्तों की फ़र्ज़ है?

जवाब : दिन और रात में पांच वक़्त की नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। इनके अलावा एक नमाज़ वितर वाजिब है।

सवाल : फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत, नफ़िल किसे कहते हैं? और इनमें क्या-क्या फ़र्क़ है?

जवाब : फ़र्ज़ उसे कहते हैं जो ठोस दलील से

साबित हो यानी उसके सबूत में कोई शक न हो। इसके फ़र्ज़ होने से इन्कार करने वाला काफ़िर हो जाता है और बिना मजबूरी छोड़ने वाला फ़ासिक़ और अज़ाब का मुस्तहिक़ हो जाता है। वाजिब वह है जो ज़न्नी दलील से साबित हो। इसका इन्कार करने वाला काफ़िर तो नहीं होता हां बिना मजबूरी छोड़ने वाला फ़ासिक़ और अज़ाब का मुस्तहिक़ होता है। सुन्नत उस काम को कहते हैं जिसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने या सहाबा-ए-किराम ने किया हो या करने का हुक्म फ़रमाया हो। नफ़िल उन कामों को कहते हैं जिनकी फ़ज़ीलत शरीअत में साबित हो। उनके करने में सवाब और छोड़ने में अज़ाब न हो। उसे मुस्तहब और मन्दूब और ततव्वो भी कहते हैं।

सवाल : फ़र्ज़ की कितनी क़िस्में हैं?

जवाब : दो क़िस्में हैं। फ़र्ज़ ऐन और फ़र्ज़ किफ़ाया। फ़र्ज़ ऐन उस फ़र्ज़ को कहते है जिसका अदा करना हर आदमी पर ज़रूरी हो और बिना मजबूरी छोड़ने वाला फ़ासिक़ और गुनहगार हो और फ़र्ज़ किफ़ाया वह फ़र्ज़ है जो एक दो आदमियों के अदा कर लेने से सबके ज़िम्मे से उतर जाये, और कोई अदा न करे तो सब गुनहगार हों।

सवाल : सुन्नत की कितनी क़िस्में हैं?

जवाब : दो क़िस्में हैं (1) सुन्नत मुअक्किदा और (2) सुन्नत ग़ैर मुअक्किदा। सुन्नत मुअक्किदा उस काम को कहते हैं जिसे हुज़ूर रसूले करीम सलअम ने हमेशा किया हो या करने के लिए फ़रमाया हो और हमेशा किया गया हो यानी बिना मजबुरी कभी न छोड़ा हो, ऐसी सुन्नतों को बिना मजबूरी छोड़ देना गुनाह है और छोड़ देने की आदत डाल लेना सख़्त गुनाह है। और सुन्नत ग़ैर-मुअक्किदा उसे कहते हैं जिसे हुज़ूर स० ने अक्सर किया हो, लेकिन कभी-कभी बिना मजबूरी छोड़ भी दिया हो। इन सुन्तों के करने में मुस्तहब से ज़्यादा सवाब है। और छोड़ने में गुनाह नहीं। इन सुन्तों को सुनन-ए-ज़वाएद भी कहते हैं।

सवाल : हराम, मकरूह तहरीमी और मकरूह तन्जीही से क्या मतलब है?

जवाब : हराम उस काम को कहते हैं जिसकी मनाही क़तई दलील से साबित हो और उसको करने वाला फ़ासिक़ और अज़ाब का मुस्तहिक़ हो। और उसका इन्कार करने वाला काफ़िर हो। और मकरूह तहरीमी उस काम को कहते है जिसकी मनाही ज़न्नी दलील से साबित हो और उसका इन्कार करने वाला काफ़िर नहीं

मगर करने वाला उसका भी गुनहगार होता है। मकरूह तन्जीही उस काम को कहते हैं जिसको छोड़ने में सवाब है और करने में अज़ाब तो नहीं लेकिन एक तरह की बुराई है।

सवाल : मुबाह किसे कहते हैं?

जवाब : मुबाह उस काम को कहते है जिसके करने में सवाब न हो और न करने में गुनाह और अज़ाब न हो।

सवाल : फ़ज्र की नमाज़ का वक्त बयान करो।

जवाब : सूरज निकलने से तक़रीबन डेढ़ घंटा पहले पूरब की तरफ़ आस्मान के किनारे पर एक सफ़ेदी ज़ाहिर होती है। वह सफ़ेदी ज़मीन से उठकर ऊपर की तरफ़ एक सतून की तरह ऊंची होती है। उसे सुबह काज़िब कहते हैं। थोड़ी देर रहकर यह सफ़ेदी गायब हो जाती है। उसके बाद दूसरी सफ़ेदी ज़ाहिर होती है जो पूरब की तरफ़ को दाई-बाई तरफ़ को फैलती हुई उठती है। यानी आस्मान के सारे पूरबी किनारे पर फैली हुई होती है। ऊपर की तरफ़ लम्बी-लम्बी नहीं उठती। इसे सुबह सादिक़ कहते हैं। इसी सुबह सादिक़ के निकलने से फ़ज्र की नमाज़ का वक्त शुरू होता है। और सूरज निकलने से पहले-पहले तक रहता है। जब सूरज का थोड़ा सा

किनारा भी निकल आया तो फ़ज्र का वक़्त जाता रहा।

सवाल : फ़ज्र का मुस्तहब वक़्त क्या है?

जवाब : जब उजाला हो जाये और इतना वक़्त हो कि सुन्नत के मुवाफ़िक़ अच्छी तरह नमाज़ अदा की जाये और नमाज़ से फ़ारिग़ होने के बाद इतना वक़्त बाक़ी रहे कि अगर यह नमाज़ किसी वजह से सही न हुई हो तो सूरज निकलने से पहले दोबारा सुन्नत के मुवाफ़िक़ पढ़ी जा सकती हो, ऐसे वक़्त नमाज़ पढ़ना अच्छा है।

सवाल : ज़ुहर की नमाज़ का वक़्त बयान करो?

जवाब : ज़ुहर की नमाज़ का वक़्त सूरज ढलने के बाद से शुरू होता है और ठीक दोपहर के वक़्त हर चीज़ का जितना साया हो उसके अलावा ज़ब हर चीज़ का साया इस चीज़ से दुगना हो जाये तो ज़ुहर का वक़्त ख़त्म हो जाता है।

सवाल : ज़ुहर का मुस्तहब वक़्त क्या है?

जवाब : गर्मी के मौसम में इतनी देर करके पढ़ना कि गर्मी की तेज़ी कम हो जाये और जाड़ों के मौसम में वक़्त शुरू होते ही पढ़ना मुस्तहब है। लेकिन इसका ख़्याल रखना चाहिए कि ज़ुहर की नमाज़ हर हाल में मिस्ल के अन्दर पढ़ ली जाये।

सवाल : अस्र की नमाज़ का वक़्त बताओ।

जवाब : जब हर चीज़ का साया असली साये के अलावा दो मिस्ल हो जाय तो ज़ुहर का वक़्त ख़त्म होकर अस्र का वक़्त शुरू हो जाता है और सूरज डूबने तक रहता है लेकिन जब सूरज बहुत नीचे हो जाये और धूप कमज़ोर और पीली-पीली हो जाये तो उस वक़्त नमाज़ मकरूह होती है। इससे पहले-पहले अस्र की नमाज़ पढ़ लेनी चाहिये।

सवाल : मग़रिब की नमाज़ का वक़्त बयान करो?

जवाब : जब सूरज छुप जाये तो मग़रिब का वक़्त शुरू होता है और शफ़क़ ग़ुरूब होने तक रहता है।

सवाल : शफ़क़ किसे कहते हैं?

जवाब : सूरज छुपने के बाद पश्चिम की तरफ़ आसमान पर जो सुर्ख़ी रहती है इसे शफ़क़ अहमर कहते हैं। फिर सुर्ख़ी ग़ायब होने के बाद एक सफ़ेदी बाक़ी रहती है इसे शफ़क़ अबयज़ कहते हैं। फिर यह सफ़ेदी भी ग़ायब हो जाती है और सारा आसमान एक सा नज़र आता है। इस शफ़क़ अबयज़ के ग़ायब होने से पहले पहले तक मग़रिब का वक़्त रहता है।

सवाल : मग़रिब का मुस्तहब वक़्त क्यां है?

जवाब : अव्वल वक़्त मुस्तहब है। और बिना

मजबूरी देर करके नमाज़ पढ़ना मकरूह है।

सवाल : इशा की नमाज़ का वक़्त क्या है?

जवाब : सफ़ेद शफ़क़ जाते रहने के बाद से इशा का वक़्त शुरू हो जाता है और सुबह सादिक़ होने से पहले-पहले तक रहता है।

सवाल : इशा का मुस्तहब वक़्त क्या है।?

जवाब : एक तिहाई रात तक मुस्तहब वक़्त है। इसके बाद आधी रात तक मुबाह है। इसके बाद मकरूह हो जाता है।

सवाल : वितर की नमाज़ का वक़्त बताओ?

जवाब : वितर की नमाज़ का वक़्त वही है जो इशा की नमाज़ का है। लेकिन वितर की नमाज़ इशा की नमाज़ से पहले जाइज़ नहीं होती। यानी इशा की नमाज़ के बाद इसका वक़्त होता है।

सवाल : वितर का मुस्तहब वक़्त कौन-सा है?

जवाब : अगर किसी को अपने ऊपर भरोसा हो कि आख़री रात में ज़रूर जाग जाऊंगा तो उसके लिये रात के आख़िरी हिस्से में वितर पढ़ना मुस्तहब है। लेकिन अगर जागने पर भरोसा न हो तो सोने से पहले ही वितर पढ़ लेना चाहिये।

नमाज़ की छटी शर्त, (इस्तिक़बाले क़िब्ला) का बयान

सवाल : इस्तिक़बाले क़िब्ला के क्या माने हैं?

जवाब : क़िब्ला (काबा शरीफ़) की तरफ़ मुँह करने को इस्तिक़बाले क़िब्ला कहते हैं

सवाल : इस्तिक़बाले क़िब्ला नमाज़ में शर्त होने का क्या मतलब है?

जवाब : नमाज़ पढ़ते वक़्त ज़रूरी है कि नमाज़ पढ़ने वाले का मुँह काबे की तरफ़ हो।

सवाल : मुस्लमानों का क़िब्ला क्या है?

जवाब : मुस्लमानों का क़िब्ला ख़ाना काबा है। ख़ाना काबा कमरे की शकल का एक घर है जो अरब के मुल्क में मक्का मुअज़्ज़मा शहर में है। ख़ाना काबा को काबतुल्लाह "बैतुल्लाह" और बैतुल हराम' भी कहते हैं।

सवाल : क़िब्ला किस तरफ़ है?

जवाब : हिन्दुस्तान, बर्मा, पाकिस्तान, बंगला देश और बहुत से मुल्कों में क़िब्ला पच्छिम की तरफ़ है; क्योंकि ये सारे देश मक्का मुअज़्ज़मा से पूरब की तरफ़ हैं।

सवाल : अगर बीमार का मुँह क़िब्ला की तरफ़ न हो और उसमें हिलने की भी ताक़त न हो

तो क्या करे?

जवाब : अगर कोई दूसरा आदमी मौजूद हो जो बीमार को क़िब्ले की तरफ़ फेर सकता हो और मरीज़ को ज़्यादा तक्लीफ़ होने का डर भी न हो तो उसका मुँह क़िब्ले की तरफ़ कर दिया जाये और अगर दूसरा आदमी न हो या मरीज़ को बहुत तक्लीफ़ होती हो तो जिस तरफ़ मुँह हो उसी तरफ़ नमाज़ पढ़ ले।

नमाज़ की सातवीं शर्त, (नीयत) का बयान

सवाल : नीयत से क्या मतलब है?

जवाब : नीयत दिल से इरादा करने को कहते हैं।

सवाल : नीयत में किस चीज़ का इरादा करे?

जवाब : नीयत में ख़ास उस फ़र्ज़ नमाज़ का इरादा करना ज़रूरी है जो पढ़ना चाहता है। जैसे फ़ज्र की नमाज़ पढ़नी है तो यह इरादा करे कि आज की फ़ज्र की नमाज़ पढ़ता हूँ। या क़ज़ा नमाज़ हो तो यूँ नीयत करे कि फ़लाँ दिन की फ़ज्र की नमाज़ पढ़ता हूँ। और अगर इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ता हो तो उसकी नीयत भी करनी ज़रूरी है।

सवाल : नीयत का ज़ुबान से कहना कैसा है?

जवाब : मुस्तहब है। अगर ज़ुबान से न कहे तो नमाज़ में कुछ नुक़सान नहीं और कह ले तो अच्छा है।

सवाल : नफ़िल नमाज़ की नीयत किस तरह करनी चाहिये?

जवाब : नफ़िल नमाज़ की नीयत इतनी काफ़ी है कि नफ़िल की नमाज़ पढ़ता हूं। सुन्नत नमाज़ और तरावीह के लिये भी इतनी ही नीयत काफ़ी है।

अज़ान का बयान

सवाल : अज़ान् के क्या माने हैं?

जवाब : अज़ान के माने ख़बर करने के हैं। लेकिन शरीअत में ख़ास नमाज़ों के लिए ख़ास अल्फ़ाज़ से ख़बर करने को अज़ान कहते हैं। (अज़ान के अल्फ़ाज़ तालीमुल इस्लाम के पहले हिस्से में लिखे जा चुके हैं।)

सवाल : अज़ान फ़र्ज़ है या सुन्नत?

जवाब : अज़ान सुन्नत है। लेकिन चूंकि अज़ान से इस्लाम की एक ख़ास शान ज़ाहिर होती है इसलिये इसकी ताकीद बहुत है।

सवाल : अज़ान किन नमाज़ों के लिये सुन्नत है?

जवाब : पांच फ़र्ज़ नमाज़ों और जुमे की नमाज़ के लिये अज़ान मस्नून है। इसके अलावा और किसी नमाज़

के लिये अज़ान मस्नून नहीं।

सवाल : अज़ान किस वक़्त कहनी चाहिए?

जवाब : हर फ़र्ज़ नमाज़ की अज़ान उसके वक़्त में कहनी चाहिए। अगर वक़्त से पहले कह दी तो वक़्त आने पर दोबारा कही जाये।

सवाल : अज़ान का मुस्तहब तरीक़ा क्या है?

जवाब : अज़ान में सात बातें मुस्तहब हैं: (1) क़िब्ले की तरफ़ मुँह करके खड़े होना (2) अज़ान के कलिमात ठहर-ठहर कर कहना यानी जल्दी न करना (3) अज़ान कहते वक़्त दोनों शहादत की उंगलियां (अंगूठे के पास वाली उंगली) कानों में रखना (4) ऊंची जगह पर अज़ान कहना (5) ज़ोर से अज़ान कहना (6) حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ है-य अलस्सलाह' कहते वक़्त दाईं तरफ़ और حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ 'है-य अलल फ़लाह' कहते वक़्त बाईं तरफ़ मुँह फेरना। (7) फज्र की अज़ान में حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ 'है-य अलल फ़लाह' के बाद اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ 'अस्सलातु ख़ैरूम मिनन नौम' दो बार कहना।

सवाल : इक़ामत किसे कहते हैं?

जवाब : फ़र्ज़ नमाज़ शुरू करते वक़्त यही कलिमात जो अज़ान के हैं, कहे जाते हैं मगर حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ है-य अलल फ़लाह' के बाद इक़ामत में

قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ कदका-मतिस्सलाह' दो बार अज़ान के कलिमों से ज़्यादा कहा जाता है।

सवाल : इक़ामत कहना कैसा है?

जवाब : इक़ामत भी फ़र्ज़ नमाज़ों के लिये सुन्नत है। फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा किसी नमाज़ के लिये मस्नून नहीं।

सवाल : क्या अज़ान और इक़ामत मर्दों और औरतों दोनों के लिए सुन्नत है?

जवाब : नहीं बल्कि सिर्फ़ मर्दों के लिए सुन्नत है।

सवाल : बे वुज़ू अज़ान और इक़ामत कहना कैसा है?

जवाब : अज़ान बे वुज़ू कहना जाइज़ है मगर इसकी आदत डालना बुरा है और इक़ामत बे वुज़ू मकरूह है।

सवाल : अगर किसी वक़्त कोई आदमी अपने घर में फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ ले तो अज़ान और इक़ामत कहे या नहीं?

जवाब : मुहल्ले की मस्जिद की अज़ान और इक़ामत काफ़ी है लेकिन कहले तो अच्छा है।

सवाल : मुसाफ़िर सफ़र की हालत में अज़ान और इक़ामत कहे या नहीं?

जवाब : हां ! सफ़र की हालत में जब आबादी से बाहर हो अज़ान और इक़ामत दोनों कहनी चाहिये। लेकिन अगर अज़ान न कहे सिर्फ़ इक़ामत कहले जब भी हर्ज नहीं और दोनों को छोड़ देना मकरूह है।

सवाल : अज़ान एक आदमी कहे और इक़ामत दूसरा कह दे तो यह जाइज़ है या नहीं?

जवाब : अगर अज़ान कहने वाला मौजूद न हो या मौजूद तो हो मगर दूसरे आदमी के इक़ामत कहने से नाराज़ न हो तो जाइज़ है लेकिन अगर इसको नाराज़ी हो तो मकरूह है।

सवाल : अज़ान के बाद कितनी देर ठहर कर इक़ामत कहनी चाहिए?

जवाब : मग़रिब की अज़ान के सिवा और सब वक़्तों में इतनी देर ठहरना चाहिए कि जो लोग खाने पीने में लगे हों या पाख़ाना-पेशाब कर रहे हों वे निपट कर नमाज़ में मिल जायें और मग़रिब की अज़ान के बाद इतनी देर ठहर कर कि तीन आयतें पढ़ सके तक्बीर कहे।

सवाल : अज़ान और इक़ामत की इजाबत किसे कहते हैं? और इसका क्या हुक्म है?

जवाब : अज़ान और इक़ामत दोनों की इजाबत

मुस्तहब है और इजाबत से यह मतलब है कि सुनने वाले भी वही कलिमा कहते जायें जो मुअज़्ज़िन या मुकब्बिर कहता है मगर حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ 'है-य अलस्सलाह' और حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ 'है-य अलल-फ़लाह' सुनकर لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ 'ला हौ-ल व ला कुव्व तइल्ला बिल्लाह' कहना चाहिए और फ़ज्र की अज़ान में اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ 'अस्सलातु ख़ैरूम मिनन नौम' सुनकर صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ 'सदक़-त व बरर-त' कहना चाहिए, और तकबीर में قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ 'क़दक़ामतिस्सलात' सुन कर اَقَامَهَا اللهُ وَاَدَامَهَا 'अक़ामहल्ला हु व अदा-महा' कहना चाहिए।

सवाल : अज़ान के बाद क्या दुआ पढ़नी चाहिए?

जवाब : अज़ान के बाद यह दुआ पढ़ें:-

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ
وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ
مَقَامًا مَّحْمُوْدَا نِ الَّذِيْ وَعَدْتَّهُ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

"अल्लाहुम-म रब-ब हाज़िहिद दा-व तित ताम-मति वस-सला तिल क़ा-इ-म-ति आति मुहम-म-द-निल वसी-ल-त वल फ़ज़ी ल-त वब अस-हु मक़ामन महमूद-निल लज़ी व अत-तहू इन-न-क ला तुख़लिफ़ुल मीआद।"

नमाज़ के अरकान का बयान

सवाल : नमाज़ के अरकान किसे कहते हैं?

जवाब : नमाज़ के अरकान इन चीज़ों को कहते हैं जो नमाज़ के अन्दर फ़र्ज़ है। अरकान रूक्न की जमा है। रूक्न के माने फ़र्ज़ और अरकान के माने फ़राइज़ हैं।

सवाल : नमाज़ के अन्दर कितने फ़र्ज़ हैं?

जवाब : छः चीज़ें फ़र्ज़ हैं।(1) तक्बीर तहरीमी कहना (2) क़याम (खड़ा होना) (3) क़िरअत (यानी क़ुरआन मजीद पढ़ना) (4) रूकू करना (5) दोनों सज्दे (6) क़ादा अख़ीरा यानी नमाज़ के आख़िर में अत-त-हैयात पढ़ने की मिक़दार (बराबर) बैठना। मगर तकबीर तहरीमा शर्त है रूक्न नहीं।

सवाल : तक्बीर तहरीमा शर्त है तो उसे पहली सात शर्तों के साथ क्यों बयान नहीं किया?

जवाब : चूंकि तक्बीर तहरीमा और नमाज़ के अरकान में कोई फ़ास्ला नहीं है और इसीसे नमाज़ शुरू होती है इसलिए तक्बीर तहरीमा को नमाज़ के अरकान के साथ बयान करना ठीक मालूम हुआ।

तकबीर तहरीमा का बयान

सवाल : तकबीर तहरीमा से क्या मतलब है?

जवाब : निय्यत बांधते वक्त अल्लाहु अक्बर कहते हैं। इस तक्बीर के कहने से नमाज़ शुरू हो जाती है और जो बातें कि नमाज़ के ख़िलाफ़ हैं वे हराम हो जाती हैं। इसलिए इसे तकबीर तहरीमा कहते हैं।

सवाल : फ़र्ज़ नमाज़ की तकबीर तहरीमा झुके-झुके कही तो जाइज़ हुई या नहीं?

जवाब : नहीं, क्योंकि तकबीर तहरीमा के वक्त फ़र्ज़ और वाजिब नमाज़ों में जबकि कोई मजबूरी न हो सीधा खड़ा होना शर्त है।

नमाज़ के पहले रुक्न यानी क़याम का बयान

सवाल : क़याम से क्या मतलब है?

जवाब : क़याम खड़े होने को कहते है और खड़े होने से ऐसा सीधा खड़ा होना मतलब है कि घुटनों तक हाथ न पहुंच सकें।

सवाल : कितना क़याम और किस नमाज़ में फ़र्ज़ है?

जवाब : फ़र्ज और वाजिब नमाज़ों में इतना खड़ा

होना फ़र्ज़ है जिसमें फ़र्ज़ के मुताबिक़ क़िरअत पढ़ी जा सके।

सवाल : अगर खड़े होने की ताक़त न हो तो क्या करे?

जवाब : बीमारी, ज़ख़्म या दुश्मन के डर से या ऐसी ही किसी बड़ी मजबूरी से खड़ा न हो सके तो बैठ कर फ़र्ज़ और वाजिब नमाज़ें पढ़नी जाइज़ हैं।

सवाल : नफ़िल नमाज़ में क़याम का क्या हुक्म है?

जवाब : नफ़िल नमाज़ में क़याम फ़र्ज़ नहीं। किसी मजबूरी के बग़ैर भी बैठकर नफ़िल नमाज़ पढ़ना जाइज़ है बिना मजबूरी बैठ कर नफ़िल नमाज़ पढ़ने में आधा सवाब मिलता है।

नमाज़ के दूसरे रुकन, क़िरअत का बयान

सवाल : क़िरअत से क्या मतलब है?

जवाब : क़िरअत क़ुरआन मजीद पढ़ने को कहते हैं।

सवाल : नमाज़ में कितना क़ुरआन पढ़ना ज़रूरी है?

जवाब : कम से कम एक आयत पढ़ना फ़र्ज़ है। और सूरत फ़ातिहा पढ़ना वाजिब है और फ़र्ज़ की पहली दो रकअतों और नमाज़ वितर और सुन्नत और नफ़िल

की सारी रकअतों में सूरत फ़ातिहा के बाद कोई और सूरत या बड़ी एक आयत या छोटी तीन आयतें पढ़ना भी वाजिब हैं।

सवाल : क्या सूरत फ़ातिहा तमाम नमाज़ों की हर रकअत में पढ़ना वाजिब है?

जवाब : फ़र्ज़ नमाज़ की तीसरी रकअत और चौथी रकअत के अलावा हर नमाज़ की (चाहे वह फ़र्ज़ हो या वाजिब या सुन्नत या नफ़िल) हर रकअत में सूरत फ़ातिहा पढ़ना वाजिब है।

सवाल : अगर किसी को एक आयत भी याद न हो तो क्या करे?

जवाब : सुबहानल्लाह या अलहम्दुलिल्लाह क़िरअत के बदले पढ़ ले और जल्दी से जल्दी इस पर कुरआन मजीद सीखना और याद करना फ़र्ज़ है। इतनी क़िरअत याद करना जितनी फ़र्ज़ और वाजिब में पढ़नी फ़र्ज़ है, बहुत ज़रूरी है। अगर न सीखे तो बहुत बड़ा गुनहगार होगा।

सवाल : क़ुरआन मजीद किस किस नमाज़ में ज़ोर से पढ़ना चाहिए?

जवाब : इमाम पर वाजिब है कि मग़रिब और इशा की पहली दो रकअतों में और फ़ज्र, जुमा और

दोनों ईदों की नमाज़ों में और रमज़ान मुबारक के महीने में तरावीह और वितर की नमाज़ों में क़िरअत ज़ोर से पढ़े।

सवाल : किन नमाज़ों में क़िरअत आहिस्ता करनी चाहिए?

जवाब : ज़ुहर और अस्र की नमाज़ों में इमाम और मुनफ़रिद (अकेला नमाज़ पढ़ने वाला) सबको और वितर की नमाज़ में मुनफ़रिद को क़िरअत आहिस्ता करनी चाहिए।

सवाल : ज़ोर से पढ़ने की हद क्या है?

जवाब : ज़ोर से पढ़ने का सबसे छोटा दर्जा यह है कि अपनी आवाज़ पास वाले आदमी के कान में पहुंच सके और धीरे पढ़ने का सबसे छोटा दर्जा यह है कि अपनी आवाज़ अपने कान में पहुंच सके।

सवाल : जिन नमाज़ों में ज़ोर से क़िरअत पढ़ी जाती है उन्हें क्या कहते हैं?

जवाब : उन्हें जहरी नमाज़ें कहते हैं। क्योंकि जहर के माने ज़ोर से पढ़ने के हैं।

सवाल : जिन नमाज़ों में धीरे से क़िरअत की जाती है उन्हें क्या कहते हैं?

जवाब : उन्हे सिर्री नमाज़ें कहते हैं। क्योंकि सिर्र

के माने धीरे पढ़ने के हैं।

सवाल : अगर कोई आदमी ज़ोर से अलफ़ाज़ न कहे सिर्फ़ ख़्याल से (दिल में) पढ़ जाये तो जाइज़ है या नहीं?

जवाब : सिर्फ़ ख़्याल दौड़ा लेने से नमाज़ न होगी बल्कि ज़बान से पढ़ना ज़रूरी है।

नमाज़ के तीसरे रुक्न (रुकू) और चौथे रुक्न (सज्दे) का बयान

सवाल : रूकू की सबसे छोटी मिक़दार क्या है?

जवाब : रूकू की सबसे छोटी मिक़दार इतना झुकना है कि हाथ घुटनों तक पहुंच जाये।

सवाल : रूकू का सुन्नत तरीक़ा क्या है?

जवाब : इतना झुकना कि सर और कमर बराबर रहें और हाथ पसलियों से अलग रहें और घुटनों को दोनों हाथों से पकड़ लिया जाये।

सवाल : अगर बुढ़ापे की वजह से इतनी कमर झुक जाये या कोई इतना कुबड़ा हो कि रूकू की बनावट हो जाये तो रूकू किस तरह करे?

जवाब : सर से इशारा करले यानी सिर्फ़ सर को ज़रा सा झुका देने से उसका रूकू अदा हो जायेगा।

सवाल : सज्दे से क्या मतलब है?

जवाब : ज़मीन पर माथा रखने को सज्दा कहते है।

सवाल : अगर सिर्फ़ नाक या माथे पर सज्दा करे तो सज्दा अदा होगा या नहीं?

जवाब : अगर किसी मजबूरी से ऐसा करे तो जाइज़ और बिना मजबूरी सिर्फ़ माथे पर सज्दा किया तो सज्दा तो हो जायेगा लेकिन मकरूह (नापसन्द) है और बिना मजबूरी सिर्फ़ नाक पर सज्दा करने से सज्दा अदा भी न होगा।

सवाल : हर रकअत में एक सज्दा फ़र्ज़ है या दोनों?

जवाब : दोनों सज्दे फ़र्ज़ हैं।

सवाल : अगर माथे और नाक दोनों पर ज़ख़्म हो तो क्या करे?

जवाब : सज्दे का इशारा सर से कर लेना ए आदमी के लिए काफ़ी है।

सवाल : पहले सज्दे के बाद कितना ठहर कर दूसरा सज्दा करे।

जवाब : अच्छी तरह बैठ जाये फिर दूसरा सज्दा करे।

सवाल : दोनों ईदों या जुमा और किसी बड़ी जमाअत में लोगों की भीड़ की वजह से जगह तंग हो

गई और पीछे वाले आदमी ने अपने आगे वाले की कमर पर सज्दा कर लिया तो जाइज़ है या नहीं?

जवाब : जाइज़ है।

नमाज़ के पाँचवें रूक्न (आख़िरी क़अदा) का बयान

सवाल : आख़री क़अदा कितना फ़र्ज़ है?

जवाब : अत तहिय्यात के आख़री अल्फ़ाज़ عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ 'अबदुहू व रसूलुहूं तक पढ़ने के बराबर बैठना फ़र्ज़ है।

सवाल : आख़री क़अदा किन-किन नमाज़ों में फ़र्ज़ है?

जवाब : सारी नमाज़ों में चाहे वे फ़र्ज़ हों या वाजिब, सुन्नत हों या नफ़िल आख़री क़अदा फ़र्ज़ है।

नमाज़ के वाजिबात का बयान

सवाल : नमाज़ के वाजिबात से क्या मतलब है?

जवाब : नमाज़ के वाजिबात उन चीज़ों को कहते हैं जिनका नमाज़ में अदा करना ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई चीज़ भूले से छूट जाये तो सज्दा सहू कर लेने से नमाज़ सही हो जाती है। और भूल से छूटने के बाद सज्दा सहू न किया जाये या जान-भूझ कर कोई चीज़

छोड़ दी जाये तो नमाज़ का लौटाना (दोबारा पढ़ना) वाजिब होता है।

सवाल : नमाज़ में कितने वाजिबात हैं?

जवाब : नमाज़ में चौदह (14) वाजिबात हैं-

(1) फ़र्ज़ नमाज़ों की पहली दो रकअतों को क़िरअत के लिये मुक़र्रर करना। (2) फ़र्ज़ नमाज़ों की तीसरी और चौथी रकअत के अलावा सारी नमाज़ों की हर रकअत में सूरत फ़ातिहा पढ़ना (3) फ़र्ज़ नमाज़ों की पहली दो रकअतों में और वाजिब, सुन्नत और नफ़िल नमाज़ों की सारी रकअतों में सूरत फ़ातिहा के बाद कोई सूरत या एक बड़ी आयत या छोटी तीन आयतें पढ़ना (4) सूरत फ़ातिहा को सूरत से पहले पढ़ना (5) क़िरअत और रूकू में और सज्दों और रकअतों में तरतीब क़ायम रखना (6) क़ोमा करना यानी रूकू से उठकर सीधा खड़ा होना (7) जल्सा-यानी दोनों सज्दों के बीच सीधा बैठ जाना (8) तादील अरकान यानी रूकू, सज्दा वग़ैरह को इतमीनान से अच्छी तरह अदा करना। (9) क़अदा ऊला यानी तीन और चार रकअत वाली नमाज़ में दो रकअतों के बाद तशह्हुद पढ़ने जितना बैठना (10) दोनों क़अदों में तशहहुद पढ़ना (11) इमाम को फ़ज्र, मग़रिब, इशा, जुमा, दोनों ईदों, तरावीह और रमज़ान शरीफ़ के वितरों में

आवाज़ से क़िरअत करना और ज़ुहर, अस्र वग़ैरह नमाज़ों में धीरे पढ़ना (12) सलाम कहकर नमाज़ से अलग होना (13) वितर की नमाज़ में क़नूत के लिये तकबीर कहना और दुआए क़नूत पढ़ना (14) दोनों ईदों की नमाज़ में ज़्यादा तकबीरें कहना।

नमाज़ की सुन्नत का बयान

सवाल : नमाज़ की सुन्नतों से क्या मतलब है?

जवाब : जो चीज़ें नमाज़ में हुज़ूर रसूल करीम स० से साबित हुई हैं लेकिन उनकी ताकीद फ़र्ज़ और वाजिब के बराबर साबित नहीं हुई उन्हें सुन्नत कहते हैं। इन चीज़ों में से कोई चीज़ अगर भूले से छूट जाये तो न नमाज़ टूटती है और न सज्दा सहू वाजिब होता है, न गुनाह होता है। और जान-बूझकर छोड़ देने से नमाज़ तो नहीं टूटती और न सज्दा सहू वाजिब होता है लेकिन छोड़ने वाला मलामत का मुस्तहिक़ होता है।

सवाल : नमाज़ में कितनी सुन्नतें हैं?

जवाब : नमाज़ में इक्कीस (21) सुन्नते हैं:-

(1) तकबीर तहरीमा कहने से पहले दोनों हाथ कानों तक उठाना (2) दोनों हाथों की उंगलियां अपने हाल पर खुली हुई और क़िब्ले की तरफ़ रखना (3) तकबीर कहते

वक़्त सर को न झुकाना (4) इमाम का तकबीर तहरीमा और एक रूक्न से दूसरे में जाने की सारी तकबीरें ज़रूरत के मुताबिक़ ऊँची आवाज़ से कहना (5) सीधे हाथ को बायें हाथ पर नाफ़ के नीचे बांधना (6) सना पढ़ना (7) तअव्वुज़ यानी "अऊ़ज़ु बिल्लाह" पढ़ना (8) "बिस्मिल्लाह" पढ़ना (9) फ़र्ज नमाज़ की तीसरी और चौथी रकअत में सिर्फ़ सूरत फ़ातिहा पढ़ना (10) आमीन कहना (11) सना और तअव्वुज़, बिस्मिल्लाह और आमीन सबको धीरे पढ़ना (12) सुन्नत के मुताबिक़ क़िरअत करना यानी जिस-जिस नमाज़ में जितना क़ुरआन मजीद पढ़ना सुन्नत है उसके मुताबिक़ पढ़ना (13) रूकू और सज्दे में तीन-तीन बार तस्बीह पढ़ना (14) रूकू में सर और पीठ को एक सीध में बराबर रखना और दोनों हाथों की खुली उंगलियों से घुटनों को पकड़ लेना (15) क़ौमा (खड़े होकर) में इमाम को "समिअल्लाह हुलिमन हमि दह" और मुक़तदी को "रब्बना लकल हम्द" कहना और मुनफ़रिद को तस्मी और तहमीद दोनों कहना (16) सज्दे में जाते वक़्त पहले दोनों घुटने, फिर दोनों हाथ, फिर माथा रखना (17)जल्सा और क़अदा में बायां पांव बिछाकर इस पर बैठना और सीधे पांव को इस तरह खड़ा रखना कि

उसकी उंगलियों के सिरे क़िब्ले की तरफ़ रहें और दोनों हाथ रानों पर रखना (18) तशह हुद में "अश ह दु अल्ला इला ह पर कलिमे की उंगली से इशारा करना (19) आख़िरी क़अदा में तशह हुद के बाद दरूद पढ़ना (20) दरूद के बाद दुआ पढ़ना (21) पहले दाईं तरफ़ फिर बाईं तरफ़ सलाम फेरना।

नमाज़ में मुस्तहब बातों का बयान

सवाल : नमाज़ में कितनी चीज़ें मुस्तहब हैं?

जवाब : नमाज़ में पांच चीज़ें मुस्तहब हैं (1) तक्बीर तहरीमा कहते वक़्त आस्तीनों से दोनों हथेलियां निकाल लेना (2) रूकू सज्दे में मुनफ़रिद को तीन बार से ज़्यादा तस्बीह कहना। (3) क़याम की हालत में सज्दे की जगह पर और रूकू में पैरों के ऊपर और जल्सा और क़अदा में अपनी गोद पर और सलाम के वक़्त अपने कंधों पर नज़र रखना (4) खांसी को अपने बस भर रोकना (5) जमाई में मुंह बन्द रखना और खुल जाये तो क़याम की हालत में सीधे हाथ और बाक़ी हालतों में बाएं हाथ की पीठ से मुंह छुपा लेना।

नमाज़ पढ़ने की पूरी तरकीब

जब नमाज़ पढ़ने का इरादा करो तो पहले अपना बदन ह-दसे अक्बर और ह-दसे असग़र और ज़ाहिरी नापाकी से पाक कर लो और पाक कपड़े पहन कर पाक जगह पर क़िब्ले की तरफ़ मुंह करके इस तरह खड़े हो कि दोनों पैरों के बीच चार उंगल या इसके लगभग फ़ास्ला रहे। फिर जो नमाज़ पढ़नी है उसकी नीयत दिल से करो जैसे फ़ज्र की नमाज़ फ़र्ज़ ख़ुदा के लिये पढ़ता हूं और ज़बान से भी कह लो तो अच्छा है। फिर दोनों हाथ कानों तक उठाओ, हाथों की हथेलियां और उंगलियां क़िब्ले की तरफ़ रहें और अंगूठे कानों की लो के सामने रहें और उंगलियां खुली रहें। इस वक़्त दोनों हाथ अल्लाहु अक्बर कह कर नाफ़ के नीचे बांध लो। सीधे हाथ की हथेली बाएं हाथ की हथेली की पीठ पर रहे और अंगूठे और छंगुलिया (सबसे छोटी उंगली) से घेरा बनाकर गट्टे को पकड़ लो और बाक़ी तीन उंगलियां कलाई पर रहें और नज़र सज्दे की जगह पर रहे। हाथ बांध कर चुपके-चुपके सना पढ़ो, फिर "अऊज़ु बिल्लाह" फिर "बिस्मिल्लाह" पढ़ कर सूरत फ़ातिहा पढ़ो। जब सूरत फ़ातिहा ख़त्म कर लो तो चुपके से

आमीन कहो, फिर कोई सूरत या बड़ी आयत या छोटी तीन आयतें पढ़ो। (लेकिन अगर तुम इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हो तो सिर्फ़ सना पढ़कर ख़ामोश खड़े रहो, अऊज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, सूरत फ़ातिहा और सूरत कुछ न पढ़ो), क़िरअत साफ़-साफ़ और सही-सही पढ़ो जल्दी न करो। फिर "अल्लाहु अकबर" कहते हुए रूकु में जाओ। उंगलियों को खोलकर उनसे घुटनों को पकड़ लो, पीठ को ऐसा सीधाकर लो कि अगर इस पर पानी का प्याला रख दिया जाये तो ठीक रखा रहे। सर को कमर की सीध में रखो, न ऊंचा करो न नीचा रखो हाथ पसलियों से अलग रहें और पिंडलियां सीधी खड़ी रहें। फिर रूकू की तस्बीह तीन बार या पाँच बार पढ़ो फिर तस्मी कहते हुये सीधे खड़े हो जाओ, तहमीद भी पढ़ लो (इमाम सिर्फ़ तस्मी पढ़े और मुक्तदी सिर्फ़ तहमीद पढ़े और मुनफ़रिद तस्मी और तहमीद दानों पढ़े) फिर तक्बीर कहते हुए सज्दे में जाओ। पहले दोनों घुटने, फिर दोनों हाथ, फिर नाक, फिर माथा रखो चेहरा दोनों हथेलियों के बीच और अंगूठे कानों के सामने रहें। हाथों की उंगलियां मिली रखो ताकि सबके सिरे क़िब्ले की तरफ़ रहें। कुहनियां पसलियों से और पेट रानों से अलग रहे। कुहनियां ज़मीन पर न बिछाओ।

सज्दे में तीन या पांच बार सज्दे की तस्बीह कहो फिर पहले माथा, फिर नाक, फिर हाथ उठा कर तकबीर कहते हुये उठो और सीधे बैठ जाओ, फिर तकबीर कह कर दूसरा सज्दा करो। फिर तकबीर कहते हुये उठो, उठने में पहले माथा, फिर नाक, फिर हाथ फिर घुटने उठाकर पंजों के बल सीधे खड़े हो जाओ और खड़े होकर हाथ बांध लो, और बिस्मिल्लाह और सूरत फ़ातिहा और कोई सूरत पढ़ो (इमाम के पीछे तो कुछ न पढ़ो, ख़ामोश खड़े रहो) फिर इसी तरह रूकू, कौमा, सज्दा, जल्सा, दूसरा सज्दा करो। दूसरे सज्दे से उठकर बायां पांव बिछाकर उस पर बैठ जाओ। सीधा पांव खड़ा रखो। दोनों पांव की उंगलियों के सिरे किब्ले की तरफ़ रहें और दोनों हाथ रानों पर रखो और "अत्तहीयात" पढ़ो, जब "अशहदु अल्लाह इला-ह" तक पहुंचो तो सीधे हाथ के अंगूठे और बीच की उंगली से घेरा बना लोऔर छंगुलिया और उसके पास वाली उंगली को बन्द कर लो और कलिमे की उंगली उठा कर इशारा करो। 'ला-इला-ह' पर उंगली उठाओ और 'इल्लल्लाह' पर झुका दो और इसी तरह आखि़र तक घेरा बनाये रखो। तशहहुद ख़त्म करके अगर दो रकअत वाली नमाज़ है तो दरूद शरीफ़ पढ़ो। इसके बाद दुआ पढ़ो। फिर पहले दाई तरफ़ फिर बाई

तरफ़ सलाम फेरो। दाईं तरफ़ सलाम फेरते वक़्त दाईं तरफ़ मुंह फेरो और बाईं तरफ़ के सलाम में बाई तरफ़ मुंह फेरो। दाएं सलाम में दाई तरफ़ के फ़रिश्तों और नमाज़ियों की नीयत करो और बाएं सलाम में बाई तरफ़ के फ़रिश्तों और नमाज़ियों की नीयत करो और जिस तरफ़ इमाम हो उस तरफ़ के सलाम में इमाम की भी नीयत करो और इमाम दोनों सलामों में मुक़तदियों की नीयत करे। और अगर तीन या चार रकअत वाली नमाज़ है तो तशहहुद के बाद दरूद न पढ़ो बल्कि तकबीर कहते हुये खड़े हो जाओ और तीसरी और चौथी रकअत अगर नमाज़ फ़र्ज़ है तो उसके हिसाब से और वाजिब या सुन्नत या नफ़िल है तो उसके हिसाब से पूरी करके सलाम फेर दे। सलाम के बाद

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ اور اَللّٰهُمَّ اَعِنِّیْ عَلٰی ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

"अल्लाहुम-म अन्तस-सला मु व मिन-कस सला मु तबारक-त या ज़ल-जलालि वल इकरमि" और "अल्लाहुम-म अइन्नी अला ज़िक्रि-क व शुक्रि-क व हुस्नि इबा द ति-क" पढ़ो। और यह दुआ भी मस्नून है:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ
لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ
وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

ला इला-ह इल्लल्ला हु वहदहू ला शरी-क लहू लहुल-मुल्कु व लहुल हम्दु व हु-व अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्ला हुम म ला मानि-अ लिमा आतै-त-व ला मू-ति-य लिमा मना त व ला यनफ़उ ज़ल-जद दि मिनकल जहु।"

तालीमुल इस्लाम का तीसरा हिस्सा पूरा हुआ

तालीमुल-इस्लाम

चौथा हिस्सा

मुसन्निफ
हज़रत मुफ़्तिए आज़म
मौलाना मुहम्मद किफ़ायतुल्लाह (रह०)

कुतुबख़ाना अज़ीज़िया
उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद, दिल्ली-6

KUTUB KHANA AZIZIA
4174, Urdu Bazar, Jama Masjid,
Delhi-110006 (INDIA)
Ph: 23266422 Fax: 23266067
E-mail: alamgeertc@yahoo.com

तालीमुल इस्लाम हिस्सा 4 का

पहला शोबा

तालीमुल ईमान या इस्लामी अक़ीदे

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।

तौहीद

सवाल : लफ़्ज़ अल्लाह के क्या माने है?

जवाब : अल्लाह उस ज़ात (ख़ुदा तआला) का नाम है जो वाजिबुल वजूद है, और तमाम सिफ़ाते कमालिया उसमें मौजूद हैं।

सवाल : वाजिबुल वजुद के क्या माने है?

जवाब : वाजिबुल वजूद ऐसी हस्ती को कहते है या ऐसी मौजूद चीज़ को कहते हैं जिसका वजूद (मौजूद होना) वाजिब यानी जरूरी हो और उसका

न होना नामुम्किन हो।

जो वाजिबुल वजूद होगा वह हमेशा से होगा और हमेशा रहेगा। न उसकी इब्तिदा होगी न इन्तिहा और किसी वक़्त उसकी नेस्ती न हो सकेगी और वह ख़ुद ब ख़ुद मौजूद होगा। क्योंकि जो चीज़ किसी दूसरे के पैदा करने से पैदा हो और वजूद में आये वह वाजिबुल वजूद नही हो सकती। बस इस्लामी तालीम के मुताबिक़ अल्लाह तआला वाजिबुल वजूद है। उसके सिवा दुनिया की कोई चीज़ वाजिबुल वजूद नही।

सवाल : सिफ़ाते-कमालिया के क्या माने है?

जवाब : ख़ुदा तआला चूंकि वाजिबुल वजूद है और वाजिबुल वजूद का अपनी ज़ात में कामिल होना ज़रूरी है तो उस कमाले-ज़ाती के लिये, जिन सिफ़तों का उसमें होना ज़रूरी है वे सब उसके लिए साबित हैं, उन्हीं सिफ़तों को सिफ़ाते-कमालिया कहते है।

सवाल : जो चीज़ हमेशा से हो और हमेशा रहे उसे क्या कहते हैं?

जवाब : ऐसी चीज़ को क़दीम कहते हैं।

सवाल :.ख़ुदा तआला के सिवा और क्या चीज़ें क़दीम है?

जवाब :.ख़ुदा तआला और उसकी तमाम सिफ़ात क़दीम हैं। उनके सिवा और कोई चीज़ क़दीम नहीं।

सवाल :जब .ख़ुदा तआला के सिवा और कोई चीज़ हमेशा से मौजूद नहीं थी तो .ख़ुदा तआला ने आस्मान, ज़मीन और सारी चीज़ें कैसे बनाई?

जवाब :.ख़ुदा तआला ने सारी दुनिया को अपने हुक्म और अपनी .क़ुदरत से पैदा कर दिया। उसे दुनिया के बनाने और आस्मान-ज़मीन पैदा करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि अगर .ख़ुदा तआला भी दुनिया को पैदा करने में किसी चीज़ का मुहताज होता तो वह वाजिबुल वजूद नहीं हो सकता।

याद रखो! .ख़ुदा तआला वाजिबुल वजूद है और वाजिबुल वजूद अपने किसी काम में किसी दूसरे आदमी या दूसरी चीज़ का मुहताज नहीं होता।

सवाल : .ख़ुदा तआला के सिफ़ाते-कमालिया क्या-क्या है?

जवाब : वहदत[1], (एक होना), क़िदम[2] या वजूबे-वजूद (हमेशा से होना), हयात[3] (ज़िंदगी),

कुदरत[4], इल्म[5] (जानना), इरादा[6], समा[7] (सुनना), बसर[8] (देखना), कलाम[9] (बात-चीत), ख़ल्क़[10] (पैदा करना), तक्वीन[11] (वजूद में लाना) वग़ैरहा।

सवाल :वहदत की सिफ़त के क्या माने है?

जवाब :वहदत के माने एक होना। यह ख़ुदा तआला की सिफ़त है कि वह अपनी ज़ात में भी एक है और सिफ़ात में भी यकता है और तौहीद के माने ख़ुदा को एक समझना या उसके एक होने का यक़ीन और इक़रार करना।

सवाल :- सिफ़ते-क़िदम और वजूबे-वजूद के क्या माने है?

जवाब :- क़िदम के मान क़दीम होना यानी हमेशा से होना और हमेशा रहना और वजूबे-वजूद के माने वाजिबुल वजुद होना। वाजिबुल वजूद के माने तुम शुरू में पढ़ चुके हो।

सवाल :- अज़ली अबदी के क्या माने हैं?

जवाब :- जिस चीज़ की इब्तिदा न हो यानी वह हमेशा से हो उसे अज़ली कहते है और जिस चीज़ की इन्तिहा न हो, यानी वह हमेशा रहे उसे अबदी कहते है। बस ख़ुदा तआला अज़ली भी है और अबदी भी है और यही माने क़दीम होने के है।

सवाल :- हयात के क्या माने है?

जवाब :- हयात के माने ज़िन्दगी के है यानी ख़ुदा तआला ज़िन्दा है, ज़िन्दगी की सिफ़त उसके लिए साबित है।

सवाल :- सिफ़ते-क़ुदरत के क्या माने है?

जवाब :- क़ुदरत के माने ताक़त के है। यानी दुनिया को पैदा करने और क़ायम रखने और फिर फ़ना करने और फिर मौजूद करने की क़ुदरत रखता है।

सवाल :- इल्म की सिफ़त के क्या माने है?

जवाब :- इल्म के माने है जानना यानी ख़ुदा तआला सारी चीज़ों का आलिम (जानने वाला) है। उसके इल्म से कोई चीज़ छोटी हो या बड़ी छुपी हुई नहीं। ज़र्रे-ज़र्रे का उसे इल्म है। हर चीज़ को उसके वजूद से पहले और मादूम होने के बाद भी जानता है। अंधेरी रात में काली चूँटी के चलने में उसके पांव की हरकत को बख़ूबी जानता और देखता है। इन्सान के दिल में जो ख़्याल आते हैं वे ख़ुदा के इल्म में सब रोशन हैं। ग़ैब का इल्म ख़ास ख़ुदा तआला की सिफ़त है।

सवाल :- इरादा के क्या माने हैं?

जवाब :- इरादा के माने अपने इख़्तियार से काम लेना। यानी ख़ुदा तआला जिस चीज़ को चाहता है अपने इख़्तियार से पैदा करता है और जिस को चाहता है अपने इख़्तियार से मादूम या नेस्त करता है। दुनिया की सारी बातें उसके इख़्तियार और इरादे से होती है। दुनिया की कोई चीज़ उसके इख़्तियार और इरादे से बाहर नहीं, वह किसी काम में मजबूर नहीं है।

सवाल :- समा और बसर की सिफ़तों से क्या मतलब है?

जवाब :- समा के माने सुनना और बसर के माने देखना। यानी ख़ुदा तआला हर बात को सुनता और हर चीज़ को देखता है। लेकिन मख़्लूक़ की तरह उसके कान नहीं और न मख़्लूक़ की तरह उसकी आंखें हैं। न उसके कानों और आँखों की कोई शक्ल और सूरत है। हल्की से हल्की आवाज़ सुनता है और छोटी से छोटी चीज़ को देखता है। उसके सुनने और देखने में नज़दीक-दूर, अंधेरे-उजाले का कोई फ़र्क़ नहीं।

सवाल :- कलाम की सिफ़त के क्या माने हैं?

जवाब :- कलाम के माने बोलना, बात करना है। ख़ुदा तआला के लिये यह सिफ़त भी साबित है लेकिन इसके लिये मख़्लूक़ जैसी ज़ुबान नहीं है।

सवाल :- अगर ख़ुदा तआला की ज़ुबान नहीं है तो वह बातें कैसे करता है?

जवाब :- मख़्लूक़ बग़ैर ज़ुबान के बात नहीं कर सकती। क्योंकि मख़्लूक़ अपने तमाम कामों में अस्बाब और आलात की मुहताज है। लेकिन ख़ुदा तआला जो अपने किसी काम में किसी चीज़ का मुहताज नहीं, वह कलाम करने में भी ज़ुबान का मुहताज नहीं। अगर वह भी बातें करने के लिए ज़ुबान का मुहताज हो तो वह ख़ुदा और वाजिबुल वजूद नहीं हो सकता।

सवाल :- खल्क़ और तकवीन की सिफ़तों के क्या माने हैं?

जवाब :- ख़ल्क़ के माने पैदा करना और तकवीन के माने वजूद में लाना। ख़ुदा तआला के लिये यह सिफ़त भी साबित है। वही सारी दुनिया का ख़ालिक़ (पैदा करने वाला) मुकव्विन (वजूद में लाने वाला) है।

सवाल :- इन सिफ़ात के अलावा ख़ुदा तआला

की और सिफ़तें भी है या नहीं?

जवाब :- हां ख़ुदा तआला की और भी बहुत सी सिफ़तें है जैसे मारना, जिन्दा करना, रिज़्क़ देना, इज्ज़त देना, ज़िल्लत देना वग़ैरह। और ख़ुदा तआला की सारी सिफ़तें अज़ली, अबदी और क़दीम हैं। इनमें कमी-बेशी, अदल-बदल नहीं हो सकती।

ख़ुदा तआला की किताबें

सवाल :- इस्लामी अक़ीदों में बताया गया है कि क़ुरआन मजीद तेईस[23] साल में उतरा और क़ुरआन मजीद में ख़ुदा तआला ने फ़रमाया है :-

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیْٓ اُنْزِلَ فِیْهِ الْقُرْاٰنُ (بقرع ۲۳)

"शहरु र-म-ज़ा नल्लज़ी उनज़ि-ल फ़ीहिल क़ुरआन" (सूरत ब-क़-रा 23) यानी रमज़ान का महीना वह महीना है जिसमें क़ुरआन मजीद नाज़िल किया गया। इससे मालूम हुआ कि क़ुरआन मजीद रमज़ान के महीने में उतरा।

और क़ुरआन मजीद में दूसरी जगह फ़रमया,

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِیْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ

"इन्ना अन्ज़लना हु-फ़ी लै-लतिल क़द्रि" यानी "हमने इस (क़ुरआन मजीद) को शबे कद्र में उतारा।" इससे मालूम हुआ कि क़ुरआन मजीद शबे कद्र में उतरा। ये तीनों बातें आपस में एक-दूसरे की मुख़ालिफ़ हैं। इनमें से कौन सी बात सही है?

जवाब :- तीनों बातें सही हैं। बात यह है कि क़ुरआन मजीद के नुज़ूल दो हैं। पहला यह कि पहले सारा क़ुरआन मजीद एक ही बार लौहे-महफ़ूज़ से आस्माने-दुनिया (पहले आस्मान) पर नाज़िल किया गया। दूसरा नुज़ूल यह कि वक़्तन-फ़वक़्तन ज़रूरतों के लिहाज़ से थोड़ा-थोड़ा दुनिया में उतरा। बस क़ुरआन मजीद की इन दोनों आयतों में नुज़ूल से मतलब पहला नुज़ूल है कि रमज़ान शरीफ़ के महीने की एक रात में (जो शबे कद्र थी) लौहे महफ़ूज़ से आस्माने- दुनिया पर नाज़िल हो गया। और तेईस साल में नाज़िल होने से मतलब दूसरा नुज़ूल है कि आसमाने-दुनिया से हुज़ूर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर तेईस साल में नाज़िल हुआ। बस ये तीनों बातें आपस में मुख़ालिफ़ नहीं बल्कि तीनों सही हैं।

सवाल :- क़ुरआन मजीद के नुज़ूल की

शुरूआत कहां से हुई यानी किस जगह क़ुरआन मजीद उतरना शुरू हुआ?

जवाब :- मक्का मुअज़्ज़मा में एक पहाड़ है जिसका नाम "ग़ारे-हिरा" है, उसमें एक ग़ार था हुज़ूर रसूल करीम सल्ल0 उस ग़ार में ख़ुदा तआला की इबादत के लिये तशरीफ़ ले जाते थे और कई-कई दिन तक उसमें रहते थे। जब खाना ख़त्म हो जाता था तो मकान पर तशरीफ़ लाकर फिर कई दिन का सामान ले जाते और तनहाई में ख़ुदा तआला की इबादत करते रहते। उस ग़ारे-हिरा में हुज़ूर सल्ल0 पर क़ुरआन मजीद उतरना शुरू हुआ था।

सवाल :- क़ुरआन मजीद के नुज़ूल की शुरूआत कैसे हुई?

जवाब :- हुज़ूर स० उसी ग़ारे-हिरा में तशरीफ़ रखते थे कि हज़रत जिब्राईल अलै० आये और आपके सामने ज़ाहिर होकर आप से फ़रमाया कि

"इक़रअ" यह लफ़्ज़ सूरत अलक़ का पहला लफ़्ज है और इसके माने है "पढ़" हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया कि "मै पढ़ा हुआ नहीं हूँ"। इसी तरह तीन बार हुआ फिर जिब्राईल अलै0 ने ये आयतें

पढ़ीं اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ۚ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ اِقْرَاْ
وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۙ الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۙ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۙ علق

"इक़रअ बिस्मि रब्बि कल्लज़ी ख़लक़। ख़ल्क़ल इन्सा-न-मिन अलक़। इक़रअ व रब्बु कल अक-रमुल्लज़ी अल्ल-म-बिल क़-ल-मि, अल्लमल इनसा-न मालम यअलम। (सूरत अलक़)" और उनसे सुनकर हुज़ूर सल्ल० ने भी पढ़ लीं। बस ये आयतें क़ुरआन मजीद में सबसे पहले हुज़ूर सल्ल० पर नाज़िल हुई हैं।

सवाल : अगर क़ुरआन मजीद के नुज़ूल की शुरूआत सूरत अलक़ की इन शुरू की आयतों से हुई है तो क्या क़ुरआन शरीफ़ जिस तरतीब से अब मौजूद है उस तरतीब से नाज़िल नहीं हुआ?

जवाब : नहीं! मौजूदा तरतीब नुज़ूल की तरतीब नहीं है। क़ुरआन मजीद का नुज़ूल तो ज़रूरत और मौक़े के लिहाज़ से होता था। मगर जब कोई सूरत उतरती थी जो हुज़ूर, रसूल करीम सल्ल० बता देते थे कि इस सूरत को फ़लाँ सूरत से पहले लिख लो और जब कोई आयत या आयतें नाज़िल होती थीं तो हुज़ूर फ़रमा देते थे कि इस आयत या इन आयतों को फ़लां सूरत की फ़लां आयत के

बाद और फ़लाँ आयत से पहले लिख लो। बस अगरचे क़ुरआन मजीद का नुज़ूल तो मौक़ा और ज़रूरत के लिहाज़ से इस मौजूदा तरतीब के ख़िलाफ़ हुआ है लेकिन यह मौजूदा तरतीब भी हुज़ूर अनवर सल्ल० की बताई हुई है और हुज़ूर के इरशाद और हुक्म के मुताबिक़ क़ायम की हुई है।

सवाल :- हुज़ूर अनवर सलअम ने जिस तरतीब से क़ुरआन लिखवाया था और जो तरतीब आपने क़ायम फ़रमाई थी ये ख़ुद आपकी राय से थी या ख़ुदा तआला के हुक्म के मुताबिक़ आप बताते थे?

जवाब :- सूरतों की तादाद, उनकी इब्तिदा और इन्तिहा, हर सूरत की आयतों की तादाद, हर आयत की इब्तिदा और इन्तहा और इसी तरह पूरे क़ुरआन मजीद की तरतीब ख़ुदा तआला की तरफ़ से हज़रत जिब्रईल अलैहिस्सलाम को मालूम हुई और उन्होंने हुज़ूर रसूल करीम सलअम को बताई और हुज़ूर सल्ल० के ज़रिये से हमें मालूम हुई है।

सवाल :- क़ुरआन मजीद को उतरे हुए तेरह सौ साल से ज़्यादा हो गये तो इस बात की क्या दलील है कि यह क़ुरआन मजीद जो हमारे पास

मौजूद है वही क़ुरआन मजीद है जो हुज़ूर रसूल करीम सल्ल0 पर नाज़िल हुआ था?

जवाब :- इस बात की कि यह क़ुरआन मजीद वही अस्ली क़ुरआन मजीद है जो हुज़ूर सल्ल0 पर नाज़िल हुआ था बहुत सी दलीलें हैं। हम कुछ आसान-आसान दलीलें बयान किये देते हैं-

पहली दलील:- क़ुरआन मजीद का मुतवातिर होना यानी तवातुर के साथ हुज़ूर सल्ल० के ज़माने से आज तक नक़ल होते चला आना। जो चीज़ तवातुर से साबित हो जाये उसका सबूत यक़ीनी और क़तई होता है। उसमें किसी तरह शुबह और शक की गुंजाइश नहीं होती।

सवाल :- मुतवातिर और तवातुर के क्या माने हैं?

जवाब :- जिस बात के नक़ल करने वाले इस कसरत से हों कि उन सब का झूठ बोलना अक्ल के नज़दीक मुहाल हो उस बात को मुतवातिर कहते हैं और उस बात के इस तरह नक़ल होते हुए चले आने को तवातुर कहते हैं।

बस क़ुरआन मजीद को हुज़ूर के ज़माने से इतनी कसरत से लोग नक़ल करते और पढ़ते-पढ़ाते

चले आये हैं कि कम से कम अक़्ल वाला आदमी भी यक़ीन नहीं कर सकता कि इतने आदमी सब के सब झूठ बोलते होंगे।

दूसरी दलील:- हुज़ूर रसूल ख़ुदा सल्ल० के ज़माने से आज तक लाखों बल्कि करोड़ों मुसलमान क़ुरआन मजीद के हाफ़िज़ होते चले आये हैं और आज भी दुनिया में मुसलमानों के लाखों बच्चे, जवान, बूढ़े ऐसे मौजूद हैं जिनके सीनों में क़ुरआन मजीद महफ़ूज़ है।

और जिस किताब के नुज़ूल के वक़्त से आज तक इतने हाफ़िज़ मौजूद रहे हों और उन्होंने अपने सीनों में इसकी हिफ़ाज़त की हो उसके महफ़ूज़ और अस्ली होने में क्या शुबह हो सकता है।

तीसरी दलील:- ख़ुद क़ुरआन मजीद में हज़रत रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया है

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ٥ (حجر ع١)

"इन्ना नह नु नज़्ज़ल नज़्ज़िक-र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून" (सूरत हजर रू. 1) यानी "यक़ीनन हमने ही क़ुरआन मजीद को उतारा है और हम ही उसके मुहाफ़िज़ हैं।"

बस जब कि ख़ुदा तआला ने क़ुरआन मजीद

की हिफ़ाज़त अपने ज़िम्मे ली है और उसकी हिफ़ाज़त का वादा फ़रमाया है तो ज़रूरी तौर पर साबित हो गया कि ये क़ुरआन बईनह वही क़ुरआन मजीद है जो हुज़ूर अनवर सल्लम पर नाज़िल हुआ था क्योंकि उसकी हिफ़ाज़त का वादा ख़ुदा तआला ने फ़रमाया था बस वह आज तक महफ़ूज़ है और इन्शाअल्लाह तआला क़यामत तक महफ़ूज़ रहेगा।

चौथी दलील :- क़ुरआन मजीद ने अपने नुज़ूल के वक़्त जो दावा किया था कि उस जैसा कलाम् कोई शख़्स नहीं बना सकता, यह दावा आज तक इस क़ुरआन मजीद के बारे में सही रहा। क्योंकि जो क़ुरआन मजीद आज मौजूद है उसका मिस्ल न कोई शख़्स बना सका न बनाने का दावा किया, न बना सकता है, न बना सकेगा। बस यह इस बात की खुली दलील है कि यह क़ुरआन मजीद वही अस्ली क़ुरआन मजीद है जो हुज़ूर रसूल करीम सल्ल0 पर नाज़िल हुआ था।

रिसालत

सवाल :- क़ुरआन मजीद में है

وَإِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ۝ (فاطر ع ٣)

"व इम-मिन उम्मतिन इल्ला ख़ला फ़ीहा नज़ीर" (सूरत फ़ातिर रु0 3) यानी "कोई क़ौम ऐसी नहीं जिसमें ख़ुदा की तरफ़ से कोई डराने वाला न आया हो" और दूसरी जगह फ़रमाया है :-

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (رعد ع١)

"वलिकुल्लि क़ौमिन हादिन" (सूरत रअद रु० (1) यानी "हर क़ौम के लिये हिदायत करने वाला (भेजा गया) है।

इन आयतों से मालूम होता है कि हर मुल्क और हर क़ौम में ख़ुदा की तरफ़ से कोई पैग़म्बर भेजा गया है, तो क्या हिन्दुस्तान में भी कोई पैग़म्बर आये थे?

जवाब :- हां! इन आयतों से बेशक यह बात साबित होती है कि हर क़ौम के लिये ख़ुदा ने कोई हादी और डराने वाला भेजा है और इसलिए मुमकिन है कि हिन्दुस्तान में भी कोई नबी आये हों।

सवाल :- क्या यह कह सकते हैं कि हिन्दुओं के पेशवा जैसे कृष्णजी और रामचन्द्रजी वग़ैरा ख़ुदा के पैग़म्बर थे?

जवाब :- नहीं कह सकते। क्योंकि पैग़म्बरी एक ख़ास उहदा था जो ख़ुदा की तरफ़ से उसके

बरगुज़ीदा और ख़ास बन्दों को अता फ़रमाया जाता था। तो जब तक शरीअत से यह बात मालूम न हो कि यह ख़ास उहदा ख़ुदा तआला ने फ़लाँ शख़्स को अता फ़रमाया था उस वक़्त तक हम भी नहीं कह सकते कि वह ख़ुदा का नबी था। अगर हमने बिना शरीअत की दलील के सिर्फ़ अपनी राय से किसी शख़्स को पैग़म्बर समझ लिया और फ़िल-वाक़ा यह पैग़म्बर नहीं था तो ख़ुदा तआला के हुज़ूर में हम से इस ग़लत अक़ीदे का मवाख़िज़ा होगा।

यूं समझो कि अगर तुम सिर्फ़ अपने ख़्याल से किसी शख़्स को समझ लो कि वह बादशाह का नाइब यानी गवर्नर जनरल है और वह अस्ल में गवर्नर जनरल न हो तो तुम हकूमत के नज़दीक मुजरिम होंगे कि एक ऐसे शख़्स को जिसे बादशाह ने गवर्नर जनरल नहीं बनाया है, तुमने गवर्नर जनरल मानकर बादशाह की तरफ़ एक ग़लत बात की निस्बत की।

बस गुज़िश्ता लोगों में से हम ख़ास तौर पर उन्हीं बुज़ुर्गों को पैग़म्बर कह सकते हैं जिनका पैग़म्बर होना शरीअत से साबित हो और क़ुरआन मजीद या हदीस शरीफ़ में उनको पैग़म्बर बताया

गया हो।

हिन्दुओं या और क़ौमों के पेशवाओं के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा इतना कह सकते हैं कि अगर उनके अक़ीदे और अमल ठीक हों और उनकी तालीम आस्मानी तालीम के ख़िलाफ़ न हो और उन्होंने ख़ुदा की मख़लूक़ की हिदायत और रहनुमाई का काम भी किया हो, तो मुमकिन है कि वे नबी हों मगर ये कहना कि वे यक़ीनन नबी थे, बेदलील बात और अटकल का तीर है।

सवाल :- हुज़ूर रसूल मक़बूल सलअम के बारे में क्या अक़ीदे रखने चाहिएं?

जवाब :- (1) आप ख़ुदा तआला के बंदे और एक इन्सान और ख़ुदा तआला के रसूल थे। (2) ख़ुदा तआला के बाद आप सारी मख़लूक़ से अफ़ज़ल हैं। (3) आप गुनाहों से मासूम हैं। (4) आप पर ख़ुदा तआला ने क़ुरआन मजीद नाज़िल फ़रमाया। (5) आपको मेराज की रात में ख़ुदा तआला ने आसमान पर बुलाया और जन्नत, दोज़ख़ वग़ैरह की सैर कराई। (6) आपने ख़ुदा तआला के हुक्म से बहुत से मोजिज़े दिखाये। (7) आप ख़ुदा ताअला की बहुत ज़्यादा इबादत करते थे।

(8) आपके अख़लाक़ व आदात निहायत आला दर्जे के थे। (9) आपको ख़ुदा तआला ने बहुत सी गुज़री हुई और आनेवाली बातों का इल्म अता फ़रमाया था। जिनकी आपने अपनी उम्मत को ख़बर दी। (10) आपको ख़ुदा तआला ने सारी मख़लूक़ से ज़्यादा इल्म अता फ़रमाया था। लेकिन आप आलिमुल ग़ैब नहीं थे। क्योंकि आलिमुल ग़ैब होना सिर्फ़ ख़ुदा तआला की शान और उसकी ख़ास सिफ़त है। (11) आप ख़ातिमुन नबीयीन हैं कि आपके बाद कोई नया नबी नहीं होगा। सिर्फ़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो पहले ज़माने के पैग़म्बर हैं, आस्मान से उतरेंगे और इस्लामी शरीअत की पैरवी करेंगे। (12) आप इन्सानों और जिनों, सबके लिए रसूल है। (13) आप क़यामत के दिन ख़ुदा तआला की इजाज़त से गुनहगारों की शफ़ाअत करेंगे। इसी वजह से हुज़ूर को शफ़ीउल-मुज़निबीन कहते हैं, और ख़ुदा तआला हुज़ूर सल्ल० की शफ़ाअत क़बूल भी फ़रमायेगा। (14) आपने जिन बातों का हुक्म किया है उन पर अमल करना और जिनसे मना किया है उनसे बाज़ रहना और जिन वाक़िआत की ख़बर दी उनको इसी तरह मानना और यक़ीन करना उम्मत पर ज़रूरी है।

(15) आपके साथ मुहब्बत रखना और आपकी ताज़ीम और तकरीम करना हर उम्मती के ज़िम्मे लाज़िम है। लेकिन ताज़ीम से मतलब वही ताज़ीम है जो शरीअत के क़ायदे के मुवाफ़िक हो। और शरीअत के खिलाफ़ बातों को ताज़ीम या मुहब्बत समझना नादानी है।

सवाल :- मासूम होने से क्या मतलब है?

जवाब :- मासूम होने से मतलब यह है कि कोई सग़ीरा या कबीरा गुनाह हुज़ूर सल्ल० से क़सदन या सहवन वाक़े नहीं हुआ। तमाम अंबिया अलै० गुनाहों से मासूम होते हैं।

सवाल :- हुज़ूर की मेराज जिस्मानी थी या मनामी?

जवाब :- हुज़ूर अपने जिस्म मुबारक के साथ मेराज में तशरीफ़ ले गए थे। इसलिए आपकी मेराज जिस्मानी थी। हाँ इस जिस्मानी मेराज के अलावा चन्द मर्तबा हुज़ूर को ख़्वाब में भी मेराज हुई है। वे मनामी मेराजें कहलाती हैं क्योंकि मनाम ख़ाब को कहते हैं। लेकिन हुज़ूर सलअम का ख़्वाब और इसी तरह सारे नबियों (अलै०) के ख़्वाब सच्चे होते हैं उनमें ग़लती और ख़ता का शुब्हा नहीं हो सकता।

बस हुज़ूर सल्ल० की एक मेराज तो जिस्मानी मेराज थी और चार या पांच मेराजें मनामी थीं।

सवाल :- शफ़ाअत से क्या मतलब है?

जवाब :- शफ़ाअत सिफ़ारिश को कहते है। क़यामत के दिन हुज़ूर सलअम ख़ुदा तआला के सामने गुनाहगार बंदों की सिफ़ारिश करेंगे। हुज़ूर सलअम को यह फ़ज़ीलत अता हो चुकी है। लेकिन फिर भी ख़ुदा तआला के जलाल व जबरूत के अदब से हुज़ूर भी शफ़ाअत की इजाज़त मांगेंगे। जब इजाज़त मिलेगी तो शफ़ाअत फ़रमायेंगे।

हुज़ूर के अलावा और नबी, औलिया और शहीद वग़ैरह भी शफ़ाअत करेंगे लेकिन बिना इजाज़त कोई शख़्स शफ़ाअत न कर सकेगा।

सवाल :- किस तरह के गुनाहों की मुआफ़ी के लिये शफ़ाअत होगी?

जवाब :- कुफ़्र और शिर्क के अलावा बाक़ी सारे गुनाहों की मुआफ़ी के लिये शफ़ाअत हो सकती है। कबीरा गुनाहों वाले शफ़ाअत के ज़्यादा मोहताज होंगे क्योंकि सग़ीरा गुनाह तो दुनिया में भी इबादतों से मुआफ़ होते रहते है।

वाला बताया है। और फ़रमाया है कि हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही दोज़ख़ में ले जाने वाली है।

सवाल : बिदअत के कुछ काम बताओ।

जवाब : लोगों ने हज़ारों बिदअतें निकाली हैं। कुछ बिदअतें ये हैं- पक्की क़ब्र बनाना, क़ब्र पर गुंबद बनाना, धूमधाम से उर्स करना, क़ब्रों पर दिये जलाना, क़ब्र पर चादरें और गिलाफ़ डालना, मैयत के मकान पर खाने के लिए जमा होना, शादी में सेहरा बाँधना बद्धी पहनाना, और हर जाइज़ या मुस्तहब काम में ऐसी शर्तें अपनी तरफ़ से लगाना जिनका शरीअत से सबूत न हो, बिदअत है।

बाक़ी गुनाहों का बयान

सवाल : कुफ़्र, शिर्क और बिदअत के अलावा और क्या-क्या बातें गुनाह की हैं?

जवाब : कुफ़्र, शिर्क और बिदअत के अलावा भी बहुत से गुनाह हैं, जैसे-झूठ बोलना, नमाज़ न पढ़ना, रोज़ा न रखना, ज़कात न देना, माल और ताक़त होते हुए भी हज न करना, शराब पीना, चोरी करना, ज़िना करना, ग़ीबत करना, झूठी गवाही देना, किसी को नाहक़ मारना व सताना, चुग़ली खाना,

धोखा देना, माँ-बाप और उस्ताद की नाफ़रमानी करना, अपने घरों और कमरों में तस्वीरें लगाना, अमानत में ख़यानत करना, लोगों को हक़ीर और ज़लील समझना, जुआ खेलना, गाली देना, नाच देखना, सूद लेना और देना, दाढ़ी मुंडाना, टख़नों से नीचा पाजामा, पत्लून या लुंगी पहनना, फ़ज़ूल ख़र्ची करना, खेल तमाशों, नाटकों, थियेटरों में जाना और इनके अलावा और भी बहुत से गुनाह हैं जो बड़ी किताबों में तुम पढ़ोगे।

सवाल :- गुनाह करने वाला आदमी मुसलमान रहता है या नहीं?

जवाब :- जो कोई ऐसा गुनाह करे जिसमें कुफ़्र या शिर्क पाया जाता हो वह मुसलमान नहीं रहता बल्कि काफ़िर और मुशरिक हो जाता है और जो कोई बिदअत का काम करे तो वह मुसलमान तो रहता है लेकिन उसका इस्लाम और ईमान बहुत नाक़िस हो जाता है ऐसे आदमी को मुबतदै और बिदअती कहते हैं और जो कोई कुफ़्र, शिर्क और बिदअत के अलावा कोई कबीरा गुनाह करे वह भी मुसलमान तो है लेकिन नाक़िस मुसलमान है। उसे फ़ासिक़ कहते हैं।

सवाल : अगर किसी से कोई गुनाह हो जाये तो अज़ाब से बचने की क्या सूरत है?

जवाब : तौबा कर लेने से खुदा तआला गुनाह मुआफ़ फ़रमा देता है। तौबा उसे कहते हैं कि अपने गुनाह पर शर्मिन्दा और पशेमान हो और खुदा के सामने रोकर गिड़गिड़ा कर तौबा करे कि ऐ अल्लाह मेरा गुनाह मुआफ़ कर दे और दिल में अहंद करे कि अब कभी गुनाह न करूंगा। याद रखो कि सिर्फ़ ज़ुबान से तौबा-तौबा कह लेना अस्ली तौबा नहीं है।

सवाल : क्या तौबा कर लेने से हर क़िस्म के गुनाह मुआफ़ हो सकते हैं?

जवाब : जो गुनाह ऐसे हैं कि किसी बन्दे का उनमें ताल्लुक़ नहीं, सिर्फ़ खुदा तआला का हक़ है कि वह नाफ़रमानी करने की वजह से सज़ा दे, ऐसे सब गुनाह तौबा से मुआफ़ हो सकते हैं। यहां तक कि कुफ़्र और शिर्क का गुनाह भी सच्ची तौबा से मुआफ़ हो जाता है, लेकिन जो गुनाह ऐसे हैं कि उनमें किसी बन्दे का ताल्लुक़ है जैसे किसी यतीम का माल खा लिया, या किसी पर तुहमत लगाई, या ज़ुल्म किया, ऐसे गुनाहों को हक़्क़ुल इबाद कहते हैं।

ये सिर्फ़ तौबा से मुआफ़ नहीं होते बल्कि उनकी मुआफ़ी के लिए ज़रूरी है कि पहले उस आदमी का हक़ अदा करो या उससे मुआफ़ कराओ, उसके बाद ख़ुदा के हुज़ूर में तौबा करो, जब मुआफ़ी की उम्मीद हो सकती है।

सवाल : तौबा किस वक़्त तक क़ुबूल होती है?

जवाब : जब इन्सान मरने लगे और अज़ाब के फ़रिश्ते उसके सामने आ जायें और हलक़ में दम आ जाये, उस वक़्त उसकी तौबा मक़्बूल नहीं और इस हालत से पहले-पहले हर वक़्त की तौबा मक़्बूल है।

सवाल : अगर गुनहगार आदमी बग़ैर तौबा किये मर जाये तो जन्नत में जायेगा या नहीं?

जवाब : हाँ, सिवाय काफ़िर और मुशरिक के बाक़ी सारे गुनहगार अपने गुनाहों की सज़ा पाकर जन्नत में जायेंगे। और यह भी मुमकिन है कि ख़ुदा तआला कुफ़्र और शिर्क के अलावा बाक़ी गुनाहों को बग़ैर सज़ा दिये किसी की शफ़ाअत से या बग़ैर शफ़ाअत बख़्श दे।

सवाल : मैयत को दुनिया के अज़ीज़-क़रीब

रिश्तेदार, दोस्त वग़ैरा भी कुछ फ़ायदा पहुंचा सकते हैं? या नहीं?

जवाब :- हां! मैय्यत को बदनी और माली इबादत का सवाब पहुँचता है। यानी ज़िंदा लोग अगर कोई नेक काम करें जैसे क़ुरआन शरीफ़ या दरूद शरीफ़ पढ़ें, ख़ुदा के रास्ते में सदक़ा, ख़ैरात दें, किसी भूखे को खाना खिलायें, तो इन कामों का सवाब ख़ुदा की तरफ़ से उन्हें मिलेगा। लेकिन ख़ुदा तआला ने अपनी रहमत से इतना भी इख़्तियार दिया है कि अगर ये नेक काम करने वाले अपना सवाब किसी मैय्यत को पहुँचाना चाहें तो ख़ुदा तआला से दुआ करें कि या अल्लाह इस काम का सवाब मैंने फ़लां आदमी को बख़्शा तो अल्लाह तआला उस मैयत को वह सवाब पहुंचा देता है

सवाब पहुंचाने के लिए किसी ख़ास चीज़ या ख़ास वक़्त या ख़ास सूरत की अपनी तरफ़ से तख़्सीस न करनी चाहिये (यानी यह समझना कि फ़लाँ वक़्त या फ़लाँ चीज़ का ही सवाब पहुंचेगा)। बल्कि जो चीज़ जिस वक़्त अपने पास हो उसे ख़ुदा के लिए किसी मुस्तहिक़ को देकर उसका सवाब

बख़्श देना चाहिये। रस्म की पाबन्दी दिखावे और नाम और शुहरत के लिए बड़ी-बड़ी दावतें करना या अपनी ताक़त से ज़्यादा क़र्ज़ उधार लेकर रस्म पूरी करना बहुत बुरा है।

तालीमुल इस्लाम हिस्सा 4 का दूसरा शोबा

तालीमुल अरकान या इस्लामी आमाल

بسم الله الرحمن الرحيم

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

क़िरअत के कुछ हुक्मों का बयान

सवाल :- अगर फ़ज्र, मग़रिब और इशा की नमाज़ अकेले पढ़ें तो जहर करना वाजिब है या नहीं?

जवाब :- वाजिब तो नहीं मगर आवाज़ से पढ़ना अफ़ज़ल है।

सवाल :- अगर ये नमाज़ें क़ज़ा पढ़ें तो क्या हुक्म है?

जवाब :- क़ज़ा में इमाम को जहर से ही पढ़ना चाहिये। और मुनफ़रिद को इख़्तियार है, चाहे आवाज़ से पढ़े चाहे आहिस्ता।

सवाल :- फ़र्ज़ नमाज़ों में कितनी क़िरअत मस्नून हैं?

जवाब :- सफ़र में हो तो इख़्तियार है कि सूरत फ़ातिहा के बाद जो सूरत चाहे पढ़ ले लेकिन इक़ामत में क़रअत की ख़ास मिक़दार सुन्नत है।

सवाल :- इक़ामत की हालत में कितनी क़िरअत मस्नून है?

जवाब :- इक़ामत की हालत में फ़ज्र और ज़ुहर की नमाज़ में तिवाले-मुफ़स्सल पढ़ना और अस्र और इशा की नमाज़ में औसाते-मुफ़स्सल पढ़ना और मग़रिब की नमाज़ में क़िसारे-मुफ़स्सल पढ़ना सुन्नत है।

सवाल :- तिवाले-मुफ़स्सल, औसाते-मुफ़स्सल और क़िसारे-मुफ़स्सल किसे कहते हैं?

जवाब :- क़ुरआन मजीद के छब्बीसवें पारे की सूरत हजरात से सूरत बुरूज तक की सूरतों को तिवाले-मुफ़स्सल कहते हैं।

और सूरत "तारिक़" से सूरत "लमयकुन" तक की सूरतों को औसाते-मुफ़स्सल कहते हैं और सूरत "इज़ाज़ुलज़िलत" से "नास" यानी क़ुरआन मजीद के आख़िर तक की सूरतों को क़िसारे-मुफ़स्सल कहते हैं।

सवाल :- यह मस्नून क़िरअत इमाम के लिये

है या मुनफ़रिद के लिये?

जवाब :- इमाम और मुनफ़रिद दोनों के लिये यह क़िरअत मस्नून है।

सवाल :- अगर इक़ामत की हालत में किसी ज़रूरत से मसनून क़िरअत छोड़ दे तो क्या हुक्म है?

जवाब :- जाइज़ है।

सवाल :- क्या किसी नमाज़ में कोई ख़ास सूरत इस तरह भी मुक़र्रर है कि उसके सिवा दूसरी सूरत जाइज़ न हो?

जवाब :- किसी नमाज़ के लिए कोई सूरत इस तरह मुक़र्रर नहीं। शरीअत ने आसानी के लिये हर जगह से क़ुरआन मजीद पढ़ने की इजाज़त दी है। बस अपनी तरफ़ से मुक़र्रर कर लेना शरीअत के ख़िलाफ़ है।

सवाल :- फ़ज्र की सुन्नतों में क़िरअत मस्नून क्या है?

जवाब :- ज़्यादातर हुज़ूर रसूल करीम सल्लम फ़ज्र की सुन्नतों की पहली रकअत में "क़ुल या ऐयुहल काफ़िरून" और दूसरी रकअत में "क़ुल हुवल्लाहु अहद" पढ़ते थे।

सवाल :- वितर की नमाज़ की मस्नून क़िरअत क्या है?

जवाब :- [illegible]हली रकअत में

"सब्बिहिस-म रब्बिकल आला" और दूसरी रकअत में "क़ुल या ऐयुहल काफ़िरून" और तीसरे में "कुल हुवल्लाहु अहद" पढ़ना हुज़ूर से साबित है।

जमाअत और इमामत का बयान

सवाल :- इमामत से क्या मुराद है?

जवाब :- इमामत के माने सरदार होना, नमाज़ में जो आदमी सारी जमाअत का सरदार हो और सब मुक़तदी उसकी ताबेदारी करें उसे इमाम कहते हैं।

सवाल :- जमाअत के क्या माने हैं?

जवाब :- जमाअत मिलकर नमाज़ पढ़ने को कहते हैं जिसमें एक इमाम होता है और सब मुक़तदी होते हैं।

सवाल :- जमाअत फ़र्ज़ है या वाजिब या सुन्नत?

जवाब :- जमाअत सुन्नते मुअक्किदा है। इसकी बहुत ताकीद है। कुछ आलिमों ने तो इसे फ़र्ज़

और वाजिब भी कहा है और इसमें शक नहीं कि जमाअत में बहुत फ़ायदे हैं।

सवाल : जमाअत से नमाज़ पढ़ने में क्या क्या फायदे है?

जवाब:- एक नमाज़ पर सत्ताईस (27) नमाज़ों का सवाब मिलना (2) पांचों वक़्त मुसलमानों का आपस में मिलना (3) इसकी वजह से आपस में इत्तिफ़ाक़ और मुहब्बत पैदा होना (4) दूसरों को देखकर इबादत का शौक़ और रग़बत पैदा होना। (5) नमाज़ में दिल लगना (6) जमाअत में बुज़ुर्ग और नेक लोगों की बरकत से गुनहगारों की नमाज़ का भी क़ुबूल हो जाना (7) नावाक़िफ़ों को वाक़िफ़ लोगों से मसअले पूछने में आसानी होना (8) हाजतमंदों और ग़रीबों का हाल मालूम होते रहना (9) एक ख़ास इबादत यानी नमाज़ की शान ज़ाहिर होना। इनके सिवा और भी बहुत से फ़ायदे हैं।

सवाल :- किन लोगों को जमाअत में न जाने की इजाज़त है?

जवाब :- औरतें, नाबालिग़ बच्चे, बीमार, बीमार की ख़िदमत करने वाले, लूले-लंगड़े-अपाहज,

कटे हुए पांव वाले, बहुत बूढ़े, अंधे, इन सब के ज़िम्मे जमाअत में हाज़िर होना लाज़िम नहीं।

सवाल :- वे क्या उज़्र है जिनसे अच्छे-ख़ासे आदमी को जमाअत में न आना जाइज़ हो जाता है?

जवाब :- ज़ोर की बारिश, रास्ते में ज़्यादा कीचड़, बहुत जाड़ा, रात में आंधी, सफ़र-जैसे रेल या जहाज़ की रवानगी का वक़्त क़रीब आ जाना, पाख़ाना-पेशाब की हाजत होना, ज़्यादा भूख लगने की हालत में खाने का सामने आ जाना, इन उज़्रों से जमाअत की हाज़िरी की ताकीद जाती रहती है।

सवाल :- किन नमाज़ों में जमाअत सुन्नत मुअक्किदा या वाजिब है?

जवाब :- सारी फ़र्ज़ नमाज़ों और दोनों ईदों की नमाज़ों में जमाअत से नमाज़ पढ़ना सुन्नत मुअक्किदा है। तरावीह की नमाज़ की जमाअत सुन्नत किफ़ाया है। रमज़ान शरीफ़ में वितर की नमाज़ की जमाअत मुस्तहब है।

सवाल :- कम से कम कितने आदमियों की जमाअत होती है?

जवाब :- कम से कम दो आदमी जमाअत के लिये काफ़ी हैं। एक मुक़तदी हो और एक इमाम ।

मगर इस हालत में मुक़्तदी इमाम के दायीं तरफ़ खड़ा हो और जब दो मुक़्तदी हों तो इमाम को आगे बढ़कर खड़ा होना चाहिये।

सवाल :- जमाअत में लोगों को किस तरह खड़ा होना चाहिये?

जवाब :- मिलकर और सफ़ें सीधी करके खड़े हों। बीच में ख़ाली जगह न छोड़ें। बच्चों को पीछे खड़ा करें। बड़े आदमियों की सफ़ों में बच्चों का खड़ा होना मकरूह है। औरतों की सफ़ बच्चों के बाद होनी चाहिये।

सवाल :- अगर इमाम की नमाज़ फ़ासिद हो जाये तो मुक़्तदियों की नमाज़ सही हो जायेगी या नहीं?

जवाब :- जब इमाम की नमाज़ फ़ासिद हो जाये तो मुक़्तदियों की नमाज़ भी फ़ासिद हो जायेगी। मुक़्तदियों को भी अपनी नमाज़ को दुहराना ज़रूरी होगा।

सवाल :- इमामत का मुस्तहक़ कौन शख़्स है?

जवाब :- पहले आलिम यानी वह आदमी जो नमाज़ के मसअलों से अच्छी तरह वाक़िफ़ हो, इस शर्त के साथ कि उसके आमाल भी अच्छे हों। उसके

बाद जिसे कुरआन ज़्यादा याद हो और अच्छा पढ़ता हो। उसके बाद जो ज़्यादा मुत्तक़ी परहेज़गार हो। उसके बाद जो ज़्यादा उम्र वाला हो। उसके बाद जो खुश खुल्क़ और ज़ाती शराफ़त रखता हो। उसके बाद जो ज़्यादा खूबसूरत और साहिबे विक़ार हो। उसके बाद जो खा़नदानी शराफ़त रखता हो।

सवाल : अगर मस्जिद का इमाम मुऐयन हो और जमाअत के वक्त उससे अफ़ज़ल कोई आदमी आ जाये तो इमामत का ज़्यादा मुस्तहक़ कौन है?

जवाब : मुऐयन इमाम उस अजनबी आने वाले से ज़्यादा मुस्तहक़ है। अगरचे ये अजनबी आदमी मुऐयन इमाम से ज़्यादा अफ़ज़ल हो।

सवाल : किन लोगों के पीछे नमाज़ मकरूह है?

जवाब : (1) बिदअती (2) फ़ासिक़ (3) जाहिल गुलाम (4) जाहिल गंवार (5) एहतियात न करने वाले अंधे (6) जाहिल वलदुज़ ज़िना के पीछे नमाज़ मकरूह है।

लेकिन अगर गुलाम और गांव का रहने वाला आदमी आलिम हो और अंधा एहतियात रखता हो और आलिम हो या कुरआन मजीद अच्छा पढ़ता हो

और व-लदुज ज़िना आलिम और नेक बख़्त हो और उनसे अफ़ज़ल कोई और आदमी मौजूद न हो तो उनकी इमामत बिला कराहत जाइज़ है।

सवाल :- किन लोगों के पीछे नमाज़ बिल्कुल नहीं होती?

जवाब :- (1) दिवाने और (2) नशा करने वाले और (3) काफ़िर या मुशरिक के पीछे तो किसी आदमी की नमाज़ सही नहीं होती और (4) नाबालिग़ के पीछे बालिग़ों की और (5) औरत के पीछे मर्दों की नमाज़ सही नहीं होती और (6) जिसने बाक़ाइदा वुज़ू या ग़ुस्ल किया है उसकी नमाज़ माज़ूर के पीछे नहीं होती और (7) जो पूरा सतर ढांके हुए है उसकी नमाज़ ऐसे आदमी के पीछे जिसका सतर खुला हुआ है सही नहीं होती, और (8) जो रूकू सज्दा करता है उसकी नमाज़ रूकू सज्दे को इशारे से अदा करने वाले के पीछे नहीं होती और (9) फ़र्ज़ पढ़ने वाले की नमाज़ नफ़िल पढ़ने वाले के पीछे नहीं होती, इसी तरह एक फ़र्ज़ (जैसे ज़ुहर) पढ़ने वाले की नमाज़ दूसरा फ़र्ज़ (जैसे अस्र) पढ़ने वालों के पीछे नहीं होती।

सवाल :- नाबालिग़ लड़के के पीछे तरावीह

जाइज़ है या नहीं?

जवाब :- तरावीह भी नाबालिग़ के पीछे जाइज़ नहीं, हां जब लड़का पंद्रह साल का हो जाए तो अगर्चे और कोई अलामत बालिग़ होने की ज़ाहिर न हो उसके पीछे तरावीह और फ़र्ज़ नमाज़ जाइज़ है।

नमाज़ के मुफ़सिदात का बयान

सवाल :- नमाज़ के मुफ़सिदात किस को कहते हैं?

जवाब :- नमाज़ के मुफ़सिदात उन चीज़ों को कहते हैं जिन से नमाज़ फ़ासिद हो जाती है, यानी टूट जाती है और उसे लौटाना ज़रूरी हो जाता है।

सवाल :- नमाज़ के मुफ़सिदात क्या-क्या हैं?

जवाब :- (1) नमाज़ में कलाम करना जानबूझ कर हो या भूलकर, थोड़ा हो या बहुत, हर सूरत में नमाज़ टूट जाती है। (2) सलाम करना यानी किसी आदमी को सलाम करने के इरादे से सलाम या तस्लीम या अस्सलामु अलैकुम या इसी जैसा कोई

लफ़्ज़ कह देना। (3) सलाम का जवाब देना या छींकने वाले को "यर-ह-मु-कल्लाह" या नमाज़ से बाहर वाले किसी आदमी की दुआ पर आमीन कहना। (4) किसी बुरी ख़बर पर إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ **"इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन"** पढ़ना या किसी अच्छी ख़बर पर اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ **"अलहम्दुलिल्लाह"** कहना या किसी अजीब ख़बर पर سُبْحَانَ اللّٰهِ **"सुब्हानल्लाह"** कहना। (5) दर्द या रंज की वजह से आह या ओह या उफ़ करना (6) अपने इमाम के सिवा किसी दूसरे को लुक़्मा देना यानी क़िरअत बताना (7) क़ुरआन शरीफ़ देख कर पढ़ना। (8) क़ुरआन मजीद पढ़ने में कोई बड़ी ग़लती करना (9) अमल कसीर करना यानी कोई ऐसा काम करना जिनसे देखने वाले यह समझें कि यह आदमी नमाज़ें नहीं पढ़ रहा है। (10) खाना-पीना इरादे से हो या भूल से (11) दो सफ़ों की मिक़दार के बराबर चलना (12) क़िब्ले की तरफ़ से बिना मजबूरी सीना फेर लेना। (13) नापाक जगह पर सज्दा करना (14) सतर खुल जाने की हालत में एक रुक्न की मिक़दार ठहरना। (15) दुआ में ऐसी चीज़ मांगना जो आदमियों से मांगी जाती

है, जैसे या अल्लाह मुझे आज सौ रुपये दे दे। (16) दर्द या मुसीबत की वजह से इस तरह रोना कि आवाज़ में हरूफ़ ज़ाहिर हो जायें। (17) बालिग़ आदमी का नमाज़ में क़हक़हा मार कर या आवाज़ से हंसना (18) इमाम से आगे बढ़ जाना वग़ैरह।

नमाज़ के मकरूहात का बयान

सवाल :- नमाज़ में कितनी चीज़ें मकरूह हैं?

जवाब :- (1) सद्ल यानी कपड़े को लटकाना जैसे चादर सर पर डाल कर उसके दोनों किनारे लटका देना, या अचकन या चोग़ा बग़ैर उसके कि आस्तीनों में हाथ डाले जायें कंधों पर डाल लेना, (2) कपड़ों को मिट्टी से बचाने के लिए हाथ से रोकना या समेटना (3) अपने कपड़ों या बदन से खेलना (4) मामूली कपड़ों में जिन्हें पहनकर मज्मा में जाना पसन्द नहीं किया जाता, नमाज़ पढ़ना (5) मुंह में रुपया या पैसा या और कोई चीज़ रखकर नमाज़ पढ़ना जिसकी वजह से क़िरअत करने से मजबूर न रहे, और अगर क़िरअत से मजबूरी हो जाये तो बिल्कुल नमाज़ न होगी। (6) सुस्ती और बेपरवाई की वजह से नंगे सर नमाज़ पढ़ना (7) पाख़ाना या पेशाब की हाजत होने की हालत में

नमाज़ पढ़ना (8) बालों को सर पर जमा करके चुट्टा बांधना (9) कंकरियों को हटाना, लेकिन अगर सज्दा करना मुश्किल हो तो एक बार हटाने में हर्ज नहीं (10) उंगलियां चटख़ाना या एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में डालना (11) कमर या कोख या कूल्हे पर हाथ रखना (12) क़िब्ले की तरफ़ से मुंह फेरकर या सिर्फ़ निगाह से इधर-उधर देखना (13) कुत्ते की तरह बैठना, यानी रानें खड़ी करके बैठना और रानों को पेट से और घुटनों को सीने से मिला लेना और हाथों को ज़मीन पर रख लेना। (14) सज्दे में दोनों कलाइयों को ज़मीन पर बिछा लेना मर्द के लिए मकरूह है (15) किसी ऐसे आदमी की तरफ़ नमाज़ पढ़ना जो नमाज़ी की तरफ़ मुंह किये बैठा हो (16) हाथ या सर के इशारे से सलाम का जवाब देना (17) बिना मजबूरी चार ज़ानों या आलती-पालती मारकर बैठना (18) इरादा करके जमाई लेना या रोक सकने की हालत में न रोकना (19) आंखों को बंद करना, लेकिन अगर नमाज़ में दिल लगने के लिये बंद करे तो मकरूह नहीं (20) इमाम का मेहराब के अंदर खड़ा होना, लेकिन अगर क़दम मेहराब से बाहर हों तो मकरूह

नहीं अकेले इमाम का एक हाथ ऊँची जगह पर खड़ा होना और अगर उसके साथ कुछ मुक़तदी भी हों तो मकरूह नहीं (21)ऐसी सफ़ के पीछे अकेले खड़ा होना जिसमें जगह खाली हो (22) किसी जानदार की तस्वीर वाले कपड़े पहनकर नमाज़ पढ़ना (23) ऐसी जगह नमाज़ पढ़ना कि नमाज़ी के सर के ऊपर या उसके सामने या दायीं-बायीं तरफ़ या सज्दे की जगह तस्वीर हों (24) आयतें या सूरतें या तस्बीहें उंगलियों पर गिनना (25) चादर या कोई और कपड़ा इस तरह लपेट कर नमाज़ पढ़ना कि जल्दी से हाथ न निकल सकें। (26) नमाज़ में अंगड़ाई लेना यानी सुस्ती उतारना (27) अमामा के पेच पर सजदा करना (28) सुन्नत के ख़िलाफ़ नमाज़ में कोई काम करना।

वितर की नमाज़ का बयान

सवाल :- वितर की नमाज़ वाजिब है या सुन्नत?

जवाब :- वितर की नमाज़ वाजिब है। उसके पढ़ने की ताकीद फ़र्ज़ नमाज़ों के बराबर है। और छूट जाये तो क़ज़ा पढ़ना वाजिब है और बिना मजबूरी जान बूझकर छोड़ना बड़ा गुनाह है।

सवाल : वितर नमाज़ की कितनी रकअतें हैं?

जवाब : वितर नमाज़ की तीन रकअतें हैं। दो रकअतें पढ़कर क़अदा किया जाता है। और "अत-तहीयात" पढ़कर खड़े हो जाते हैं। फिर एक रकअत पढ़कर क़अदा करते हैं और "अत-तहीयात, और दरूद शरीफ़, दुआ पढ़कर सलाम फेरते हैं।

सवाल : वितर की नमाज़ में दूसरी नमाज़ों से क्या फ़र्क़ है?

जवाब : इसकी तीसरी रकअत में दुआए क़नूत पढ़ी जाती है, जिसकी तरकीब यह है कि तीसरी रकअत में सूरत फ़ातिहा और सूरत से फ़ारिग़ होकर अल्लाहु अकबर कहता हुआ हाथ कानों तक उठाये और फिर हाथ बांधकर दुआए क़नूत पढ़े, और रूकू में जाये और बाक़ी नमाज़ क़ायदे के मुताबिक़ पूरी करे।

सवाल : दुआए क़नूत ज़ोर से पढ़नी चाहिए या आहिस्ता?

जवाब : इमाम हो या मुनफ़रिद सबको दुआए क़नूत आहिस्ता पढ़नी चाहिए।

सवाल : दुआए क़नूत याद न हो तो क्या करे?

जवाब : कोई और दुआ जैसे:-

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِی الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"रब-बना आतिना फ़िद-दुनिया ह-स-नतव व फ़िल आख़ि-रति ह-स-नतंव व क़िना अज़ाबन्नार" पढ़ लेनी चाहिये।

सवाल : अगर मुक़तदी ने पूरी दुआए क़नूत नहीं पढ़ी थी कि इमाम ने रूकू कर दिया तो मुक़तदी क्या करे?

जवाब : दुआए क़नूत छोड़ दे और रूकू में चला जाये।

सुन्नत और नफ़िल नमाज़ों का बयान

सवाल : कितनी नमाज़ें सुन्नते मुअक्किदा हैं?

जवाब : (1) दो रकअतें फ़ज्र की नमाज़ के फ़र्ज़ों से पहले और (2) चार रकअतें (एक सलाम से) ज़ुहर और जुमे के फ़र्ज़ों से पहले और (3) दो रकअतें ज़ुहर की नमाज़ के फ़र्ज़ों के बाद और (4) चार रकअतें (एक सलाम से) जुमे की नमाज़ के बाद और (5) दो रकअतें मग़रिब के फ़र्ज़ों के

बाद सुन्नत मुअक्किदा है। और (7) रमज़ान शरीफ़ में तरावीह की नमाज़ की बीस रकअतें सुन्नते मुअक्किदा हैं।

सवाल : कितनी नमाज़ें सुन्नते गै़र मुअक्किदा हैं?

जवाब : (1)अस्र की नमाज़ से पहले चार रकअतें (2) इशा की सुन्नत मुअक्किदा के बाद दो रकअतें (3) मग़रिब की सुन्नत मुअक्किदा के बाद छः रकअतें (4) जुमा के बाद की सुन्नत मुअक्किदा के बाद दो रकअतें (5) तहैयतुल वुज़ू की दो रकअतें (6) तहैयतुल मस्जिद की दो रकअतें (7) चाश्त की नमाज़ की चार या आठ रकअतें (8) वितर की नमाज़ के बाद दो रकअतें (9) तहज्जुद की नमाज़ की चार या छः या आठ रकअतें (10) सलातुत-तस्बीह (11) इस्तख़ारे की नमाज़ (12) तौबा की नमाज़ (13) हाजत की नमाज़ वग़ैरा, ये सब नमाज़ें सुन्नत गै़र मुअक्किदा हैं।

सवाल : सुन्नतें घर में पढ़ना ज़्यादा अच्छा है या मस्जिद में?

जवाब : सब सुन्नतें और नफ़िल नमाज़ें घर में पढ़ना ज़्यादा अच्छा है, सिवाय कुछ सुन्नतों और नफ़लों के कि इनको मस्जिद में पढ़ना ज़्यादा अच्छा है, जैसे तरावीह की नमाज़, तहैयतुल मस्जिद, सूरज

ग्रहण की नमाज़ वगैरह।

सवाल : नफ़िल नमाज़ किस किस वक़्त पढ़ना मकरूह है?

जवाब : (1) सुबह सादिक़ होने के बाद फ़ज्र की दो रकअत सुन्नतों के अलावा फ़र्ज़ों से पहले (2) फ़ज्र के फ़र्ज़ों के बाद सूरज निकलने से पहले नफ़िल नमाज़ मकरूह है। (3) अस्र के फ़र्ज़ों के बाद सूरज का रंग फीका पड़ने से पहले पहले नफ़िल नमाज़ मकरूह है, लेकिन इन तीनों वक़्तों में फ़र्ज़ नमाज़ की क़ज़ा और वाजिब नमाज़ की क़ज़ा और जनाज़े की नमाज़ और तिलावत का सज्दा बिला कराहत जाइज़ है (4) सूरज निकलना शुरू होने से एक नेज़ा ऊंचा होने तक (5) ठीक दोपहर के वक़्त (6) सूरज का रंग फीका हो जाने से छुप जाने तक हर नमाज़ मकरूह है। हां अगर उसी दिन की अस्र की नमाज़ न पढ़ी हो तो उसे सूरज मुतग़ैयर होने और छुपने की हालत में भी पढ़ लेना जाइज़ है।

इसी तरह ख़ुत्बे के वक़्त सुन्नत और नफ़िल नमाज़ मकरूह है।

सवाल : सूरज के मुतग़ैयर होने से क्या मतलब है?

जवाब :- जब सूरज लाल टिकिया की तरह हो जाये और उस पर नज़र ठहरने लगे तो समझो कि सूरज मुतग़ैयर हो गया।

तरावीह की नमाज़ का बयान

सवाल :- तरावीह की नमाज़ सुन्नत है या नफ़िल?

जवाब :- तरावीह की नमाज़ मर्दों और औरतों दोनों के लिए सुन्नत मुअक्किदा है और जमाअत से पढ़ना सुन्नते किफ़ाया है। यानी अगर मुहल्ले की मस्जिद में तरावीह की नमाज़ जमाअत से पढ़ी जाये और कोई आदमी घर में अकेला पढ़ ले तो गुनहगार न होगा लेकिन अगर तमाम मुहल्ले वाले जमाअत से न पढ़ें तो सब गुनहगार होंगे।

सवाल :- तरावीह की नमाज़ का वक़्त क्या है?

जवाब :- तरावीह की नमाज़ का वक़्त इशा की नमाज़ के बाद से फ़ज्र तक है। वितर की नमाज़ से पहले भी और उसके बाद भी तरावीह का वक़्त है। लेकिन तरावीह की नमाज़ वितर से पहले पढ़नी चाहिये। हां अगर किसी शख़्स की तरावीह की कुछ

रकअतें रह गई हों और इमाम वितर पढ़ने लगे तो यह शख़्स इमाम के साथ वितर में शरीक हो जाये और वितर के बाद अपनी तरावीह की छुटी हुई रकअतें पूरी कर ले तो जाइज़ है।

सवाल :- तरावीह की नमाज़ की कितनी रकअतें हैं उनकी गिनती और कैफ़ियत बयान करो।

जवाब :- बीस रकअतें दस सलामों के साथ मस्नून हैं यानी दो-दो रकअतों की नीयत करे और हर तरावीह (यानी चार रकअतों) के बाद थोड़ी देर आराम कर लेना मुस्तहब है।

सवाल :- जितनी देर आरम कर लेने के लिये बैठें तो ख़ामोश रहें या कुछ पढ़ें?

जवाब :- इख़्तियार है चाहे ख़ामोश रहें या क़ुरआन (आहिस्ता-आहिस्ता) पढ़ें या तस्बीह पढ़ लें या अकेले-अकेले नमाज़ नफ़िल पढ़ लें।

सवाल :- नमाज़ तरावीह में क़ुरआन मजीद ख़त्म करना कैसा है?

जवाब :- पूरे महीने में एक बार क़ुरआन मजीद ख़त्म करना सुन्नत है और दो बार ख़त्म करना अफ़ज़ल है और तीन बार ख़तम करने की फ़ज़ीलत उस वक़्त है कि मुक़तदियों को परेशानी न

हो। हां एक बार ख़त्म करने में लोगों की सुस्ती का लिहाज़ न किया जाये।

सवाल :- तरावीह की नमाज़ बैठकर पढ़ना कैसा है?

जवाब :- खड़े होने की ताक़त होते हुए बैठकर तरावीह पढ़ना मकरूह है।

सवाल :- कुछ लोग रकअत के शुरू से शरीक नहीं होते, जब इमाम रूकू में जाने लगता है तो शरीक हो जाते हैं?

जवाब :- मकरूह है। शुरू रकअत से शरीक होना चाहिये।

सवाल :- अगर किसी शख़्स को फ़र्ज़ की नमाज़ जमाअत से नहीं मिली तो उसे फ़र्ज़ अकेले पढ़कर तरावीह की जमाअत में शरीक होना जाइज़ है या नहीं?

जवाब :- जाइज़ है।

नमाज़ों को क़ज़ा पढ़ने का बयान

सवाल :- अदा और क़ज़ा किसे कहते हैं?

जवाब :- अदा उसे कहते है कि किसी इबादत को उसके बताये गये वक़्त पर पूरा कर लिया जाये

और क़ज़ा उसे कहते है कि किसी फ़र्ज़ या वाजिब को उसके मुक़र्रर किये हुए वक़्त गुज़र जाने के बाद किया जाये।

जैसे ज़ुहर की नमाज़ ज़ुहर के वक़्त में पढ़ ली तो अदा कहलायेगी और ज़ुहर का वक़्त निकल जाने के बाद पढ़ी तो क़ज़ा समझी जायेगी।

सवाल :- क़ज़ा किन-किन नमाज़ों की वाजिब होती है?

जवाब :- सब फ़र्ज़ नमाज़ों की क़ज़ा फ़र्ज़ और वाजिब की क़ज़ा वाजिब है। और कुछ सुन्नतो की क़ज़ा सुन्नत है।

सवाल :- किसी फ़र्ज़ या वाजिब को वक़्त पर अदा न करना और क़ज़ा कर देना कैसा है?

जवाब :- इरादे से और बिना मजबूरी किसी फ़र्ज़ या वाजिब या सुन्नत मुअक्किदा की उसके वक़्त पर अदा न करना गुनाह है। फ़र्ज़ और वाजिब को वक़्त पर अदा न करने का गुनाह बहुत बड़ा है उसके बाद सुन्नत का।

हां, अगर भूलकर क़ज़ा हो जाये जैसे नमाज़ पढ़ना भूल गया या नमाज़ के वक़्त आंख न खुली, सोता रह गया तो गुनाह नहीं।

सवाल :- फ़र्ज़ या वाजिब नमाज़ क़ज़ा हो जाये तो किस वक़्त पढ़नी चाहिये?

जवाब :- जिस वक़्त याद आ जाये या जागे फ़ौरन पढ़ ले। देर करना गुनाह है। हां अगर मकरूह वक़्त में याद आये या जागे तो मकरूह वक़्त निकल जाने के बाद पढ़े।

सवाल :- क़ज़ा नमाज़ की नीयत किस तरह करनी चाहिये?

जवाब :- क़ज़ा नमाज़ की नीयत इस तरह करनी चाहिये कि मैं फ़लाँ दिन की फ़ज्र की या ज़ुहर की नमाज़ क़ज़ा पढ़ता हूँ। सिर्फ़ यह नीयत कर लेना कि ज़ुहर या फ़ज्र की क़ज़ा पढ़ता हूँ, काफ़ी नहीं है।

सवाल :- अगर किसी के ज़िम्मे बहुत सी नमाज़ें क़ज़ा हों और उसे दिन याद न हों, जैसे उसने महीने दो महीने बिल्कुल नमाज़ नहीं पढ़ी और उसे यह तो मालूम है कि मेरे ऊपर फ़ज्र की, जैसे कि तीस (30) नमाज़ें और इतनी ही ज़ुहर वग़ैरह की नमाज़ें हैं लेकिन उसे महीना याद नहीं कि किस महीने की नमाज़ें छूटी थीं तो यह नीयत किस तरह करे?

जवाब :- ऐसी सूरत में जब किसी नमाज़ जैसे

फ़ज्र की क़ज़ा करे तो इस तरह नीयत करे कि मेरे ज़िम्मे जितनी फ़ज्र की नमाज़ें बाक़ी हैं उनमें से पहली फ़ज्र की नमाज़ पढ़ता हूं या उनमे से आख़िरी फ़ज्र की नमाज़ पढ़ता हूं। इसी तरह जो नमाज़ क़ज़ा करे उसकी नीयत इसी तरीक़े से करनी चाहिये।

सवाल :- क़ज़ा नमाज़ मस्जिद में पढ़ना बेहतर है या घर में?

जवाब :- अगर अकेले आदमी की नमाज़ क़ज़ा हो तो घर में पढ़ना बेहतर है और मस्जिद में पढ़ ले तो भी हर्ज नहीं। लेकिन किसी से यह न कहे कि मैंने यह नमाज़ क़ज़ा पढ़ी है क्योंकि अपनी क़ज़ा नमाज़ों का दूसरों से ज़िक्र करना मकरूह है।

सवाल :- वे सुन्नतें कौन सी हैं जिनकी क़ज़ा पढ़ना सुन्नत है?

जवाब :- फ़ज्र की सुन्नतें अगर फ़र्ज़ों के साथ क़ज़ा हो जायें तो सूरज ढलने से पहले उनको भी फ़र्ज़ों समेत क़ज़ा पढ़ लेना चाहिये और ज़वाल के बाद पढ़े तो सिर्फ़ फ़र्ज़ों की क़ज़ा करे।

और अगर सिर्फ़ सुन्नतें छूट गईं तो सुन्नतों की क़ज़ा नहीं। सूरज निकलने से पहले पढ़ना तो मकरूह है और सूरज निकलने के बाद पढ़ना

मकरूह तो नहीं मगर वे सुन्नतें न होंगी नफ़िल हो जायेंगे।

सवाल :- ज़ुहर की चार सुन्नतें अगर फ़र्ज़ से पहले न पढ़ी गईं तो उनका क्या हुक्म है?

जवाब :- ज़ुहर और जुमे की सुन्नतें अगर फ़र्ज़ से पहले नहीं पढ़ीं तो फ़र्ज़ के बाद पढ़ ले और फ़र्ज़ के बाद दो सुन्नतों से पहले या उनके बाद, दोनों तरह पढ़ने की गुंजाइश है। ज़्यादा अच्छा यह है कि दो सुन्नतों के बाद पढ़े।

मुद्‌रिक, मस्बूक़, लाहिक़ का बयान

सवाल :- मुद्‌रिक किसे कहते हैं?

जवाब :- जिसको इमाम के साथ पूरी नमाज़ मिली हो, यानी पहली रकअत से शरीक हुआ हो, आख़िर तक साथ रहा हो, उसे मुद्‌रिक कहते हैं।

सवाल :- मस्बूक़ किसे कहते हैं?

जवाब:- मस्बूक़ उस शख़्स को कहते हैं जिसको इमाम के साथ एक या कई रकअतें न मिली हों।

सवाल :- लाहिक़ किसे हिते हैं?

जवाब :- लाहिक़ उस शख़्स को कहते हैं जिसकी इमाम के साथ शरीक होने के बाद एक या

कई रकअतें आती रही हों। जैसे एक शख़्स इमाम के साथ शरीक हुआ, लेकिन क़अदा में बैठे बैठे सो गया और इतनी देर सोता रहा कि इमाम ने एक या दो रकअतें और पढ़ लीं।

सवाल : मस्बूक़ अपनी छूटी हुई नमाज़ किस तरह और किस वक़्त पूरी करे?

जवाब : इमाम के साथ आख़िर नमाज़ तक शरीक रहे, जब इमाम सलाम फेरे तो मस्बूक़ उसके साथ सलाम न फेरे बल्कि खड़ा हो जाये और छूटी हुई रकअतों को इस तरह अदा करे कि जैसे उसने नमाज़ अभी शुरू की है। जैसे कि जब तुम्हारी सिर्फ़ एक रकअत छूटी हो तो इमाम के सलाम के बाद इस तरह पढ़ो कि पहले "सना" और "अऊज़ु बिल्लाहि"और "बिस्मिल्लाहि" पढ़कर सूरत फ़ातिहा पढ़ो। फिर कोई और सूरत मिलाओ। फिर क़ाइदे के मुताबिक रकअत पूरी करके क़अदा करो और सलाम फेरो। यह तरीक़ा हर नमाज़ की छूटी हुई रकअत पूरी करने का है।

और जब तुम्हारी ज़ुहर या अस्र या फ़ज्र की दो रकअतें रह गई हों तो पहली रकअत में "सना" और "तअव्वुज़" और "तसमिया" के बाद "फ़ातिहा" और "सूरत" और दूसरी रकअत में "फ़ातिहा" और

"सूरत" पढ़ कर रूकू सज्दे करके क़अदा करो और सलाम फेरो। और अगर जुहर या अस्र या इशा की सिर्फ़ एक रकअत इमाम के साथ मिली तो अपनी तीन रकअतें इसी तरह पूरी करो कि पहली रकअत "फ़ातिहा" और सूरत के साथ पढ़ कर क़अदा करो और फिर एक रकअत "फ़ातिहा" और "सूरत" के साथ पढ़ो। फिर एक रकअत में सिर्फ़ "फ़ातिहा" पढ़कर रकअत पूरी करो और सलाम फेरो। और अगर मग़रिब की एक रकअत इमाम के साथ मिली हो तो एक रकअत "फ़ातिहा" और "सूरत" के साथ पढ़ कर क़अदा करो फिर दूसरी रकअत भी "फ़ातिहा" और "सूरत" के साथ पढ़ कर क़अदा करो और सलाम फेरो। यानी जब नमाज़ की सिर्फ़ एक रकअत इमाम के साथ मिली हो तो अपनी नमाज़ में एक रकअत के बाद क़अदा करना चाहिए, चाहे किसी वक़्त की नमाज़ हो।

सवाल : अगर मस्बूक़ इमाम के सलाम फेरते ही खड़ा हो गया और इमाम ने सज्दा सहव किया तो मस्बूक़ क्या करे?

जवाब : लौट आये और इमाम के साथ सज्दा सवह में शरीक हो जाये।

सवाल : अगर मस्बूक़ ने भूले से इमाम के

साथ खुद भी सलाम फेर दिया तो क्या हुक्म है?

जवाब : अगर इमाम के सलाम से पहले या ठीक उसके साथ-साथ सलाम फेरा तो मस्बूक़ के ज़िम्मे सज्दा सहव नहीं और नमाज़ पूरी कर ले और अगर इमाम के सलाम के बाद उसने सलाम फेरा तो अपनी नमाज़ के आख़िर में सज्दा सहव करना वाजिब है।

सवाल : लाहिक़ अपनी छूटी हुई नमाज़ किस वक़्त और किस तरह पूरी करे?

जवाब : लाहिक़ की जो रकअत किसी मजबूरी जैसे सो जाने की वजह से रह गई हो तो जिस वक़्त वह जागे पहले अपनी छूटी हुई नमाज़ इमाम का साथ छोड़कर पढ़ ले और इस तरह पढ़े जैसे इमाम के साथ पढ़ता है यानी क़िरअत न करे और जब छूटी हुई नमाज़ पूरी करले तो इमाम के साथ होकर बाक़ी नमाज़ पूरी करले और इमाम नमाज़ ख़त्म कर चुका हो तो बाक़ी नमाज़ भी उसी तरह पूरी करे जैसे इमाम के पीछे पढ़ता है। इस हालत में अगर इसे कोई भूल हो जाये तो सज्दा सहव भी न करे क्योंकि इस वक़्त भी वह मुक़तदी है और मुक़तदी के सहव पर सज्दा सहव

नहीं आता।

सज्दा सह्व का बयान

सवाल :- सज्दा सहव किसे कहते हैं?

जवाब :- सहव के माने भूल जाने के हैं। भूले से कभी-कभी नमाज़ में कमी-ज़्यादती होकर नुक़सान आ जाता है। कुछ नुक़सान ऐसे हैं कि उनको दूर करने के लिए नमाज़ के आख़िरी क़अदा में दो सज्दे किये जाते हैं उनको सज्दा सहव कहते हैं।

सवाल :- सज्दा सहव किस तरह किया जाता है?

जवाब :- आख़िरी क़अदा में "तशह्हुद" पढ़ने के बाद एक तरफ़ सलाम फेर कर तक्बीर कहे और सज्दा करे। सज्दे में तीन बार "तस्बीह" पढ़े फिर तक्बीर कहता हुआ सर उठाये और सीधा बैठ कर फिर तक्बीर कहता हुआ दूसरा सज्दा करे, फिर तक्बीर कहता हुआ सर उठाये और बैठ कर दोबारा "अत्तहीयात" और "दरूद शरीफ़" और दुआ पढ़ कर दोनों तरफ़ सलाम फेरे।

सवाल :- अगर सज्दा सहव के सलाम से पहले "अत्तहीयात" से बाद 'दरूद' और दुआ भी पढ़ ले तो कैसा है?

जवाब :- कुछ आलिमों ने इसे एहतियात के लिए पसंद किया है कि सज्दा सहव से पहले भी "तशहहुद" "दरूद" और "दुआ" पढ़े और सज्दा सहव के बाद भी तीनों चीज़ें पढ़े, इसलिए पढ़ लेना ज़्यादा अच्छा है लेकिन न पढ़ने में भी नुक़सान नहीं।

सवाल :- सज्दा सहव सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज़ों में वाजिब है या सब नमाज़ों में?

जवाब :- तमाम नमाज़ों में सज्दा सहव का हुक्म एक जैसा है?

सवाल :- अगर एक तरफ़ भी सलाम न फेरा और सज्दा सहव कर लिया तो क्या हुक्म है?

जवाब :- नमाज़ हो जायेगी मगर जान-बूझकर ऐसा करना मकरूह तन्ज़ीही है।

सवाल :- अगर दोनों सलामों के बाद सज्दा सहव किया तो क्या हुक्म है?

जवाब :- एक रिवायत के मुताबिक़ जाइज़ है। मगर क़वी बात यह है कि एक ही तरफ़ सलाम फेरे, अगर दोनों तरफ़ सलाम फेर दिया तो सज्दा

सहव न करे बल्कि नमाज़ को दोहरा ले।

सवाल :- सज्दा सहव किन चीज़ों से वाजिब होता है?

जवाब :- (1) किसी वाजिब के छूट जाने से या (2) वाजिब में देर हो जाने से या (3) किसी फ़र्ज़ में देर हो जाने से या (4) किसी फ़र्ज़ को मुक़द्दम कर देने से या (5) किसी फ़र्ज़ को दो बार कर देने से जैसे दो रुकू कर लिये, या (6) किसी वाजिब की हालत बदल देने से सज्दा सहव वाजिब होता है।

सवाल :- ये बातें जिनको भूलकर करने से सज्दा सहव वाजिब होता है अगर इरादे से की जायें तो क्या हुक्म है?

जवाब :- इरादे से करने से सज्दा सहव से नुक़सान पूरा नहीं होता बल्कि नमाज़ को लौटाना वाजिब होता है।

सवाल :- अगर एक नमाज़ में कई बातें ऐसी हो जायें जिनमें से हर एक पर सज्दा सहव वाजिब हो जाता है तो कितने सज्दे करें?

जवाब :- सिर्फ़ एक बार, दो सज्दा सहव कर लेना काफ़ी है।

सवाल :- क़िरअत में क्या-क्या अदल-बदल हो जाने से सज्दा सहव वाजिब होता है।

जवाब :- फ़र्ज़ नमाज़ की पहली रकअत या दूसरी रकअत या इन दोनों में वाजिब या सुन्नत या नफ़िल नमाज़ों की किसी एक या ज़्यादा रकअतों में सूरत फ़ातिहा छूट जाने से (2) इन्हीं सारी रकअतों में पूरी "सूरत फ़ातिहा" या उसके ज़्यादा हिस्से को दो बार पढ़ जाने से (3) "सूरत फ़ातिहा" से पहले सूरत पढ़ जाने से (4) फ़र्ज़ नमाज़ की तीसरी और चौथी रकअतों के सिवा हर नमाज़ की (फ़र्ज़ हो या वाजिब या सुन्नत या नफ़िल) किसी रकअत में सूरत छूट जाने से, सज्दा सहव वाजिब होता है। लेकिन शर्त यह है कि ये सारी बातें भूल से हुई हों।

सवाल :- अगर भूल से नमाज़ के हिस्सों को अदा न करे तो सज्दा सहव वाजिब होगा या नहीं?

जवाब :- सज्दा सहव वाजिब होगा।

सवाल :- अगर क़अदा ऊला भूल जाये तो क्या हुक्म है?

जवाब :- अगर भूल से उठने लगे तो जब तक बैठने के क़रीब हो बैठ जाये और सज्दा सह्व न करे और अगर खड़े होने के क़रीब हो जाये तो

क़अदा को छोड़ दे और खड़ा हो जाये। आख़िर में सज्दा सहव कर ले, नमाज़ हो जायेगी।

सवाल :- और किन-किन बातों से सज्दा सहव वाजिब होता है?

जवाब :- (1) दो बार रूकू कर लेने से (2) तीन सज्दे कर लेने से (3) पहला क़अदा या आख़िरी क़अदा में 'तशहहुद' छुट जाने से (4) पहले क़अदे में 'तशहुद' के बाद اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ

"अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन" तक 'दरूद' पढ़ने से या इतनी देर ख़ामोश बैठे रहने से (5) जेहरी नमाज़ों में इमाम के आहिस्ता पढ़ने से (6) सिर्री नमाज़ों में इमाम के 'जहर' करने (आवाज़ से पढ़ने) से सज्दा सहव वाजिब होता है। इस शर्त के साथ कि ये सारी बातें भूल से हुई हों।

सवाल :- अगर इमाम के पीछे मुक़तदी से कुछ सह्व हो जाये तो क्या करे?

जवाब :- मुक़तदी के ज़िम्मे अपने सह्व से सज्दा सहव वाजिब नहीं होता।

सवाल :- मस्बूक़ को अपनी बाक़ी नमाज़ पूरी करने में सहव हो तो क्या करे?

जवाब :–इस सूरत में अपनी नमाज़ के आख़िरी क़अदा मे सज्दा सहव करना उस पर वाजिब है।

तिलावत के सज्दे का बयान

सवाल :– सज्दा तिलावत किसे कहते हैं?

जवाब :– तिलावत के माने पढ़ने के हैं। क़ुरआन शरीफ़ में कुछ जगहें ऐसी हैं जिनको पढ़ने या किसी को पढ़ते हुए सुनने से सज्दा करना वाजिब हो जाता है उसे सज्दा तिलावत कहते हैं।

सवाल :– वे कितनी जगहें हैं जिनको पढ़ने या सुनने से सज्दा करना पड़ता है?

जवाब :– सारे क़ुरआन मजीद में चौदह (14) जगहें हैं जिनको चौदह सज्दे भी कहते हैं।

सवाल :– अगर नमाज़ के बाहर सज्दे की आयत पढ़े तो किस वक़्त और किस तरह सज्दा करे?

जवाब :– ज़्यादा अच्छा तो यही है कि जिस वक़्त सज्दे की आयत पढ़ी है उसी वक़्त सज्दा करले लेकिन अगर उस वक़्त न किया जब भी कोई गुनाह नहीं, हां ज़्यादा देर करना मकरूह है।

और नमाज़ से बाहर सज्दा करने का ज़्यादा अच्छा तरीक़ा यह है कि खड़े होकर तक्बीर कहता हुआ सज्दा करे और फिर तक्बीर कहता हुआ उठ खड़ा हो। लेकिन अगर बैठे ही से सज्दे में गया और सज्दे से उठकर बैठ गया जब भी सज्दा अदा हो गया।

सवाल :- सज्दा तिलावत करने के लिये क्या शर्तें हैं?

जवाब :- जो शर्तें नमाज़ की हैं वहीं सज्दा तिलावत की हैं। यानी (1) बदन और (2) कपड़े और (3) जगह का पाक होना (4) सतर ढकना (5) क़िब्ले की तरफ़ मुंह करना (6) सज्दा तिलावत की नीयत करना।

सवाल :- सज्दा तिलावत किन चीज़ों से टूट जाता है?

जवाब :- जिन चीज़ों से नमाज़ टूट जाती है, उन्हीं से सज्दा तिलावत भी टूट जाता है।

सवाल :- अगर सज्दे की आयत दो या ज़्यादा बार पढ़ी जाये तो क्या हुक्म है?

जवाब :- अगर सज्दे की कोई ख़ास आयत एक जगह में दो या ज़्यादा बार पढ़ीं या सुनी तो

एक ही सज्दा वाजिब होता है।

सवाल :- अगर एक जगह सज्दे की दो आयतें पढ़ीं या एक आयत दो अलग-अलग जगह पढ़ी तो क्या हुक्म है?

जवाब :- एक जगह जितनी अलग-अलग सज्दों की आयतें पढ़ीं या एक आयत जितनी जगहों में दो बार पढ़ी है, उतने सज्दे वाजिब होंगे।

सवाल :- अगर कोई आदमी क़ुरआन शरीफ़ की तिलावत करते वक़्त आगे पीछे से पढ़ ले और सिर्फ़ सज्दे की आयत छोड़ दे तो कैसा है?

जवाब :- ऐसा करना मकरूह है।

सवाल :- अगर तिलावत करने वाला ऐसी जगह तिलावत कर रहा है कि वहां और लोग भी बैठे हैं, तो वह सज्दे की आयत चुपके-चुपके पढ़ ले और लोग न सुनें तो कैसा है?

जवाब :- जाइज़ है। बल्कि ज़्यादा अच्छा यही है कि चुपके से पढ़ें।

बीमार की नमाज़ का बयान

सवाल :- बीमार के लिये किस हालत में बैठकर नमाज़ पढ़ना जाइज़ होता है?

जवाब :- जबकि बीमार में बिल्कुल खड़े होने

की ताक़त न हो या खड़े होने से बड़ी तक्लीफ़ होती हो या मर्ज़ के बढ़ जाने का डर हो, या सर में चक्कर आकर गिर जाने का ख़तरा हो या खड़े होने की ताक़त तो है लेकिन रुकू सज्दा नहीं कर सकता तो इन सब सूरतों में बैठकर नमाज़ पढ़ना जाइज़ है, फिर अगर रुकू सज्दा कर सकता है तो रुकू सज्दे के साथ और नहीं कर सकता तो रुकू सज्दे के इशारों से नमाज़ पढ़ ले। रुकू और सज्दे के इशारे सर झुकाकर करे और रुकू के इशारे से सज्दे के इशारे में सर को ज़्यादा झुकाये।

सवाल :- अगर कोई आदमी पूरा क़याम नहीं कर सकता लेकिन थोड़ी देर खड़ा हो सकता है, उसका क्या हुक्म है?

जवाब :- उस पर इतनी देर खड़ा होना ज़रूरी है।

सवाल :- अगर मरीज़ में बैठकर भी नमाज़ पढ़ने की ताक़त न हो तो क्या करे?

जवाब :- लेटे-लेटे नमाज़ पढ़ ले। लेटकर नमाज़ पढ़ने की सूरत यह है कि चित लेटे और पांवों क़िब्ले की तरफ़ करे लेकिन फैलाना नहीं चाहिए, घुटने खड़े रखे और सर के नीचे तकिया

वग़ैरह रखकर थोड़ा ऊँचा कर ले और रुकू सज्दे के लिये सर झुकाकर इशारे से नमाज़ पढ़े, यह तरीक़ा तो ज़्यादा अच्छा है और जाइज़ यह भी है कि शुमाल की तरफ़ सर करके दाईं करवट पर या दक्खन की तरफ़ सर करके बांई करवट पर लेटे और इशारे से नमाज़ पढ़ ले। इन दोनों हालतों में दांई करवट पर लेटना ज़्यादा अच्छा है।

सवाल :- अगर बीमार में सर से इशारा करने की भी ताक़त न हो तो क्या हुक्म है?

जवाब :- जब सर से इशारा भी न कर सके तो नमाज़ न पढ़े, फिर अगर एक रात-दिन से ज़्यादा उसकी यही हालत रही तो छुटी हुई नमाज़ों की क़ज़ा भी उसके ज़िम्मे नहीं, हां अगर एक रात-दिन या इससे कम में उसे सर से इशारा करने की भी ताक़त आ गई तो छूटी हुई नमाज़ों की (जो पांच नमाज़ें या इससे कम होंगी) क़ज़ा उसके ज़िम्मे लाज़िम होगी।

मुसाफ़िर की नमाज़ का बयान

सवाल :- कितनी दूर के सफ़र का इरादा करने से आदमी मुसाफ़िर होता है?

जवाब :- शरीअत में मुसाफ़िर उसको कहते हैं जो इतनी दूर जाने का इरादा करके निकले जहां तीन

दिन में पहुंच सके। तीन दिन में पहुंचने से यह मतलब नहीं कि सारा दिन चल कर तीन दिन में पहुंचे। बल्कि हर रोज़ सुबह से सूरज ढलने तक चलना मोतबर है और चाल से दरमियाने दर्जे की चाल और दिन से छोटे से छोटा दिन से मतलब है।

सवाल :- दरमियाने दर्जे की चाल से क्या मतलब है और तीन दिन का सफ़र कितने मील होता है?

जवाब :- दरमियाने दर्जे की चाल से पैदल आदमी की चाल से मतलब है। और ठीक बात तो यही है कि तीन मंज़िल के सफर का एतबार है। लेकिन आसानी के लिए अड़तालीस (48) मील का सफ़र तीन मंज़िल के बराबर समझ लिया गया है।

सवाल :- अगर कोई आदमी रेल या घोड़ा-गाड़ी या मोटर पर इतनी दूर का इरादा करके चले जहां पैदल आदमी तीन दिन में पहुंचते हैं तो इसका क्या हुक्म है?

जवाब :- यह मुसाफ़िर हो गया चाहे कितनी ही जल्दी पहुंच जाये।

सवाल :- मुसाफ़िर की नमाज़ में क्या फ़र्क़ हो जाता है?

जवाब : मुसाफ़िर ज़ुहर, अस्र और इशा की नमाज़ें चार रकअत की जगह दो रकअत पढ़ता है और फ़ज्र, मग़रिब और वितर की नमाज़ें अपने हाल पर रहती हैं, उनमें कोई फ़र्क़ नहीं होता।

सवाल : चार रकअतों वाली नमाज़ों की दो रकअतें पढ़ने को क्या कहते हैं?

जवाब : क़सर कहते हैं।

सवाल : मुसाफ़िर किस वक़्त से क़स्र शुरू करे?

जवाब : जब अपनी बस्ती की आबादी से बाहर निकल जाये, उस वक़्त से क़स्र करने लगे।

सवाल : मुसाफ़िर कब तक क़स्र करे?

जवाब : जब तक सफ़र में रहे और किसी शहर या क़स्बे या गावं में पहुंचकर वहां पन्द्रह दिन ठहरने की नीयत न कर ले उस वक़्त तक क़स्र करता रहे और जब किसी जगह पन्द्रह दिन ठहरने की नीयत कर ली तो नीयत करते ही पूरी नमाज़ पढ़ने लगे।

सवाल : अगर किसी जगह दो-चार दिन ठहरने का इरादा था लेकिन काम पूरा न हुआ, फिर दो-चार दिन की नीयत कर ली फिर काम पूरा न हुआ और फिर दो-चार दिन की नीयत कर ली, इसी तरह पन्द्रह दिन से ज़्यादा गुज़र गए तो क्या हुक्म है?

जवाब :- जब तक इकट्ठे पन्द्रह दिन की नीयत न करे, नमाज़ कस्र पढ़ना चाहिये। और इसी हालत में पन्द्रह दिन से ज़्यादा भी गुज़र जायें तब भी कुछ हर्ज नहीं।

सवाल :- अगर मुसाफ़िर चार रकअतों वाली नमाज़ पूरी पढ़ ले तो क्या हुक्म है?

जवाब :- अगर दूसरी रकअत पर क़अदा कर लिया है तो आख़िर में सज्दा सहव कर लेने से नमाज़ हो जायेगी। लेकिन जान-बूझकर ऐसा करने से गुनहगार होगा और भूले से ऐसा हो गया तो गुनाह भी नहीं। और इस सूरत में दो रकअतें फ़र्ज़ और दो नफ़िल हो जायेगी।

लेकिन अगर दूसरी रकअत पर क़अदा नहीं किया तो फ़र्ज़ नमाज़ अदा न होगी, चारों नफ़िल हो जायेंगे। फ़र्ज़ फिर दोबारा पढ़े।

सवाल :- अगर मुसाफ़िर किसी मुक़ीम के पीछे नमाज़ पढ़े तो क्या हुक्म है?

जवाब :- मुक़ीम इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने से मुक़तदी मुसाफ़िर के ज़िम्मे भी चारों रकअतें फ़र्ज़ हो जाती है।

सवाल :- अगर इमाम मुसाफ़िर हो और

मुक़तदी मुक़ीम हो तो क्या हुक्म है?

जवाब : मुसाफ़िर अपनी दो रकअतें पूरी करके सलाम फेर दे और सलाम फेरने के बाद मुक़तदियों से कह दे कि तुम अपनी नमाज़ पूरी कर लो, मैं मुसाफ़िर हूँ। मुक़तदी बग़ैर सलाम फेरे खड़े हो जायें और अपनी-अपनी दो रकअतें पूरी कर लें, लेकिन इन दोनों रकअतों में 'फ़ातिहा' और 'सूरत' न पढ़ें और अगर कोई भूल हो जाये तो सज्दा सहव भी न करें।

सवाल : चलती रेल और जहाज़ पर नमाज़ जाइज़ है या नहीं?

जवाब : चलती रेल और (पानी के) जहाज़ पर नमाज़ जाइज़ है। अगर खड़े होकर पढ़ सके, चक्कर खाने या गिरने का डर न हो तो खड़े होकर नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। और खड़े होकर न पढ़ सके तो बैठकर पढ़ ले। और अगर नमाज़ पढ़ते हुए रेल या जहाज़ के घूम जाने से नमाज़ी का मुँह क़िब्ले की तरफ़ न रहे तो फ़ौरन क़िब्ले की तरफ़ फिर जाना चाहिए। नहीं तो नमाज़ न होगी।

जुमा की नमाज़ का बयान

सवाल : जुमे की नमाज़ फ़र्ज़ है या वाजिब

या सुन्नत?

जवाब : जुमे की नमाज़ फ़र्ज़ है बल्कि ज़ुहर की नमाज़ से उसकी ताकीद ज़्यादा है। जुमे के दिन ज़ुहर की नमाज़ नहीं है। जुमे की नमाज़ उसके बदले कर दी गई है।

सवाल : क्या जुमे की नमाज़ हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है ?

जवाब : जुमे की नमाज़ आज़ाद, बालिग़, समझदार, तन्दरूस्त, मुक़ीम मर्दों पर फ़र्ज़ है। लेकिन नाबालिग़, बच्चों, ग़ुलामों, दीवानों, बीमारों, अन्धों, अपाहिजों और इसी तरह की मजबूरी वालों, मुसाफ़िरों और औरतों पर जुमा की नमाज़ फ़र्ज़ नहीं।

सवाल : अगर मुसाफ़िर, अन्धे, अपाहिज, औरतें या बीमार जुमे की नमाज़ में शरीक हो जायें तो उनकी नमाज़ ठीक हो जायेगी या नहीं?

जवाब : हाँ ठीक हो जायेगी और ज़ुहर की नमाज़ उनके ज़िम्मे से उतर जायेगी।

सवाल : जुमे की नमाज़ सही होने की क्या शर्तें हैं?

जवाब : जुम की नमाज़ सही होने की कई शर्तें हैं- (1) शहर या शहर जितने बड़े गाँव या क़स्बे में होना। इसी तरह शहर के आसपास की

ऐसी आबादी, कि शहर की ज़रूरतें उसके साथ लगी हों- जैसे शहर के मुर्दे वहां दफ़न होते हों, या छावनी हो तो वह भी शहर के हुक्म में हैं छोटे गांव में जुमा सही नहीं।

(2) दूसरी शर्त, ज़ुहर का वक़्त होना।

(3) तीसरी शर्त, नमाज़ से पहले ख़ुत्बा पढ़ना।

(4) चौथी शर्त, जमाअत और (5) पांचवीं शर्त, इज़्ने-आम। ये पांचों शर्तें पाई जायें तो जुमा की नमाज़ सही होगी।

सवाल :- ख़ुत्बा पढ़ने का सुन्नत तरीक़ा क्या है?

जवाब :- नमाज़ से पहलें इमाम मिम्बर पर बैठे और उसके सामने मुअज़्ज़िन अज़ान कहे, और जब अज़ान हो चुके तो इमाम नमाज़ियों की तरफ़ मुंह करके खड़ा हो और ख़ुत्बा पढ़े, पहला ख़ुत्बा पढ़कर थोड़ी देर बैठ जाये फिर खड़ा होकर दूसरा ख़ुत्बा पढ़े, जब दूसरा ख़ुत्बा ख़त्म हो तो इमाम मिम्बर से उतर कर मेहराब के सामने खड़ा हो जाये और मुअज़्ज़िन तक्बीर कहे फिर मुक़तदी खड़े होकर इमाम के साथ नमाज़ पढ़ें।

सवाल :- ख़ुत्बे की अज़ान किस जगह होनी

चाहिये?

जवाब :- ख़तीब के सामने होनी चाहिये। चाहे मिम्बर के पास हो या एक-दो सफ़ों के बाद या सारी सफ़ों के बाद, मस्जिद में हो या बाहर, हर तरह जाइज़ है।

सवाल :- ख़ुत्बा उर्दू ज़ुबान में पढ़ना या उर्दू के शेर ख़ुत्बे में पढ़ना कैसा है?

जवाब :- अरबी ज़ुबान के सिवा हर ज़ुबान में ख़ुत्बा मकरूह है। लेकिन ख़ुत्बे का फ़र्ज़ अदा हो जाता है, अगर्चे सवाब में नुक़सान आ जाता है।

सवाल :- ख़ुत्बा होते वक़्त क्या-क्या काम नाजाइज़ हैं?

जवाब :- (1) बातें करना (2) सुन्नत या नफ़िल नमाज़ शुरू करना (3) खाना (4) पीना (5) किसी बात का जवाब देना (6) क़ुरआन मजीद वग़ैरह पढ़ना- मतलब यह कि जो काम ख़ुत्बा सुनने में नुक़सान पैदा करें सब मकरूह हैं, और जिस वक़्त से कि इमाम ख़ुत्बा पढ़ने के इरादे से चले उसी वक़्त से ये सब बातें मकरूह हैं।

सवाल :- जुमे की नमाज़ के लिये जमाअत शर्त होने से क्या मतलब है?

जवाब :- जुमे की नमाज़ में इमाम के सिवा कम से कम तीन आदमी होने ज़रूरी हैं। अगर तीन आदमी न होंगे तो जुमा की नमाज़ सही न होगी।

सवाल :- इज़ने आम से क्या मतलब है?

जवाब :- इज़न के माने इजाज़त के हैं। इज़ने-आम से मतलब यह है कि सब को इजाज़त हो, जो चाहे आकर नमाज़ में शरीक हो सके। ऐसी जगह जुमा की नमाज़ सही नहीं होती कि वहाँ ख़ास लोग आ सकते हों और हर आदमी को आने की इजाज़त न हो।

सवाल :- जुमे की फ़र्ज़ नमाज़ की कितनी रकअतें हैं?

जवाब :- दो रकअतें हैं, चाहे शुरू नमाज़ से शरीक हो चाहे एक रकअत या आख़िरी क़अदे में शरीक हो, दो रकअतें ही पूरी कर ले।

दोनों ईदों की नमाज़ का बयान

सवाल :- ईद के दिन क्या-क्या काम सुन्नत या मुस्तहब हैं?

जवाब :- (1) गुस्ल और मिस्वाक करना (2) अपने लिबास में से अच्छा लिबास पहनना (3) ख़ुशबू लगाना (4) ईदुल फ़ितर में जाने से पहले

खजूरें या कोई मीठी चीज़ खाना। (5) सदक़ा-फ़ितर अदा करके जाना। (6) ईदुल अज़्हा में नमाज़ के बाद आकर अपनी क़ुरबानी का गोश्त खाना (7) ईदगाह में ईद की नमाज़ पढ़ना (8) पैदल जाना (9) एक रास्ते से जाना और दूसरे से वापस आना (10) ईद की नमाज़ से पहले घर में या ईदगाह में नफ़िल नमाज़ न पढ़ना और (11) ईद की नमाज़ के बाद ईदगाह में नफ़िल न पढ़ना।

सवाल :- ईदुल-फ़ितर को जाते हुए रास्ते में तक्बीर कहना कैसा है?

जवाब :- ईदुल फ़ितर में अगर धीरे-धीरे तकबीर कहता हुआ जाये तो हर्ज नहीं और ईदुल अज़्हा में ज़ोर से तक्बीर कहते हुए जाना मुस्तहब है।

सवाल :- ईद की नमाज़ वाजिब है या सुन्नत?

जवाब :- दोनों ईदों की नमाज़ें वाजिब हैं और जिन लोगों पर जुमे की नमाज़ फ़र्ज़ हैं उन्हीं पर ईद की नमाज़ वाजिब है और जो शर्तें जुमे की नमाज़ की हैं वही ईद की नमाज़ की हैं मगर ईदों की नमाज़ का वक़्त सूरज ढलने से पहले ख़त्म हो जाता है और ईद का ख़ुत्बा न तो फ़र्ज़ है और न नमाज़

से पहले है बल्कि नमाज़ के बाद ख़ुत्बा पढ़ना सुन्नत है।

सवाल :- ईदों की नमाज़ों की कितनी रकअतें हैं और किस तरकीब से पढ़ी जाती हैं?

जवाब :- दोनों ईदों की नमाज़ में दो रकअत है। इन दोनों नमाज़ों के लिये अज़ान और तक्बीर नहीं। पहले नीयत इस तरह करें कि मैं ईदुल फ़ितर या ईदुल अज़्हा की वाजिब नमाज़ छः ज़्यादा तक्बीरों के साथ इस इमाम के पीछे पढ़ता हूं फिर तक्बीर तहरीमा कह कर हाथ बांध लें और 'सना' पढ़ें। फिर दोनों हाथ कानों तक उठाते हुए 'अल्लाहु अक्बर' कहकर दोनों हाथ छोड़ दें, फिर दूसरी बार हाथ कानों तक उठाकर 'अल्लाहु अक्बर' कहें और हाथ छोड़ दें, फिर तीसरी बार हाथ कानों तक उठाकर 'अल्लाहु अक्बर' कहें और हाथ बांध लें। फिर इमाम 'तअव्वुज़' 'तस्मिया', सूरत फ़ातिहा, सूरत पढ़कर रुकू करे। दूसरी रकअत के लिये जब खड़े हों तो इमाम पहले 'क़िरअत' करे, 'क़िरअत' से निपटकर कानों तक हाथ उठाकर तक्बीर कहें और हाथ छोड़ दें, फिर कानों तक हाथ उठाकर दूसरी तक्बीर कहें और हाथ छोड़ दें, फिर कानों

तक हाथ उठाकर तीसरी तक्बीर कहें और हाथ छोड़ दें, फिर हाथ उठाये बिना चौथी तक्बीर कह कर रुकू में जायें और क़ायदे के मुवाफ़िक़ नमाज़ पूरी करें।

फिर इमाम खड़े होकर ख़ुत्बा पढ़े और सब लोग चुप-चाप बैठ कर सुनें। ईदों में भी जुमा की तरह दो ख़ुत्बे हैं और दोनों के बीच बैठना सुन्नत है।

सवाल :- ईदुल अज़हा के ख़ास हुक्म क्या हैं?

जवाब :- रास्ते में ज़ोर से तक्बीर कहते हुए जाना, नमाज़ से पहले कुछ न खाना, तक्बीराते तशरीक़ वाजिब होना।

सवाल :- तक्बीराते तशरीक़ से क्या मतलब है?

जवाब :- तशरीक़ के दिनों में फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद तक्बीरें कही जाती हैं, उन्हें तक्बीराते तशरीक़ कहते हैं।

सवाल :- तशरीक़ के दिन कौन से हैं?

जवाब :- तशरीक़ के दिन तीन हैं। ज़िलहिज्ज के महीने की ग्यारहवीं बारहवीं तेरहवी तारीख़ों को तशरीक़ के दिन कहते हैं?

सवाल :- तक्बीराते तशरीक़ कब से कब तक वाजिब हैं?

जवाब :- अरफ़े का दिन, नहर का दिन और तीन दिन तशरीक़ के दिनों के कुल पांच दिन कही जाती है।

अरफ़े का दिन ज़िलहिज्ज की नवीं तारीख़ को और नहर का दिन दसवीं तारीख़ को कहते हैं। नवीं तारीख़ को फ़ज्र की नमाज़ के बाद से तकबीर शुरू होती है और फिर हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद तेहरवीं तारीख़ की अस्र तक तक्बीर कहना वाजिब है। फ़र्ज़ का सलाम फेरते ही आवाज़ से तक्बीर कहना चाहिए। लेकिन औरतें आवाज़ से न कहें अगर इमाम भूल जाए जब भी मुक़तदी ज़रूर कहे?

सवाल :- तक्बीर तशरीक़ क्या है और कितनी बार पढ़नी वाजिब है?

जवाब :- तक्बीर तशरीक़ यह है:-

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

"अल्लाहु अक्बर अल्लाहु अक्बर ला इला ह इल्लल्लाहु वल्लाहु अक्बर अल्लाहु अक्बर व

लिल्लाहिल हम्द" और इसे हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद एक बार पढ़ना वाजिब है।

जनाज़े की नमाज़ का बयान

सवाल :- मैयत की नमाज़ फ़र्ज़ है या वाजिब या सुन्नत?

जवाब :- मैयत की नमाज़ फ़र्ज़ किफ़ाया है। अगर एक-दो आदमी भी पढ़ लें तो सब के ज़िम्मे से फ़र्ज़ उतर जायेगा और किसी ने भी नहीं पढ़ी तो सब गुनहगार होंगे।

सवाल :- जनाज़े की नमाज़ की कितनी शर्तें हैं?

जवाब :- पहले मैयत का मुसलमान होना, दूसरे मैयत का पाक होना, तीसरे उसके कफ़न का पाक होना, चौथे सतर का ढका हुआ होना पांचवें मैयत का नमाज़ पढ़ने वाले के सामने रखा हुआ होना।

ये शर्तें तो मैयत के बारे में थीं और नमाज़ पढ़ने वाले के लिये सिवाये वक़्त के बाक़ी वही

सारी शर्तें हैं जो नमाज़ की शर्तों में तुम पढ़ चुके हो।

सवाल :- जनाज़े की नमाज़ की पूरी तरकीब क्या है?

जवाब :- पहले नमाज़ के लिये सफ़ बांधकर खड़े हों, और आदमी ज़्यादा हों तो तीन या पांच या सात सफ़ें बनाना ज़्यादा अच्छा है, जब सफ़ें ठीक हो जायें तो जनाज़े की नमाज़ की नीयत इस तरह करो कि मैं ख़ुदा के लिय इस जनाज़े की नमाज़ इस मैयत की मग़फ़िरत की दुआ के लिये इस इमाम के पीछे पढ़ता हूं। फिर इमाम ज़ोर से और मुक़तदी धीरे से तक्बीर कहें, और दोनों हाथ कानों तक उठा कर नाफ़ के नीचे बांध लें और इमाम और मुक़तदी सब चुपके-चुपके 'सना पढ़ें, सना में "तआला जद्दु क" के बाद "वजल-ल सनाउ-क" भी कह लें तो ज़्यादा अच्छा है, फिर इमाम जोर से और मुक़तदी चुपके से हाथ उठाये बिना दूसरी तक्बीर कहे और दोनों दरूद जो नमाज़ के आख़िरी क़अदा में पढ़े जाते हैं इमाम और मुक़तदी सब चुपके-चुपके पढ़ें फिर दूसरी तक्बीर की तरह तीसरी तक्बीर कहें और अगर

जनाज़ा बालिग़ मर्द या औरत का हो तो इमाम और मुक़तदी चुपके-चुपके यह अरबी दुआ पढ़ें:-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا
وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ
عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ ۔

"अल्लाहुम-मग़्फ़िर लि-हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व ग़ाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़-करिना व उनसाना अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फै-तहू मिन्ना फ-त-वफ़-फ़हू अलल ईमान"

मतलब:- ऐ अल्लाह हमारे ज़िन्दों और मुर्दों और जो यहां हैं और जो यहां मौजूद नहीं और छोटों और बड़ों और मर्दों और औरतों को बख़्श दे। ऐ ख़ुदा हम में जिसे तू ज़िन्दा रख इस्लाम पर ज़िन्दा रख और जिसे मौत दे उसे ईमान पर मौत दे।

और अगर जनाज़ा नाबालिग़ लड़के का हो तो यह दुआ पढ़ें:-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ
لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا

"अल्लाहुम्मज अलहु लनाफ-फ़रतंव वजअल हु लना अजरों व ज़ुख़ुरों वजअलहु लना शाफ़िअंव व

मुशफ़ फ़आ।"

मतलब :- ऐ अल्लाह इस बच्चे को हमारी निजात के लिये आगे जाने वाला बना और इसकी जुदाई की मुसीबत को हमारे लिए अज्र और ज़ख़ीरा बना और इसको हमारे गुनाहों को बख़्शवाने वाला और शफ़ाअत क़ुबूल किया गया बना।

और अगर जनाज़ा नाबालिग़ लड़की का हो तो उस पर भी यही दुआ पढ़ें लेकिन तीन जगह इतना फ़र्क़ कर लें कि तीनों जगह 'वजअल हू' के बदले 'वजअल हा' और 'शाफिअंव व मुशफ़ फ़आ" के बदले 'शाफ़िअतवं व मुशफ़ फ़ आ" पढ़ें। यह सिर्फ़ लफ्ज़ों का फ़र्क़ है माने वही रहेंगे।

इसके बाद इमाम ज़ोर से और मुक़्दी चुपके से चौथी तक्बीर कहें और फिर इमाम ज़ोर से और मुक़तदी चुपके से पहले दांईं तरफ फिर बांईं तरफ़ सलाम फेरें।

सवाल :- जनाज़े की नमाज़ से फ़ारिग़ होकर क्या करें?

जवाब :- जनाज़े की नमाज़ से निपटते ही जनाज़े को उठाकर ले चलें। चलते वक़्त अगर कलिमा शरीफ़ पढ़ें तो दिल में पढ़ें। आवाज़ से

पढ़ना मकरूह है। मैयत की पहली मंजिल यानी क़ब्र और हिसाब-किताब और दुनिया की बे एतबारी का ध्यान करें और मैयत के लिए गुनाहों की मुआफ़ी और आसानी की दुआ करते रहें फिर क़ब्रिस्तान में पहुंचकर मैयत को दफ़्न कर दें।

इस्लामी फ़र्ज़ों में से रोज़े का बयान

सवाल :- रोज़ा किसे कहते हैं?

जवाब :- सुबह सादिक़ से सूरज छुपने तक नीयत करके खाने-पीने और नफ़्सानी ख़्वाहिश पूरी करने को छोड़ देने का नाम रोज़ा है।

रोज़े को सौम, सियाम और रोज़ा खोलने को अफ़्तार कहते हैं।

सवाल :- रोज़े की कितनी क़िस्में हैं?

जवाब :- रोज़े की आठ किस्में हैं :-

(1) फ़र्ज़े मुऐयन (2) फ़र्ज़े ग़ैर मुऐयन (3) वाजिब मुऐयन (4) वाजिब ग़ैर मुऐयन (5) सुन्नत (6) नफ़िल (7) मकरूह (8) हराम।

सवाल :- फ़र्ज़ मुऐयन कौन से रोज़े है?

जवाब :- साल भर में एक महीना यानी रमज़ान शरीफ़ के रोज़े फ़र्ज़े मुऐयन हैं।

सवाल :- फ़र्ज़े ग़ैर मुऐयन कौन से रोज़े हैं?

जवाब : अगर किसी मजबूरी की वजह से या बिना मजबूरी रमज़ान शरीफ़ के रोज़े छूट जायें तो उनकी कज़ा के रोज़े फ़र्ज़ ग़ैर मुऐयन हैं।

सवाल : वाजिब मुऐयन कौन से रोज़े हैं?

जवाब : नज़र मुऐयन यानी किसी ख़ास दिन या खास तारीख़ों के रोज़े रखने की मन्नत मानने से उस दिन या उन तारीख़ों के रोज़े वाजिब हो जाते हैं, जैसे किसी ने मन्नत मानी कि अगर मैं इमतिहान में पास हो गया तो खुदा के लिये रजब के महीने की पहली तारीख़ को रोज़ा रखूंगा।

सवाल : वाजिब ग़ैर-मुएयन कौन से रोज़े हैं?

जवाब : कफ़्फ़ारों के रोज़े और नज़र ग़ैर मुऐयन के रोज़े, वाजिब ग़ैर-मुऐयन हैं। जैसे किसी ने मन्नत मानी कि अगर मैं अव्वल नम्बर पास हुआ तो खुदा के लिए तीन रोज़े रखूंगा।

सवाल : कौन से रोज़े सुन्नत हैं?

जवाब : रोज़ों में सुन्नत मुअक्किदा कोई रोज़ा नहीं लेकिन जिन दिनों के रोज़े हुज़ूर रसूल करीम सलअम से रखने या उनकी तर्ग़ीब देनी

साबित है उन्हें सुन्नत कहते हैं, जैसे (1) आशूरे के दो रोज़े यानी मुहर्रम की नवीं और दसवीं तारीख़ के रोज़(आशूरा मुहर्रम की दसवीं तारीख़ का नाम है) और (2) अरफ़ा यानी ज़िलहिज की नवीं तारीख़ का रोज़ा और बीच के दिनों यानी हर महीने की तेरहवीं, चौदहवीं, पन्द्रहवीं तारीख़ों के रोज़े।

सवाल : मुस्तहब कौन से रोज़े हैं?

जवाब : फ़र्ज़, वाजिब और सुन्नत रोज़ों के बाद सब रोज़े मुस्तहब हैं। लेकिन कुछ रोज़े ऐसे हैं कि उनमें सवाब ज़्यादा हैं जैसे (1) शव्वाल के महीने के छः रोज़े (2) शाबान के महीने की पन्द्रहवीं तारीख़ का रोज़ा, (3) जुमे के दिन का रोज़ा, (4) पीर के दिन का रोज़ा, (5) जुमेरात के दिन का रोज़ा।

सवाल : मकरूह कौन से रोज़े हैं?

जवाब : (1) सिर्फ़ सनीचर के दिन का रोज़ा (2)सिर्फ़ आशूरे यानी दसवीं तारीख़ का रोज़ा (3) नवरोज़ के दिन का रोज़ा (4) औरत को शोहर की इजाज़त के बिना नफ़ली रोज़ा रखना।

सवाल : कौन से रोज़े हराम हैं?

जवाब : साल भर में पाँच रोज़े हराम हैं:- ईदुलफ़ितर और ईदुल अज़हा के दो रोज़े, तशरीक़ के

दिनों के तीन रोज़े तशरीक़ के दिन ज़िलहिज की ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं तारीख़ों को कहते हैं।

रमज़ान शरीफ़ के रोज़ों का बयान

सवाल : रमज़ान शरीफ़ के रोज़ों की क्या फ़ज़ीलत है?

जवाब : रमज़ान शरीफ़ के रोज़ों का बहुत बड़ा सवाब है। और बहुत सी फ़ज़ीलतें हदीस शरीफ़ में आई हैं जैसे- हुज़ूर रसूल करीम सलअम ने फ़रमाया है कि "जो आदमी सिर्फ़ ख़ुदा तआला की ख़ुशी के लिये रमज़ान शरीफ़ के रोज़े रखे तो उसके पिछले सब गुनाह मआफ़ हो जाएगे।" दूसरी हदीस में हुज़ूर सलअम ने फ़रमाया कि "रोज़ेदार के मुँह की भभक अल्लाह तआला के नज़दीक मुशक की ख़ुशबू से भी ज़्यादा अच्छी है।" तीसरी हदीस में है कि अल्लाह तआला फ़रमाता है "कि रोज़ा ख़ास मेरे लिए है और मैं ख़ुद उसका बदला दूंगा।" इसी तरह और भी बहुत सी फ़ज़ीलतें हदीसों में आई हैं।

सवाल : रमज़ान शरीफ़ के रोज़े किन लोगों पर फ़र्ज़ हैं?

जवाब : हर मुसलमान अक्ल रखने वाला, बालिग़ मर्द, औरत पर फ़र्ज़ हैं। उनके फ़र्ज़ होने का न मानने वाला काफ़िर और बिना मजबूरी छोड़ने

वाला बड़ा गुनहगार और फ़ासिक़ है।

अगरचे नाबालिग़ पर नमाज़, रोज़ा फ़र्ज़ नहीं लेकिन आदत डालने के लिए बालिग़ होने से पहले ही रोज़ा रखवाने और नमाज़ पढ़वाने का हुक्म है। हदीस शरीफ़ में आया है कि जब बच्चा सात साल का हो जाये तो नमाज़ का उसे हुक्म करो और जब दस साल का हो जाये तो उसे नमाज़ के लिये (अगर ज़रूरत हो तो) मारना भी चाहिये। इसी तरह जब रोज़ा रखने की ताक़त हो जाये तो जितने रोज़े रख सकता हो उतने रोज़े रखवाने चाहियें।

सवाल :- वे कौन सी मजबूरियां हैं जिनसे रोज़ा न रखना जाइज़ हो जाता है?

जवाब :- (1) सफ़र, यानी मुसाफ़िर को सफ़र की हालत में रोज़ा न रखना जाइज़ है। लेकिन अगर सफ़र में परेशानी न हो तो रोज़ा रखना ज़्यादा अच्छा है। (2) मर्ज़-यानी ऐसी बीमारी जिसमें रोज़ा रखने की ताक़त न हो, या बीमारी के बढ़ जाने का डर हो (3) बहुत बूढ़ा होना (4) हामिला जबकि औरत को या हमल को रोज़े से नुक़सान पहुंचने का पक्का यक़ीन हो (5) दूध पिलाना - जबकि दूध पिलाने

वाली को या बच्चे को रोज़े से नुक़सान पहुंचता हो, (6) रोज़े से इतनी भूख या प्यास का ज़ोर हो कि जान निकल जाने का डर हो जाये और (7) हैज़ और निफ़ास की हालतों में रोज़ा जाइज़ नहीं।

चाँद देखने और गवाही देने का बयान

सवाल :- रमज़ान शरीफ़ का चाँद देखने का क्या हुक्म है?

जवाब : शाबान की उनतीस्वीं तारीख को रमज़ान शरीफ़ का चांद देखना यानी देखने की कोशिश करना और मत्ला पर ढूंढना वाजिब है, और रजब की उन्तीसवीं तारीख को शाबान का चांद देखना मुस्तहब है ताकि शाबान की उन्तीस्वीं तारीख़ का हिसाब ठीक मालूम रहे। अगर शाबान की उनतीस्वीं तारीख़ को रमज़ान शरीफ़ का चांद देख लिया जाये तो सुबह को रोज़ा रखो और चांद नज़र न आये और मत्ला साफ़ था तो सुबह को रोज़ा न रखो और अगर मत्ला पर बादल या ग़ुबार था तो सुबह को दस ग्यारह बजे तक कुछ खाना पीना नहीं

चाहिये। अगर उस वक़्त तक कहीं से चांद देखे जाने की ख़बर मोतबर तरीक़े से आ जाये तो रोज़े की नीयत कर लो और नहीं, तो अब खाओ पियो लेकिन उन्तीस शाबान को चांद न होने की सूरत में सुबह के रोज़े की इस तरह नीयत करना कि चांद हो गया होगा तो रमज़ान का रोज़ा, नहीं तो नफ़िल का हो जायेगा, मकरूह है।

सवाल :- रमज़ान शरीफ़ के चांद के लिये मोतबर गवाही क्या है?

जवाब :- अगर आस्मान साफ़ न हो जैसे बादल या धूल वग़ैरह हो तो रमज़ान शरीफ़ के चांद के लिये एक दीनदार, परहेज़गार, सच्चे आदमी की गवाही यक़ीन के क़ाबिल है चाहे मर्द हो या औरत, आज़ाद हो या ग़ुलाम, इसी तरह जिस आदमी का फ़ासिक़ होना ज़ाहिर नहीं और देखने में दीनदार परहेज़गार मालूम होता हो, उसकी गवाही भी यक़ीन के क़ाबिल है।

सवाल: ईद के चांद के लिये यक़ीन के क़ाबिल गवाही क्या है?

जवाब :- आसमान साफ़ न होने की सूरत में ईदुल फ़ितर और ईदुल अज़हा के चांद के लिये दो

परहेज़गार सच्चे मर्दों या इसी तरह के एक मर्द और दो औरतों की गवाही शर्त है।

सवाल :- अगर आसमान साफ़ हो तो फिर कितने आदमियों की गवाही यक़ीन के क़ाबिल होगी?

जवाब :- अगर मतला साफ़ हो तो रमज़ान शरीफ़ और दोनों ईदों के चांद के लिये कम से कम इतने आदमियों की गवाही ज़रूरी है कि उतने आदमियों के झूठ बोलने और बनावटी बात कहने का दिल को यक़ीन न हो सके, बल्कि उनकी गवाही से दिल को चांद देखे जाने का यक़ीन हो जाये।

सवाल :- अगर किसी दूर के शहर से चांद देखने की ख़बर आये तो यक़ीन के क़ाबिल होगी या नहीं?

जवाब :- चाहे कितनी ही दूर से ख़बर आये यक़ीन के क़ाबिल है। जैसे बर्मा वालों ने चांद नहीं देखा और किसी बंबई के आदमी ने उनके सामने चांद देखने की गवाही दी तो उन पर एक रोज़े की कज़ा लाज़िम होगी। हां शर्त यह है कि ख़बर ऐसे तरीक़े से आये जिसका शरीअत में एतबार है, तार की ख़बर यक़ीन के क़ाबिल नहीं।

सवाल :- अगर किसी आदमी ने रमज़ान का

चाँद देखा और उसकी गवाही क़बूल नहीं की गई और उसके सिवा और किसी ने चाँद नहीं देखा न रोज़े रखे गये तो उस आदमी पर रोज़ा फ़र्ज़ है या नहीं?

जवाब : हाँ- उस पर रोज़ा रखना वाजिब है और अगर उसके हिसाब से तीस रोज़े पूरे हो जायें और ईद का चाँद न देखा जाये तो यह आदमी दूसरे लोगों के साथ इकत्तीस्वाँ रोज़ा भी रखे।

नीयत का बयान

सवाल : क्या रोज़े के लिये नीयत करना ज़रूरी है?

जवाब : हाँ रोज़े के लिये नीयत करना शर्त है अगर इत्तिफ़ाक़ी तौर पर सुबह सादिक़ से सूरज छुपने तक खाने पीने और सुहबत से बचा रहा लेकिन रोज़े की नीयत नहीं थी तो रोज़ा न होगा।

सवाल : नीयत किस वक़्त करनी ज़रूरी है?

जवाब : रमज़ान शरीफ़ और नज़रे-मुऐयन और सुन्नत और नफ़िल रोज़ों की नियत रात से करे या सुबह को आधे दिन से पहले-पहले तक जाइज़ है। दिन से मतलब शरीअत के मुताबिक़ दिन

है जो सुबह सादिक़ से सूरज छुपने तक का नाम है, जैसे अगर चार बजे सुबह सादिक़ हो और छः बजे सूरज छुपे तो शरीअत का दिन चौदह (14) घंटे का हुआ और आधा दिन ग्यारह (11) बजे हुआ तो ग्यारह बजे से पहले-पहले नीयत कर लेनी ज़रूरी है।

और रमज़ान के क़ज़ा रोज़ों की और कफ़्फ़ारे और नज़रे गै़र मुऐयन की नीयत सुबह सादिक़ से पहले कर लेनी ज़रूरी है।

सवाल :- नीयत किस तरह करनी चाहिये?

जवाब :- रमज़ान शरीफ़ और नज़रे मुऐयन और सुन्नत और नफ़िल रोज़ों की नीयत मे तो चाहे ख़ास उन रोज़ों का इरादे करे या सिर्फ़ यह इरादा कर ले कि रोज़ा रखता हूं या नफ़िल रोज़े की नीयत करे। रमज़ान शरीफ़ में रमज़ान का रोज़ा, और नज़र मुऐयन के दिन का रोज़ा और बाक़ी दिनों मे सुन्नत या नफ़िल का रोज़ा हो जायेगा और नज़र गै़र मुऐयन और कफ़्फ़ारों और रमज़ान के क़ज़ा रोज़ों की नीयत में ख़ास उन रोज़ों का इरादा करना ज़रूरी है।

सवाल :- नीयत ज़बान से करना ज़रूरी है या

नहीं?

जवाब : नीयत क़स्द और इरादा करने को कहते हैं। दिल से इरादा कर लेना काफ़ी है। ज़बान से कह ले तो ज़्यादा अच्छा है। न कहने में कुछ हर्ज नहीं।

रोज़े की मुस्तहब बातें

सवाल : रोज़े में क्या-क्या बातें मुस्तहब हैं?

जवाब : (1) सहरी खाना (2) रात से नीयत करना (3) सहरी आख़िरी वक़्त में खाना लेकिन शर्त यह है कि सुबह सादिक़ से पहले यक़ीनन निपट जाये (4) इफ़्तार में जल्दी करना, जबकि सूरज के न छिपने का शक न रहे, (5) ग़ीबत, झूठ, गाली गलोज वग़ैरा बुरी बातों से बचना, (6) छुहारे या खजूर से और ये न हों, तो पानी से इफ़्तार करना।

सवाल : सहरी किसे कहते हैं और उसका वक़्त क्या है?

जवाब : सहरी आख़िरी रात में सुबह सादिक़ से पहले कुछ खाने-पीने को कहते हैं। रात का

आख़िरी हिस्सा सुबह सादिक़ से पहले-पहले उसका वक़्त है। सहरी खाना सुन्नत है और इसका बहुत सवाब है। भूख न हो तो एक-दो निवाले ही खा लेने चाहियें।

रोज़े की मकरूह बातें

सवाल :- रोज़े में क्या-क्या बातें मकरूह हैं?

जवाब :- (1) गोंद चबाना या कोई और चीज़ मुंह में डाले रखना (2) कोई चीज़ चखना, हां जिस औरत का शोहर सख़्त और बदमिज़ाज हो उसे ज़बान की नोक से सालन का नमक चख लेना जाइज़ है (3) इस्तन्जे में ज़्यादा पांव फैलाकर बैठना और कुल्ली या नाक में पानी डालने में ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना (4) मुंह में बहुत सा थूक जमा करके निगलना (5) ग़ीबत करना, झूठ बोलना, गाली-गलोच करना (6) बेचैनी और घबराहट ज़ाहिर करना (7) नहाने की ज़रूरत हो जाय तो नहाने को जानबूझकर सुबह सादिक़ के बाद तक टालना (8) कोयला चबाकर या मंजन से दांत मांझना।

सवाल :- किन चीज़ों से रोज़ा मकरूह नहीं होता?

जवाब :- (1) सुर्मा लगाना (2) बदन पर तेल मलना या सिर में तेल डालना (3) ठंडक के लिये नहाना (4) मिस्वाक करना, चाहे ताज़ी जड़ या तर शाखा की हो (5) खुश्बू लगाना या सूंघना (6) भूले से कुछ खा पी लेना (7) ख़ुद बख़ुद बिना इरादा के कै़ हो जाना (8) अपना थूक निगलना (9) बिना इरादे मक्खी या धुएं का हलक़ से उतर जाना, इन सब बातों से रोज़ा न टूटता है न मकरूह होता है।

रोज़े को तोड़ने वाली बातें

सवाल :- मुफ़सिदात से क्या मतलब है?

जवाब :- मुफ़सिदात उन बातों को कहते हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है। और मुफ़सिदात की दो क़िस्में हैं एक वह जिनसे सिर्फ़ क़ज़ा वाजिब होती है और दूसरी वह जिनसे क़ज़ा और कफ़्फ़ारा दोनों वाजिब होते हैं।

सवाल :- जिन रोज़ा तोड़ने वाली बातों से सिर्फ़ क़ज़ा वाजिब होती है वे क्या-क्या हैं।

जवाब :- (1) किसी ने ज़बरदस्ती रोज़ेदार के मुंह में कोई चीज़ डाल दी और वह हलक़ से उतर

गई (2) रोज़ा याद था और कुल्ली करते वक़्त बिना इरादे के हलक़ में पानी उतर गया (3) कै आई और जान-बूझकर हलक़ में लौटा ली (4) इरादा करके मुँह भर के कै कर डाली (5) कंकरी या पत्थर का टुकड़ा या गुठली या मिट्टी या कागज़ का टुकड़ा जान-बूझकर निगल लिया (6) दांतों में रही हुई चीज़ को ज़बान से निकालना जबकि वह चने के दाने के बारबर या उससे ज़्यादा हो अगर मुंह से बाहर निकालकर फिर निगल गया तो चाहे चने से कम हो या ज़्यादा, रोज़ा टूट गया। (7) कान में तेल डाला (8) नास लिया (9) दांतों में से निकले हुए ख़ून को निगल लिया जबकि ख़ून थूक से ज़्यादा हो (10) भूले से कुछ खा पी लिया और यह समझकर कि रोज़ा टूट गया फिर जान-बूझकर खाया-पिया (11) यह समझकर कि अभी सुबह सादिक़ नहीं हुई सहरी खाली, फिर मालूम हुआ कि सुबह हो चुकी थी। (12) रमज़ान शरीफ़ के सिवा दूसरे दिनों में कोई रोज़ा जान-बूझकर तोड़ डाला (13) बादल या आंध ी, धूल की वजह से यह समझकर कि सूरज छिप गया, रोज़ा इफ़्तार कर लिया, हालांकि अभी दिन बाक़ी था। इन सब सूरतों में सिर्फ़ उन रोज़ों की

कज़ा रखनी पड़ेगी जिनमें इन बातों में से कोई बात पेश आई है।

सवाल :- किन सूरतों मे कज़ा और कफ़्फ़ारा दोनों वाजिब होते हैं?

जवाब :- रमज़ान शरीफ़ के महीने में रोज़ा रखकर (1) ऐसी चीज़ जो ख़ुराक़ या दवा या मज़े के लिये इस्तेमाल की जाती है जान-बूझकर खा पी ली (2) जान-बूझकर सुहबत कर ली (3) फ़स्द खुलवाई या सुरमा लगाया और फिर यह समझकर कि रोज़ा टूट गया इरादा करके खा पी लिया तो इन सूरतों में कज़ा और कफ़्फ़ारा दोनों वाजिब हैं।

सवाल :- रमज़ान शरीफ़ के महीने में अगर किसी का रोज़ा टूट जाये तो फिर उसे खाना पीना जाइज़ है या नहीं?

जवाब :- नहीं- बल्कि उसके लिये ज़रूरी है कि शाम तक खाने-पीने वग़ैरह से रुका रहे। इसी तरह अगर मुसाफ़िर दिन में अपने घर आ जाये या ना बालिग़ लड़का बालिग़ हो जाये या माहवारी-निफ़ास वाली औरत पाक हो जाये या दीवाना तन्दरुस्त हो जाये तो उन लोगों को भी बाक़ी दिन में शाम तक रोज़ेदारों की तरह रहना वाजिब है।

सवाल :- रमज़ान शरीफ़ के सिवा और किसी रोज़े के तोड़ने से कफ़्फ़ारा वाजिब होता है या नहीं?

जवाब :- कफ़्फ़ारा सिर्फ़ रमज़ान शरीफ़ के महीने में फ़र्ज़ रोज़ा तोड़ने से वाजिब होता है। रमज़ान शरीफ़ के सिवा और किसी रोज़े के तोड़ने से, चाहे वह रमज़ान की क़ज़ा के रोज़े हों, कफ़्फ़ारा वाजिब नहीं होता।

रोज़े की क़ज़ा का बयान

सवाल :- रोज़े की क़ज़ा वाजिब होने की कितनी सूरतें हैं।

जवाब :- (1) बिना किसी मजबूरी के फ़र्ज़ या वाजिब मुऐयन के रोज़े नहीं रखे (2) किसी मजबूरी की वजह से कुछ रोज़े छूट गये (3) रोज़ा रखकर किसी वजह से तोड़ दिया या टूट गया तो इन रोज़ों की क़ज़ा रखना फ़र्ज़ है।

सवाल :- क़ज़ा कब रखनी चाहिये?

जवाब :- जब वक़्त मिले तो जितनी जल्दी रख सके रख लेना ज़्यादा अच्छा है। बिना किसी वजह के देर करना बुरी बात है।

सवाल :- क़ज़ा रोज़े लगातार रखना ज़रूरी है या नहीं?

जवाब :- चाहे लगातार रखे, चाहे बीच में फ़ास्ला करके दोनों तरह जाइज़ है।

सवाल :- अगर पहले रमज़ान के रोज़े अभी क़ज़ा रखने बाक़ी थे कि दूसरा रमज़ान आ गया तो क्या करे?

जवाब :- अब इस रमज़ान के रोज़े रखे और रमज़ान के बाद पहले रोज़ों की क़ज़ा रखे।

सवाल :- नफ़ली रोज़े रखकर तोड़ दे तो क्या हुक्म है?

जवाब :- उसकी क़ज़ा रखना वाजिब है क्योंकि नफ़ली नमाज़ और नफ़ली रोज़ा शुरू करने के बाद वाजिब हो जाते हैं।

सवाल :- अगर क़ज़ा रोज़े रखने की ताक़त न हो तो क्या करे?

जवाब :- अगर इतना बूढ़ा हो गया है कि रोज़ा नहीं रख सकता और आगे के लिये ताक़त आने की उम्मीद नहीं रही, या ऐसा बीमार है कि सेहत पाने की उम्मीद जाती रही तो इन सूरतों में रोज़ों का फ़िदया देना जाइज़ है।

सवाल :- रोज़ों का फ़िदया क्या है?

जवाब :- हर एक रोज़े के बदले पौने दो सेर

गेहूं या साढ़े तीन सेर जौ या इनमें से किसी की क़ीमत या क़ीमत के बराबर कोई और अनाज जैसे चावल, बाजरा, ज्वार वग़ैरह।

और हर फ़र्ज़ और वाजिब नमाज़ के फ़िदये की भी यही मिक़दार है। मगर नमाज़ जब तक सिर के इशारे से भी पढ़ सकता हो, उस वक़्त तक तो इशारे से नमाज़ अदा करना फ़र्ज़ है और जब इशारा भी न कर सके और इसी हाल में मर जाये या छः नमाज़ों का वक़्त गुज़र जाये तो इस हालत की नमाज़ फ़र्ज़ नहीं। बस नमाज़ का फ़िदया देने की यही सूरत है कि अगर नमाज़ पढ़ने की ताक़त होने के ज़माने की नमाज़ें क़ज़ा हो गईं और फ़िदया दिये बिना मर गया तो इन नमाज़ों का फ़िदया दिया जा सकता है।

सवाल :- एक आदमी के ज़िम्मे कुछ रोज़े क़ज़ा थे, उसकी मौत हो गई, तो उसकी तरफ़ से कोई आदमी रोज़े रख ले तो जाइज़ है या नहीं?

जवाब :- नहीं - यानी उस मरने वाले के ज़िम्मे से रोज़े न उतरेंगे। हां वारिस फ़िदया दे दें तो जाइज़ है।

कफ़्फ़ारे का बयान

सवाल :- रोज़ा तोड़ने का कफ़्फ़ारा क्या है?

जवाब :- कफ़्फ़ारा यह है कि एक ग़ुलाम आज़ाद करे। लेकिन इन देशों में ग़ुलाम नहीं है इसलिये यहां सिर्फ़ दो तरह से कफ़्फ़ारा दिया जा सकता है। पहले यह कि दो महीने के लगातार रोज़े रखे दूसरे यह कि अगर दो महीने के रोज़े रखने की ताक़त न हो साठ (60) फ़क़ीरों, यानी ऐसे लोग जो ज़रूरतमन्द हैं को दोनों वक़्त पेट भरकर खाना खिला दे या साठ (60) मिस्कीनों को फ़ी आदमी पौने दौ सेर गेहूं या इनकी क़ीमत या क़ीमत के बराबर चावल, बाजरा, ज्वार दे दे (सेर से अंग्रेज़ी रुपये से अस्सी (80) रुपये का वज़न से मतलब है)

सवाल :- साठ (60) मिस्कीनों का अनाज जैसे कि दो मन पच्चीस सेर (2 मन 25 सेर) गेहूं एक मिस्कीन को दे देना जाइज़ है या नहीं?

जवाब :- अगर एक मिस्कीन को हर रोज़ एक दिन का अनाज (पौने दो सेर गेहूं) दिया जाये या उसे साठ दिन तक दोनों वक़्त खाना खिला दिया जाये तो जाइज़ है। लेकन अगर उसे एक दिन में

एक दिन से ज़्यादा का अनाज या क़ीमत दी जाये तो एक दिन का माना जायेगा और एक दिन से जितना ज़्यादा दिया है, उसका कफ़्फ़ारे में शुमार न होगा।

सवाल :- अगर एक मिस्कीन को पौने दो सेर से कम दिया जाये तो जाइज़ है या नहीं?

जवाब :- नहीं, बल्कि कफ़्फ़ारे में एक मिस्कीन को पौने दो सेर गेहूं यानी एक दिन के अनाज की मिक़दार से कम देना या एक दिन में एक दिन की मिक़दार से ज़्यादा देना नाजाइज़ है।

सवाल :- अगर एक रमज़ान के कई रोज़े तोड़ डाले तो क्या हुक्म है?

जवाब :- एक ही कफ़्फ़ारा वाजिब होगा।

एतिकाफ़ का बयान

सवाल :- एतिकाफ़ किसे कहते हैं?

जवाब :- एतिकाफ़ उसे कहते हैं कि आदमी ख़ुदा के घर (यानी मस्जिद) में ठहरे रहने को इबादत समझकर उसकी नीयत से ऐसी मस्जिद में, जिसमें जमाअत होती है ठहरा रहे।

सवाल :- सिर्फ़ मस्जिद में ठहरा रहना क्यों इबादत है?

जवाब : जबकि इन्सान अपना सैर-तमाशा, चलना-फिरना, काम-काज छोड़ कर मस्जिद में ठहरा रहे और इस ठहरने से ख़ुदा तआला की रज़ामन्दी हासिल करनी हो तो उसका इबादत होना ज़ाहिर है।

सवाल : औरत कहाँ एतिकाफ़ करे?

जवाब : अपने घर में जिस जगह नमाज़ पढ़ती हो, एतिकाफ़ की नीयत करके इसी जगह पर हर वक़्त रहा करे। पाख़ाना-पेशाब के सिवा और किसी काम के लिये उस जगह से उठ कर मकान के सहन या किसी दूसरे हिस्से में न जाये और घर में नमाज़ की कोई ख़ास जगह मुक़र्रर न हो तो एतिकाफ़ शुरू करने से पहले ऐसी जगह बनाले और फिर उस जगह एतिकाफ़ करे।

सवाल : एतिकाफ़ के कुछ फ़ायदे बयान करो।

जवाब : एतिकाफ़ में ये फ़ायदे हैं। (1) एतिकाफ़ करने वाला ऐसा है जैसे कि वह अपने सारे बदन और सारे वक़्त को ख़ुदा की इबादत के लिये वक़्फ़ कर देता है। (2) दुनिया के झगड़ों और बहुत से गुनाहों से बचा रहता है। (3) एतिकाफ़ की हालत में उसे हर वक़्त नमाज़ का सवाब मिलता

है क्योंकि एतिकाफ़ से असली मतलब यही है कि एतिकाफ़ करने वाला हर वक़्त नमाज़ और जमाअत के इन्तिज़ार और शौक़ में बैठा रहे (4) एतिकाफ़ की हालत में एतिकाफ़ करने वाला एक तरह से फ़रिश्तों की तरह हो जाता है क्योंकि उनकी तरह हर वक़्त इबादत और ख़ुदा की तारीफ़ और उसकी बड़ाई बयान करने में लगा रहता है (5) मस्जिद चूंकि ख़ुदा तआला का घर है इसलिये एतिकाफ़ में एतिकाफ़ करने वाला ख़ुदा तआला का पड़ोसी बल्कि उसके घर में मेहमान होता है।

सवाल :- एतिकाफ़ की कितनी क़िस्में हैं?

जवाब :- तीन क़िस्में हैं : (1) वाजिब (2) सुन्नत मुअक्किदा (3) मुस्तहब।

सवाल :- वाजिब एतिकाफ़ कौन सा है?

जवाब :- नज़र का एतिकाफ़ वाजिब है। जैसे कि किसी ने मन्नत मानली कि मैं ख़ुदा के लिए तीन दिन का एतिकाफ़ करूंगा या इस तरह कहा कि अगर मेरा फ़लाँ काम हो गया तो ख़ुदा के लिए दो दिन का एतिकाफ़ करूंगा।

सवाल :- सुन्नते मुअक्किदा कौन सा एतिकाफ़ है?

जवाब :- रमज़ान शरीफ़ के आख़िरी अशरा यानी आख़िरी दस दिन का एतिकाफ़ सुन्नते मुअक्किदा है। इसकी इब्तिदा बीस (20) तारीख की शाम यानी सूरज छुपने के वक़्त से होती है। और ईद का चांद देखते ही ख़त्म हो जाता है। चांद चाहे उन्तीस (29) तारीख का हो या तीस (30) का दोनों सूरतों में सुन्नत अदा हो जायेगी। यह एतिकाफ़ 'सुन्नते मुअक्किदा अलल-किफ़ाया' है, यानी कुछ लोगों के कर लेने से सबके ज़िम्मे से अदा हो जाता है।

सवाल :- मुस्तहब कौन सा एतिकाफ़ है?

जवाब :- वाजिब और सुन्नते मुअक्किदा के सिवा सब एतिकाफ़ मुस्तहब हैं और साल के सब दिनों में एतिकाफ़ जाइज़ हैं।

सवाल :- एतिकाफ़ सही होने की क्या शर्तें हैं?

जवाब :- (1) मुसलमान होना (2) हदसे अक्बर और (3) हैज़ व निफ़ास से पाक होना (4) आक़िल होना, (5) नीयत करना (6) ऐसी मस्जिद में एतिकाफ़ करना जिसमें जमाअत से नमाज़ होती हो, ये बातें तो हर क़िस्म के एतिकाफ़ के

लिये शर्त हैं और वाजिब एतिकाफ़ के लिये रोज़ा भी शर्त है।

एतिकाफ़ की मुस्तहब बातों का बयान

सवाल :- एतिकाफ़ में क्या-क्या बातें मुस्तहब हैं?

जवाब :- (1) नेक और अच्छी बातें करना (2) क़ुरआन शरीफ़ की तिलावत करना (3) दरूद शरीफ़ पढ़ते रहना (4) दीन का इल्म पढ़ना-पढ़ाना (5) वाज़ व नसीहत करना (6) जामा मस्जिद में एतिकाफ़ करना।

एतिकाफ़ के वक़्तों का बयान

सवाल :- कम से कम कितने वक़्त का एतिकाफ़ होता है?

जवाब :- वाजिब एतिकाफ़ के लिये चूंकि रोज़ा शर्त है इसलिये इसका वक़्त कम से कम एक दिन है। बस एक दिन से कम जैसे-दो चार घंटे या रात के एतिकाफ़ की मन्नत मानना ठीक नहीं।

और जो एतिकाफ़ कि सुन्नते मुअक्किदा है

उसका वक्त रमज़ान शरीफ़ के आख़िरी दस दिन हैं। और नफ़िल एतिकाफ़ के लिये वक्त की कोई मिक़दार मुक़र्रर नहीं यानी नफ्ली एतिकाफ़ दस पांच मिनट का भी हो सकता है। अगर मस्जिद में दाख़िल होते वक्त एतिकाफ़ को नीयत कर लिया करे तो हर रोज़ बहुत से एतिकाफ़ों का सवाब मिल जाये।

एतिकाफ़ में जो बातें जाइज़ हैं उसका बयान

सवाल :- एतिकाफ़ करने वाले को मस्जिद से निकलना किन मजबूरियों से जाइज़ है?

जवाब :- (1) पाख़ाना-पेशाब के लिये निकलना (2) फ़र्ज़ ग़ुस्ल के लिये निकलना (3) जुमे की नमाज़ के लिये सूरज ढलने के वक्त या इतनी देर पहले निकलना कि जामा मस्जिद पहुंच कर ख़ुत्बे से पहले चार सुन्नतें पढ़ सके। (4) अज़ान कहने के लिये अज़ान की जगह पर मस्जिद की हद से अलग जाना।

सवाल :- पाख़ाना-पेशाब के लिये कितनी दूर जाना जाइज़ है?

जवाब :- अपने मकान तक जाना चाहे वह कितनी ही दूर हो जाइज़ है। हां अगर उसके दो मकान हैं। एक एतिकाफ़ की जगह से क़रीब है और दूसरा दूर है तो क़रीब वाले में जाना ज़रूरी है।

सवाल :- जनाज़े की नमाज़ के लिए एतिकाफ़ करने वाले को मस्जिद से निकलना जाइज़ है या नहीं?

जवाब :- अगर उसने एतिकाफ़ की नीयत करते वक़्त यह नीयत कर ली थी कि जनाज़े की नमाज़ के लिये जाऊंगा, तो जाइज़ है और नीयत नहीं की थी तो जाइज़ नहीं।

सवाल :- और क्या-क्या बातें एतिकाफ़ में जाइज़ हैं?

जवाब :- मस्जिद में खाना-पीना, सोना, कोई ज़रूरत की चीज़ ख़रीदना लेकिन इस शर्त के साथ कि वह चीज़ मस्जिद में न हो और निकाह करना जाइज़ है।

एतिकाफ़ को तोड़ने वाली और मकरूह बातों का बयान

सवाल :- एतिकाफ़ मे क्या-क्या बातें मकरूह है?

जवाब :- (1) बिल्कुल ख़ामोश रहना और इसे इबादत समझना (2) सामान मस्जिद में लाकर बेचना या ख़रीदना (3) लड़ाई झगड़ा या बेहूदा बाते करना।

सवाल :- किन चीज़ों से एतिकाफ़ टूट जाता है?

जवाब :- (1) बिना मजबूरी जान-बूझकर या भूले से मस्जिद से बाहर निकलना (2) एतिकाफ़ की हालत में सुहबत करना (3) किसी मजबूरी से बाहर निकल कर ज़रूरत से ज़्यादा ठहरना, जैसे पाख़ाने के लिये गया और पाख़ाने से फ़ारिग़ हो कर भी घर में कुछ देर ठहरा रहा। (4) बीमारी या डर की वजह से मस्जिद से निकलना। इन सब सूरतों मे एतिकाफ़ टूट जाता है।

सवाल :- एतिकाफ़ टूट जाये तो उसकी क़ज़ा वाजिब है या नही?

जवाब :- वाजिब एतिकाफ़ की क़ज़ा वाजिब

है। सुन्नत और नफ़िल की क़ज़ा वाजिब नहीं।

नज़्र यानी मन्नत मानने का बयान

सवाल :- मन्नत मानना कैसा है?

जवाब :- जाइज़ है और मन्नत मान कर उसका पूरा करना वाजिब है।

सवाल :- क्या हर मन्नत का पूरा करना वाजिब है?

जवाब :- जो मन्नत शरीअत के ख़िलाफ़ वाली बात की न हो और उसकी शर्तें पाई जायें उसका पूरा करना वाजिब है। और जो मन्नत शरीअत के ख़िलाफ़ काम की हो उसका पूरा करना ना जाइज़ है।

सवाल :- मन्नत सही होने की शर्तें क्या हैं?

जवाब :- (1) मन्नत किसी इबादत की हो जैसे- मेरा फ़लां काम हो गया तो ख़ुदा के लिये दो रकअत नमाज़ पढूंगा या रोज़ा रखूंगा या इतने मिस्कीनों को खाना खिलाऊंगा या हज़ार रुपया सदक़ा करूंगा और (2) जिस चीज़ की मन्नत मानी है वह उसके बस से बाहर न हो नहीं तो मन्नत सही न होगी जैसे- कोई आदमी कहे कि मेरा फ़लां काम

हो गया तो फ़लां आदमी की दुकान का माल ख़ैरात करूंगा। यह मन्नत सही नहीं क्योंकि ग़ैर की दुकान का माल उसकी मिलकियत नहीं और उसके बस के बाहर है। इसके अलावा और भी शर्तें हैं जो बड़ी किताबों में तुम पढ़ोगे।

सवाल :- किसी पीर या वली की मन्नत माननी कैसी है।?

जवाब :- ख़ुदा तआला के सिवा किसी और की मन्नत माननी हराम है क्योंकि मन्नत भी एक तरह की इबादत है और इबादत का ख़ुदा तआला के सिवा और कोई मुस्तहिक़ नहीं।

इस्लामी फ़र्ज़ों में से ज़कात का बयान

सवाल :- ज़कात किसे कहते हैं?

जवाब :- माल के उस ख़ास हिस्से को ज़कात कहते हैं जिसको ख़ुदा के हुक्म के मवाफ़िक़ फ़क़ीरों, मुहताजों वग़ैरह को देकर उन्हें मालिक बना दिया जाये; यूं समझो कि नमाज़-रोज़ा बदन की इबादत है और ज़कात माल की इबादत है।

सवाल :- ज़कात देना फ़र्ज़ है या वाजिब?

जवाब :- ज़कात देना फ़र्ज़ है। क़ुरआन मजीद की आयतों और हुज़ूर रसूल करीम सल्लम की हदीसों से इसका फ़र्ज़ होना साबित है। जो आदमी ज़कात फ़र्ज़ होने का इन्कार करे वह काफ़िर है।

सवाल :- ज़कात फ़र्ज़ होने की कितनी शर्तें हैं?

जवाब :- (1) मुसलमान (2) आज़ाद (3) आक़िल (4) बालिग़ होना (5) निसाब का मालिक होना (6) निसाब का अपनी अस्ली ज़रूरतों से ज़्यादा और क़र्ज़ से बचा हुआ होना और (7) मालिक होने के बाद निसाब पर एक साल गुज़र जाना, ज़कात फ़र्ज़ होने की शर्त है। बस काफ़िर, ग़ुलाम, पागल और नाबालिग़ के माल में ज़कात फ़र्ज़ नहीं।

इसी तरह जिसके पास निसाब से कम माल हो या माल तो निसाब के बराबर है लेकिन वह क़र्ज़दार भी है या माल साल भर तक बाक़ी नहीं रहा, तो इन हालतों में भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं।

ज़कात का माल और निसाब का बयान

सवाल : किस किस माल में ज़कात फ़र्ज़ है?

जवाब : चाँदी, सोने, और हर तरह के तिजारत के माल में ज़कात फ़र्ज़ है।

सवाल : चाँदी, सोने से उनके सिक्के जैसे अशरफ़ियाँ रूपये से मतलब है या कुछ और?

जवाब : चाँदी, सोने की सब चीज़ों में ज़कात फ़र्ज़ है जैसे अशरफ़ियाँ, रुपये, ज़ेवर, बर्तन, गोटा, ठप्पा वग़ैरा।

सवाल : जवाहरात पर ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं?

जवाब : जवाहरात अगर तिजारत के लिये हों तो ज़कात फ़र्ज़ है और अगर तिजारत के लिये न हो तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं चाहे कितनी ही लागत के हों। इस तरह अगर किसी आदमी के पास ताँबे वग़ैरह के बर्तन निसाब से ज़्यादा क़ीमत की हों या कोई मकान या दूकान वग़ैरा निसाब से ज़्यादा क़ीमत के हो और उसका किराया भी आता हो या चाँदी, सोने के सिवा और किसी तरह का सामान और अस्बाब है लेकिन ये सारी चीज़ें तिजारत के लिये नहीं हैं तो इन में से किसी

पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं।

सवाल :– सरकारी नोट अगर किसी के पास निसाब के बराबर हो तो क्या हुक्म है?

जवाब :– उस पर ज़कात फ़र्ज़ है।

सवाल :– अगर किसी के पास थोड़ी सी चांदी और थोड़ा सा सोना है, दोनों में से निसाब किसी का पूरा नहीं होता तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं।

जवाब :– इस सूरत में सोने की कीमत चांदी से या चांदी की क़ीमत सोने से लगाकर देखो कि दोनों में से किसी का निसाब पूरा होता है या नहीं। अगर किसी का निसाब पूरा हो जाये तो उसके हिसाब से ज़कात दो और दोनों में से किसी का निसाब पूरा न हो तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं।

सवाल :– अगर किसी के पास सिर्फ़ तीन–चार तोला सोना है और उसकी क़ीमत चाँदी के निसाब के बराबर या ज़्यादा है लेकिन चांदी की और कोई चीज़ उसके पास नहीं है न रुपया है न ज़ेवर वग़ैरह तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं?

जवाब :– इस सूरत में उस पर ज़कात फ़र्ज़

नहीं।

सवाल :- तिजारत के माल से क्या मतलब है?

जवाब :- जो माल कि बेचने और नफ़ा कमाने के लिये हो वह तिजारत का माल है। चाहे किसी क़िस्म का माल हो जैसे :- अनाज, कपड़ा, क़न्द, जूतियां, बिसात खाने का सामान वग़ैरह।

सवाल :- निसाब किसे कहते है?

जवाब :- जिन मालों में ज़कात फ़र्ज़ है शरीअत ने उनकी ख़ास-ख़ास मिक़दार मुक़र्रर कर दी है। जब इतनी मिक़दार किसी के पास पूरी हो जाये तब ज़कात फ़र्ज़ होती है। इस मिक़दार को निसाब कहते है।

सवाल :- चांदी का निसाब क्या है?

जवाब :- चांदी का निसाब चौवन (54) तोले दो (2) माशे भर वज़न की चांदी है (तोले से अंग्रेज़ी रुपये के वज़न से मतलब है।)

सवाल :- चौवन तोले दो माशे चांदी की ज़कात कितनी हुई?

जवाब :- ज़कात में चालीस्वां (40) हिस्सा

देना फ़र्ज़ होता है। बस चौवन तोले दो माशे की ज़कात एक तोला चार माशा दो रत्ती चांदी हुई।

सवाल :- सोने का निसाब क्या है?

जवाब :-सोने का निसाब सात तोले साढ़े आठ माशे सोना है। इसकी ज़कात दो माशे ढाई रत्ती सोना हुई।

सवाल :- तिजारती माल का निसाब क्या है?

जवाब :- तिजारती माल की सोने या चांदी से क़ीमत लगाओ, फिर चांदी या सोने का निसाब क़ायम करके उसके हिसाब से ज़कात अदा करो।

ज़कात अदा करने का बयान

सवाल :- ज़कात अदा करने का सही तरीक़ा क्या है?

जवाब :- जितनी ज़कात वाजिब हुई है, वह किसी मुस्तहक़ को ख़ास ख़ुदा के लिये दे-दो और उसे मालिक बना दो। किसी ख़िदमत या किसी काम की उजरत में ज़कात देना जाइज़ नहीं (लेकिन जो आदमी ज़कात वसूल करने पर मुक़र्रर होता है उसकी तनख़ाह ज़क़ात के माल में से देना जाइज़ है) हां अगर ज़कात के माल से फ़क़ीरों के लिये कोई चीज़

ख़रीद कर उनको बांट दो तो जाइज़ है।

सवाल :- ज़कात कब अदा करनी चाहिये?

जवाब :- जबकि निसाब के माल पर चांद के हिसाब से साल पूरा हो जाये तो फ़ौरन ज़कात अदा करना चाहिए। देर लगाना अच्छा नहीं।

सवाल :- साल गुज़रने से पहले अगर कोई आदमी ज़कात दे दे तो जाइज़ है या नहीं?

जवाब :- निसाब पूरा होने पर निसाब का मालिक साल गुज़रने से पहले ज़कात अदा कर दे तो जाइज़ है।

सवाल :- ज़कात देते वक़्त नीयत भी करनी ज़रूरी है या नहीं।

जवाब :- हां ज़कात देते वक़्त या कम से कम ज़कात का माल निकालकर अलग रखने के वक़्त यह नीयत करनी ज़रूरी है कि यह माल मैं ज़कात में देता हूं या ज़कात के लिये अलग करता हूं। अगर ज़कात का ख़्याल किये बिना किसी को रुपया दे दिया और देने के बाद उसको ज़कात के हिसाब में लगा लिया तो ज़कात अदा न होगी।

सवाल :- जिसको ज़कात दी जाये उसको यह बता देना कि यह माल ज़कात का है, ज़रूरी है या

नहीं?

जवाब :- यह ज़रूरी नहीं। बल्कि अगर इनाम के नाम से या किसी ग़रीब के बच्चों को ईदी के नाम से दे दो जब भी ज़कात अदा हो जायेगी।

सवाल :- अगर साल गुज़रने के बाद अभी ज़कात नहीं दी थी कि सारा माल बरबाद हो गया तो क्या हुक्म है?

जवाब :- उसकी ज़कात भी उसके ज़िम्मे से उतर गई।

सवाल :- साल गुज़रने के बाद अगर सारा माल ख़ुदा की राह में दे दिया तो क्या हुक्म है?

जवाब :- उसकी ज़कात भी मुआफ़ हो गई।

सवाल :- अगर साल गुज़रने के बाद थोड़ा माल बरबाद हो गया या ख़ैरात कर दिया तो क्या हुक्म है?

जवाब :- जितना माल बरबाद हुआ या ख़ैरात किया उसकी ज़कात भी ख़त्म हो गई, बाक़ी माल की ज़कात अदा करे।

सवाल :- अगर चांदी की ज़कात चांदी से अदा करे तो वज़न का एतबार है या क़ीमत का।

जवाब :- वज़न का एतबार है। जैसे कि :- किसी के पास सौ (100) रुपये हैं, साल गुजरने के बाद उसे ढाई तोला चांदी देनी चाहिये। अब उसे इख़्तियार है कि वह दो रुपये और एक अठन्नी दे दे या चांदी का टुकड़ा ढाई तोले का दे दे तो ज़कात अदा हो जायेगी। लेकिन अगर चांदी का टुकड़ा ढाई तोले का क़ीमत में दो रुपये का हो तो दो रुपये देने से ज़कात अदा न होगी।

सवाल :- चांदी की ज़कात वाजिब हुई तो कोई दूसरी चीज़ भी ज़कात में दी जा सकती है या नहीं?

जवाब :- हां जितनी चांदी ज़कात में वाजिब होती है उतनी ही चांदी की क़ीमत की कोई दूसरी चीज़ जैसे कपड़ा या अनाज ख़रीदकर देना भी ठीक है।

ज़कात के मसारिफ़ का बयान

सवाल :- ज़कात के मसारिफ़ से क्या मतलब है?

जवाब :- जिस शख़्स को ज़कात देने की इजाज़त है उसे ज़कात का मसरफ़ कहते हैं। मसारिफ़ मसरफ़ की जमा है। ज़कात के मसारिफ़ से उन लोगों से मतलब है जिनको ज़कात देना जाइज़ है।

सवाल :- ज़कात के मसारिफ़ कितने और कौन-कौन हैं?

जवाब :- इस ज़माने में ज़कात के मसारिफ़ ये हैं:-

(1) फ़क़ीर -यानी वह आदमी जिसके पास कुछ थोड़ा माल और अस्बाब है लेकिन निसाब के बराबर नहीं (2) मिस्कीन -यानी वह आदमी जिसके पास कुछ नहीं (3) क़र्ज़दार -यानी वह आदमी जिसके जिम्मे लोगों का क़र्ज़ हो और उसके पास क़र्ज़ से बचा हुआ निसाब के बराबर कोई माल न हो (4) मुसाफ़िर -जो सफ़र की हालत में तंगदस्त हो गया हो उसे ज़रूरत के लायक़ ज़कात दे देना जाइज़ है।

सवाल :- इस्लामी मदरसों में ज़कात का माल देना जाइज़ है या नहीं?

जवाब :- हां -तालिब इल्मों को ज़कात का

माल देना जाइज़ है और मदरसों के मुहतमिमों को इसके लिये कि वे तालिब इल्मों पर ख़र्च करें, देने में कुछ हर्ज नहीं।

सवाल :- किन लोगों को ज़कात देना नाजाइज़ है?

जवाब :- इतने लोगों को ज़कात देना जाइज़ नहीं:- (1) मालदार -यानी वह आदमी जिस पर ख़ुद जक़ात फ़र्ज़ है या निसाब के बराबर क़ीमत का कोई और माल मौजूद हो और उसकी अस्ली ज़रूरत से ज़्यादा हो। जैसे किसी के पास तांबे के बर्तन रोज़ाना की ज़रूरत से ज़्यादा रखे हुए हैं और उसकी कीमत निसाब के बराबर है। उसको ज़कात का माल लेना हलाल नहीं। अगर्चे ख़ुद उस पर भी उन बर्तनों की ज़कात देनी वाजिब नहीं। (2) सैयद और बनी हाशिम। बनी हाशिम से हज़रत हारिस रज़ि0 बिन अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत जाफ़र रज़ि0 और हज़रत अक़ील रज़ि0 और हज़रत अब्बास रज़ि0 और हज़रत अली रज़ि0 की औलाद से मतलब है। (3) अपने बाप, मां, दादा-दादी, नाना-नानी चाहे और ऊपर के हों। (4) बेटा-बेटी, पोता-पोती, नवासा-नवासी, चाहे और नीचे के हों। (5) ख़ाविन्द

अपनी बीवी को और बीवी अपने ख़ाविन्द को भी ज़कात नही दे सकती। (6) काफ़िर (7) मालदार आदमी की नाबालिग़ औलाद, इन सब लोगों को ज़कात देना जाइज़ नहीं।

सवाल : किन कामों में ज़कात का माल ख़र्च करना जाइज़ नहीं है?

जवाब : जिन चीज़ों में कोई मुस्तहिक़ मालिक न बनाया जाये, उनमें ज़कात का माल ख़र्च करना जाइज़ नहीं। जैसे मैयत के गोर-कफ़न में लगा देना या मैयत का क़र्ज़ अदा करना या मस्जिद की तामीर या फ़र्श या लोटों या पानी वग़ैरा में ख़र्च करना जाइज़ नहीं।

सवाल : किसी आदमी के पास एक-दो हज़ार रूपये का मकान है जिस में वह रहता है या उसके किराये से अपनी गुज़र करता है। इसके अलावा उसके पास कोई माल नहीं बल्कि तंगदस्त है। उसे ज़कात देना जाइज़ है या नहीं?

जवाब : जाइज़ है क्योंकि यह मकान उसकी अस्ली ज़रूरत में दाख़िल है। हाँ जब किसी के पास उसकी अस्ली ज़रूरत से कोई माल ज़्यादा हो और वह निसाब के बराबर हो तो उसे ज़कात लेना जाइज़

नहीं।

सवाल :- अगर किसी आदमी को मुस्तहक़ समझ कर जक़ात दे दी। बाद में मालूम हुआ कि वह सैयद था या मालदार था या अपना बाप या मां या औलाद में से कोई था तो ज़कात अदा हुई या नहीं?

जवाब :- अदा हो गई। फिर से देना वाजिब नहीं।

सवाल :- ज़कात किन लोगों को देना ज़्यादा अच्छा है?

जवाब :- पहले अपने रिश्तेदारों जैसे भाई, बहन, भतीजे, भतीजियां, भानजे, भानजियां, चचा, फूफी, ख़ाला, मामू, सास ससुर, दामाद वग़ैरा में जो ज़रूरतमन्द और हक़दार हों उन्हें देने में बहुत ज़्यादा सवाब है। इनके बाद अपने पड़ौसियों या अपने शह्र के लोगों में से जो ज़्यादा ज़रूरतमन्द हो उसे देना ज़्यादा अच्छा है। फिर जिसे देने में दीन का नफ़ा ज़्यादा हो जैसे दीन की तालीम पाने वाले।

सदक़ा फ़ित्र का बयान

सवाल :- सदका फ़ितर किसे कहते हैं?

जवाब :- फ़ितर के माने रोज़ा खोलने या रोज़ा न रखने के हैं। ख़ुदा तआला ने अपने बन्दों पर एक सदका मुक़र्रर फ़रमाया है कि रमज़ान शरीफ़ के ख़त्म होने पर रोज़ा खुल जाने की ख़ुशी और शुक्रिये के लिये अदा करें। उसे सदका फ़ितर कहते हैं और इसी रोज़ा खुलने की ख़ुशी मनाने का दिन होने की वजह से रमज़ान शरीफ़ के बाद वाली ईद को ईदुल फ़ितर कहते हैं।

सवाल :- सदका फ़ितर किस आदमी पर वाजिब होता है?

जवाब :- हर मुसलमान आज़ाद पर जबकि वह निसाब के बराबर माल का मालिक हो, सदका फ़ितर वाजिब है।

सवाल :- सदका फ़ितर वाजिब होने के लिये जो निसाब शर्त है वह वही ज़कात का निसाब है जो बयान हो चुका या कुछ फ़र्क़ है?

जवाब :- ज़कात के निसाब और सदका फ़ितर के निसाब की मिक़दार तो एक ही है जैसे चौवन (54) तोला दो (2) माशा चांदी या उसकी क़ीमत। लेकिन ज़कात के निसाब और सदका फ़ितर के

निसाब में यह फ़र्क़ है कि ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए जो चांदी या सोना या तिजारत का माल होना ज़रूरी है और सदक़ा फ़ितर वाजिब होने के लिये इन तीनों चीज़ों की ख़ुसूसियत नहीं बल्कि उसके निसाब में हर क़िसम का माल हिसाब में ले लिया जाता है। हां-अस्ली ज़रूरत से ज़्यादा और क़र्ज़ से बचा हुआ होना दोनों निसाबों में शर्त है।

बस अगर किसी आदमी के पास उसके इस्तेमाल के कपड़ों से ज़्यादा कपड़े रखे हुए हों या रोज़ाना की ज़रूरत से ज़्यादा तांबे, पीतल, चीनी वग़ैरह के बर्तन रखे हों या कोई मकान उसका ख़ाली पड़ा है और किसी क़िस्म का सामान और असबाब है और उसकी अस्ली ज़रूरत से ज़्यादा है और उन चीज़ों की क़ीमत निसाब के बराबर या ज़्यादा है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं लेकिन सदक़ा फ़ितर वाजिब है। सदक़ा फ़ितर के निसाब पर साल गुज़रना भी शर्त नहीं बल्कि उसी दिन निसाब का मालिक हुआ हो तो भी सदक़ा फ़ितर अदा करना वाजिब है।

सवाल : सदक़ा फ़ितर किस-किस की तरफ़ से देना वाजिब है?

जवाब : हर निसाब के मालिक पर अपनी

तरफ़ से और अपनी नाबालिग़ औलाद की तरफ़ से सदक़ा फ़ितर देना वाजिब है। लेकिन नाबालिग़ों का अगर अपना माल हो तो उनके माल में से अदा करो।

सवाल : मशहूर है कि जिसने रोज़े नहीं रखे उस पर सदक़ा फ़ितर वाजिब नहीं, यह सही है या ग़लत?

जवाब : ग़लत है, बल्कि हर निसाब के मालिक पर वाजिब है। चाहे रोज़े रखे हों या न रखे हों।

सवाल : सदक़ा फ़ितर वाजिब होने का वक़्त क्या है?

जवाब : ईद के दिन सुबह सादिक़ होते ही यह सदक़ा वाजिब हो जाता है। बस जो आदमी सुबह सादिक़ से पहले मर गया उसके माल में से सदक़ा फ़ितर नहीं दिया जायेगा। और जो बच्चा सुबह सादिक़ से पहले पैदा हुआ उसकी तरफ़ से अदा किया जायेगा।

सवाल : अगर सदक़ा फ़ितर ईद के दिन से पहले रमज़ान शरीफ़ में दे दे तो जाइज़ है या नहीं?

जवाब : जाइज़ है।

सवाल : सदक़ा फ़ितर अदा करने का ज़्यादा अच्छा वक़्त क्या है?

जवाब : ईद के दिन ईद की नमाज़ को जाने

से पहले अदा करना ज़्यादा अच्छा है। और नमाज़ के बाद करे तो यह भी जाइज़ है और जब तक अदा न करे उसके ज़िम्मे अदा करना वाजिब रहेगा। चाहे कितनी ही मुद्दत गुज़र जाये।

सवाल :- सदक़ा फ़ितर में क्या-क्या चीज़ और कितना देना वाजिब है?

जवाब :- सदक़ा फ़ितर में हर क़िस्म का अनाज और क़ीमत देना जाइज़ है। इसकी तफ़सील यह है कि अगर गेहूं या उसका आटा या सत्तू दे तो एक आदमी को पौने दो सेर देना चाहिये। (सेर से मतलब अंग्रेज़ी रुपये से अस्सी (80) रुपये का वज़न है।)

और जौ या उसका आटा या सत्तू दें तो साढ़े तीन सेर देना चाहिये और अगर जौ और गेहूं के अलावा और कोई अनाज जैसे चावल, बाजरा ज्वार वग़ैरह दें तो पौने दो सेर गेहूं की क़ीमत या साढ़े तीन सेर जौ की क़ीमत में जितना वह अनाज आता हो इतना देना चाहिये और अगर क़ीमत दें तो पौने दो सेर गेहूं या साढ़े तीन सेर जौ की क़ीमत देनी चाहिये।

सवाल :- एक आदमी का सदक़ा फ़ितर एक

ही फ़क़ीर को दे देना या थोड़ा-थोड़ा कई फ़क़ीरों को देना भी जाइज़ है?

जवाब :- कई फ़क़ीरों को भी देना जाइज़ है। इसी तरह कई आदमियों का सदक़ा फ़ितर एक फ़क़ीर को भी देना जाइज़ है।

सवाल :- सदक़ा फ़ितर किन लोगों को देना चाहिये?

जवाब :- जिन लोगों को ज़कात देना जाइज़ है उन्हें सदक़ा फ़ितर भी देना जाइज़ है और जिन लोगों को ज़कात देना नाजाइज़ है उन्हें सदक़ा फ़ितर देना भी नाजाइज़ है।

सवाल :- जिन लोगों पर सदक़ा फ़ितर वाजिब है वे ज़कात या सदक़ा फ़ितर ले सकते हैं या नहीं?

जवाब :- नहीं ले सकते और कोई फ़र्ज़ या वाजिब सदक़ा ऐसे लोगों को लेना जाइज़ नहीं जिनके पास सदक़ा फ़ितर का निसाब मौजूद हो।

(तालीमुल इस्लाम का चौथा हिस्सा ख़त्म हुआ)

हर दिल अज़ीज़
नमाज़ मुकम्मल मुतर्जम अक्सी

जिस मे नामज़ का पूरा तरीक़ा और उस से मुताल्लिक़ ज़रूरी मसअले अच्छे ढंग से समझाये गये है। ईदों की नमाज़, जुमा की नमाज़, जनाज़े की नमाज़ और दूसरी तमाम नमाज़ो की तफ्सील इस में मिलेगी।

जन्नत का टिकट
या
हमारा कलिमा

कलिमा तय्यिबा की हक़ीक़त क्या है? दिल से कलिमा पढ़ने के बाद सहाबा कराम रज़ि० ने कितनी ज़बरदस्त क़ुर्बानियां दीं हुज़ूरे अकरम की शफ़ाअत वग़ैरह सभी कुछ इस में पढ़िए।

तालीमुल इस्लाम

इस किताब में नामाज़ रोज़ा ज़कात के मसाइल को बहुत अच्छे अन्दाज़ में बयान किया गया है जिन का जानना हर एक को ज़रूरी है। यह किताब हर घर में रहनी चाहिए, इस किताब को अपने मरहूम रिश्तेदारों के इसाले सवाब के लिये हम से रिआयती क़ीमत पर मंगवा कर तक़सीम कीजिए।

آيَةُ الْكُرْسِي

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ

وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ

ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ

وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا

بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا

یَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ

सोने की सुन्नतें

① जल्द सोने की फ़िकर करे दुनिया की बात न करें।

② बा वुज़ू सोऐ। ③ तीन मरतबा बिस्तर झाड़ कर सोऐं।

④ तीन सलाई सुरमा लगाकर सोऐ।

⑤ कलमा शरीफ़ पढ़कर सोऐ।

⑥ तसबिह फातिमा पढ़कर सोऐ।

(سُبحَان اللّٰہِ ۳۳ مرتبہ، اَلحَمدُلِلّٰہِ ۳۳ مرتبہ، اَللّٰہُ اَکبر ۳۴ مرتبہ)

⑦ तीनों क़ुल पढ़कर हाथों पर फुंक-कर सारे बदन पर फैर ले।

⑧ सूरह मुल्क अलिफ़-लाम-मिम सजदा पढ़कर सोऐ।

⑨ दाहिनी करवट लेटकर हाथ रुख़सार के निचे रखे।

⑩ दुआ पढ़कर सोऐ।

⑪ अगर निन्द ना आऐ तो यह दुआ पढ़े।

اَعُوذُ بِکَلِمَاتِ اللّٰہِ التَّامَّاتِ مِن غَضَبِہٖ وَعِقَابِہٖ وَشَرِّ عِبَادِہٖ وَمِن ھَمَزَاتِ الشَّیَاطِینِ وَاَن یَّحضُرُونَ

⑫ अगर बुरा ख़्वाब देखे तो यह दुआ पढ़कर बायें जानिब थुथ्कार दे।

اَعُوذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیطٰنِ وَشَرِّ ھٰذِہِ الرُّؤیَا (۳ بار)

खाने की चन्द सुन्नतें

① दोनों हाथ गटटों तक धोना और न पोछना।

② दस्तरख्वान बिछाना। ③ बिसमिल्लाह पढ़ना।

④ दायें हाथ से खाना। (बायें हाथ से हरगिज़ न खाये।)

⑤ अपने सामने से खाना। अगर तश्तरी में कई क़िस्म की चीज़ें हो तो जो पसन्द हो वो खाये। किसी का हाथ बढ़ रहा हो तो अपना हाथ रोक ले।

⑥ तीन उंगलियों से खाना।

⑦ प्याला तश्तरी को उंगलियों से चाट कर साफ करना।

⑧ अगर लुक़मा गिर जाये तो उठा कर खा लेना।

⑨ खाने में ऐब न लगाना। ⑩ टेक लगा कर न खाना।

⑪ खाने के बाद की दुआ पढ़ना।

(اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ)

⑫ पहले दस्तरख्वान उठाना। फिर खुद उठना। और दस्तरख्वान उठाने की दुआ पढ़ना।

(اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا کَثِیْرًا طَیِّبًا مُّبَارَکًا فِیْهِ غَیْرَ مَکْفِیٍّ
وَّلَا مُوَدَّعٍ وَّلَا مُسْتَغْنًی عَنْهُ رَبَّنَا)

⑬ कुल्ली करना। ⑭ हाथ धोना।

नखशा तादाद, फ़र्ज, वाजिब, सुन्नत, नफ़िल

नमाज का नाम	सुन्नत	फ़र्ज	सुन्नत	नफ़िल	सुन्नत	वित्र	नफ़िल
फ़जर	❷	2	—	—	—	—	—
ज़ोहर	❹	4	❷	2	—	—	—
अस्र	4	4	—	—	—	—	—
मग़रिब	—	3	❷	2	—	—	—
ईशा	4	4	❷	2	—	❸	2
जुमा	❹	2	❹	—	❷	—	2

ज़रूरी हिदायात: जिन सुन्नतों पर ● दायरे का निशान लगा है। वह सुन्नतें मोकिदा है। जिन का अदा करना ज़रूरी है।